खण्ड-245, अंक-4
गुरूवार, 17 माघ, शक संवत् 1885
(6 फरवरी, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 245 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२५१–२५५
प्रश्नोत्तर	२५५–२९५
प्रश्न सूची में कुछ प्रश्नों के न छापने पर आपत्ति	२९५–२९७
प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति	२९७–२९८
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	२९८–२९९
शनिवार, २२ फरवरी, ७, १४ तथा २१ मार्च, १९६४ को विधान सभा की बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	३००–३०२
उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ (पुर:स्थापित किया गया)	३०२
याचिका के सम्बन्ध में जानकारी	३०२–३०३
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (विवाद जारी) ..	३०३–३४९
नत्थियां	३५०–३८३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ६ फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री

सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हुमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ६ फरवरी, १९६४

तारांकित प्रश्न

स्वर्ण नियंत्रण कानून से मृत्युएं

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सोने के नियंत्रण कानून बनने से कितने आदमियों की मृत्यु के समाचार सरकार को प्राप्त हुये हैं ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

स्वर्ण नियंत्रण कानून बनने में १० व्यक्तियों की मृत्यु के समाचार सरकार को प्राप्त हुए हैं किन्तु जांच कराने पर केवल दो व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या का कारण स्वर्ण नियंत्रण कानून के लागू होने से बेरोजगार होना पाया गया। दो अन्य मामलों में अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है। शेष मामलों में मृत्यु का कारण स्वर्ण नियंत्रण कानून का बनना नहीं पाया गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जिन लोगों के आत्महत्या के कारण सरकार की ओर से बताये गये हैं उनके परिवार में कितने व्यक्ति थे और उनको सरकार ने किस प्रकार की सहायता दी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह सूचना तो मेरे पास नहीं है कि कितने व्यक्ति उनके परिवार में हैं। जो पूछा है वह मैं बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

क्या उनको कोई सहायता दी गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सहायता वाला सवाल अगला है उसमें बता दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री सदन की जानकारी के लिए उन लोगों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन १० की मृत्यु हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

रामकिशोर स्वर्णकार, अलीगढ़, केदारनाथदत्त कानपुर, रामचन्द्र स्वर्णकार की पत्नी श्रीमती बिटोला, कानपुर, रामप्रकाश, मेरठ, मगनलाल, ललितपुर, प्रभूनन्द, इटावा, रामसमुझ, बाराणसी, नन्हकू, वाराणसी, भगवती, मिर्जापुर, रामलाल, बांदा। लेकिन इन सब में बहुत से ऐसे थे जिनकी और कारण से मृत्यु हुई है। हम समझते हैं कि दो ऐसे थे जिन्होंने गरीबी के कारण आत्महत्या की।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन स्वर्णकारों की मृत्यु की जांच किस अधिकारी से करवायी गयी है, और जिन व्यक्तियों की मृत्यु सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण कानून के कारण बतायी है वह कौन-कौन थे और किन-किन जिलों के थे और उनके परिवार वालों को क्या सहायता दी गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सूचना तो जिले से मिली है, जिनकी मृत्यु हम इसस समझते हैं वह हैं केदारनाथदत्त स्वर्णकार। इन्होंने ९-३-६३ को आत्महत्या की। उनके पास से एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने विष खाया है क्योंकि वह बहुत कर्जदार थे, उनका काम नहीं चलता था। पोस्ट-मार्टम से मृत्यु का ठीक कारण पता नहीं चला लेकिन हम समझते हैं कि गरीबी थी इस वजह से शायद आत्महत्या की। दूसरे, रामप्रकाश, स्वर्णकार ने २ जुलाई, १९६३ को नाइट्रेट खाकर आत्महत्या की। उन्होंने भी एक पत्र लिख कर छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वह बहुत गरीब हैं, उनके पास काम नहीं है इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

सहायता का उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि बाद में जो प्रश्न हैं, उसमें उत्तर देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

बाद वाले में एक धनराशि पूछी गयी है। मैंने खासतौर से दो व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाही है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिनकी बेकारी की वजह से मृत्यु हुई है उनके पीछे कितने आश्रित हैं? और उनके लिये दूसरा भी कोई धन्धा था या है?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

जितने नाम बतलाये गये हैं जिनमें केवल दो मृत्यु ऐसी हुई हैं जिनके लिये उनक पास मिले पत्र के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे बेकारी की वजह से हुई हैं और को बेकारी की वजह से नहीं हुई।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसी कमेटी का निर्माण हुआ है कि जिस कमेटी के टर्म्स आफ रिफरेन्स में यह हो कि उनकी सहायता की जाय जो इस तरह से बेकार हो गये हैं और जो इस तरह से जाने दे रहे हैं?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैंने अभी एक कमेटी बनाई है जिसकी इन्फार्मेशन आगे के क्वेश्चन में आने वाली है। मैंने यह देखा कि जिन लोगों को रिहैबिलिटेट करना है उनका काम ठीक से नहीं हो रहा है।

उनका काम ३, ४ डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। कुछ और भी परेशानी थी क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कानून से इन सब को बसाने की बात है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने उनको बसाने का जिम्मा लिया है इस सम्बन्ध में उनसे बातचीत चल रही है। जो काम यहां पर चल रहा था उससे मैं सैटिस्फाई नहीं थी। मैं चाहती थी कि उनके परिवार को सहायता देने के लिये किसी कमेटी का निर्माण हो। उसका निर्माण इसलिये किया है कि हम देखें कि किस तरह से उनको मदद दे सकते हैं इसलिये वह कमेटी बनाई गई है। जो दिक्कतें है उनके बारे में अगर कोई माननीय सदस्य सुझाव दे सकते हैं तो वह भी अपने सुझाव उस कमेटी के पास भेज दें।

स्वर्णकारों को सहायता

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में सोने के नियंत्रण कानून बनने से जो बेकारी प्रदेश में सोने से सम्बन्धित व्यापार करने वालों की हुई, उन बेकारों को सरकार की ओर से कितने धन की किस-किस रूप में सहायता दी गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रदेश में सोने के नियंत्रण कानून बनने से जो बेकारी प्रदेश में सोने से सम्बन्धित व्यापार करने वालों में हुई है उन बेकारों को सरकार की ओर से ५७,००० रुपये ऋण के रूप में ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय पुलिस मंत्री बतलायेंगे कि यह ५७ हजार रुपय का ऋण अनुदान के रूप में दिया गया था या केवल ऋण के रूप में, उसको अलग-अलग बतलाने की कृपा करेंगे कितना अनुदान के रूप में, कितना ऋण के रूप में और कितने परिवारों को दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह कुल रुपया ४,०७,८०० रुपया दिया गया था ऋण के रूप में जिसमें ५७ हजार रुपया यूटिलाइज़ किया जा सका है। इसमें अनुदान का पता नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या पुलिस मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति मरे हैं स्वर्ण कानून के नियंत्रण के आधार पर उनके परिवार वालों को कोई अनुदान दिया गया है और यदि नहीं तो इसका कारण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी कोई सूचना नहीं है। अब यह प्रश्न, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया जो कमेटी बनी हुई है उसके सामने विचाराधीन होगा।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

यह ४ लाख की रकम जो रिहैबिलिटेट करने के लिये रखी गई थी इसम से केवल ५७ हजार रुपया उनको दिया गया तो मैं यह जानना चाहती हूं कि वह क्या कारण था जिसकी वजह से केवल इतनी थोड़ी रकम ही यूटिलाइज की जा सकी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

असल में ऋण देने के लिये यह नियम है कि जो लोग इसस फायदा उठाना चाहते हैं उनको सिक्योरिटी भी देना आवश्यक होता है वह नहीं दे सके इसलिये यह नहीं हो सका। इसीलिये

मुख्य मंत्री जी ने इन तमाम बातों को देख कर एक कमेटी बनाने की बात कही है और उसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से बातचीत चल रही है क्योंकि यह उनकी ही जिम्मेवारी थी। उसके लिये सारी योजना तैयार हो रही है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनके पास कुछ इस बात के आंकड़े हैं कि इस स्वर्ण-नियंत्रण कानून के लागू होने के बाद हमारे प्रदेश में कितने स्वर्णकार बेकार हुये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कितने बेकार हुये इसके आंकड़े नहीं हैं लेकिन हमारे प्रदेश में जितने स्वर्णकारों को हमें रजिस्टर्ड करना है और जिनके लिये रिहैबिलिटेट करने की स्कीम चलाना है उनकी संख्या लगभग ३३ हजार है और इतने लोग ही रजिस्टर्ड होने को हैं।

श्री कल्पनार्थासिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग मरे हैं उनमें से कितने लोगों ने अनुदान के लिए या कर्ज के लिए आवेदन-पत्र दिया था और उसमें से कितने लोगों को अनुदान या कर्ज दिया गया इस ५७ हजार रुपये में से, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास इसकी सूचना तो नहीं है लेकिन किस-किस जिले में कितना-कितना लोन सैंक्शन हुआ वह सूचना मेरे पास है।

श्री कल्पनार्थासिंह—

अध्यक्ष जी, जरा मेरी मदद कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

यह देखते हुए कि जो हमने कर्ज उनको देने के लिए रखा था वह स्वर्णकार इस कारण उसका उपभोग नहीं कर पाये कि उनके पास उन शर्तों को पूरा करने के साधन नहीं थे और यह सत्य भी है कि स्वर्णकार जब बेकार हो गये, उनके पास कोई साधन नहीं रहा तो उनका जामिन बनना कोई पसन्द नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में क्या वह इन नियमों को इतना ढीला करेंगे कि जिससे स्वर्णकारों को वास्तव में उपभोग सही रूप में करने की सुविधा मिल जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैंने पूर्व प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है कि यही सब दिक्कतें थीं जिस कारण स्वर्णकारों की प्रगति इस बात में नहीं हुई। उससे मुझे खुद डिससेटिस्फेक्शन है और उसी कारण हमने एक कमेटी बैठायी कि वह सुझाये कि किस-किस तरह से सहायता की जाय। इस सम्बन्ध में चूंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी खतोकिताबत चला रहे हैं ताकि हम उनको ठीक से रिहैबिलिटेट कर सकें।

सुरक्षा कोष के लिए चन्दा वसूली में तहसीलदार, ललितपुर के विरुद्ध शिकायत

*३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि एस० डी० एम० ललितपुर, श्री बाघवानी के पास ऐसी शिकायतें आयी थीं कि जिन लोगों ने चन्दे की शिकायतें की हैं उन्हें तहसीलदार नुकसान पहुंचाने की कार्यवाहियां कर रहे हैं और उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में ७ अगस्त को एक

प्रतिनिधि मण्डल ब्लाक प्रमुख, महरोनी, व प्रश्नकर्ता के साथ एस० डी० एम० ललितपुर से मिला था ? यदि हां, तो अब तक तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, परन्तु शिकायतों की जांच के उपरान्त वे निराधार प्रतीत हुई।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी देंगे कि उन शिकायतों में एक यह भी शिकायत की गई थी कि तहसीलदार ने लेखपाल को एक पत्र लिखा था कि सुरक्षा कोष में एक-एक रुपये की रसीदें दी गई हैं सुखलाल और मदना काश्तकारों को जब कि उनसे दो-दो रुपया वसूल किया गया है और वह रसीदें दुरुस्ती के लिए हमारे सामने पेश करो ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह सही है कि कुछ रसीदें ऐसी थीं कि जिनमें एक रुपया लिखा हुआ था फिगर्स में लेकिन जांच करने पर यह पता चला कि गलती से वह रह गया था और रुपया जो जमा किया गया था वह दो-दो रुपया करके ही जमा कराया गया था। चूंकि मुसन्ने ठीक नहीं थे तो उनको बुलाकर उन्हें ठीक कराने की बात थी। जहां तक रुपये की बात थी वह दो-दो रुपये करके ही जमा किये गये थे और पहले से ही थोड़ी सी लिखने में गलती रह गई थी। ग़बन इसलिए साबित नहीं हुआ क्योंकि दो-दो रुपया करके हिसाब से वह जमा हुआ था।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६३ को प्रश्न संख्या ८४ में यह बताया गया है कि रसीद नम्बर १६ सुखलाल से एक ही रुपया लिखा गया था जब कि तहसीलदार की चिट्ठी यह है कि उससे दो रुपया लिया गया और रसीद एक की काटी गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है। इस वक्त मेरे पास यह सूचना है कि एक रसीद तो एक रुपये की थी वह एक ही रुपया दिया गया था। लेकिन बाकी रसीदें जिनकी शिकायत थी दो-दो रुपये की वह कुछ रसीदों में गलती से एक एक रुपया लिखा गया था। लेकिन जब तहसीलदार सहाब के सामने वह गयी और उन्होंने देखा तो उन्होंने उसे ठीक करा दिया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस ब्लाक प्रमुख का जिक्र है कि इस डपुटेशन के साथ वह मिले उस ब्लाक प्रमुख के पास चार पांच मन चांदी भी इकट्ठा की हुई अब तक जमा है, इस बारे में सरकार को कोई जानकारी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह एक नयी चीज है और इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार बतलायेगी कि जो उत्तर दिया गया है उसमें वास्तविकता यह है कि पहल एक रुपये की रसीद काटी गयी और एक ही रुपया जमा किया गया और फिर दो रुपये की रसीद काटी गयी और कम रुपया जमा किया गया। जब माननीय सुदामाप्रसाद जी ने यहां शोर मचाया तो जितना रुपया था उतना रुपया जमा किया गया। क्या ऐसी बात तो नहीं है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरी सूचना इसके खिलाफ है। शिकायत करन के पहल ही दो-दो रुपया वहां जमा किया गया था।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रुपया जमा होता था वह उन रसीदों के आधार पर जमा होता था और रसीदों में एक-एक रुपया लिखा था। तो किस आधार पर वहां दो-दो रुपया जमा किया गया था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने बतलाया कि फीगर्स में एक-एक रुपया था रसीद में, और दो दो रुपया कर दिया गया था इसलिये दो-दो रुपये के हिसाब से वहां जमा किया गया।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई) —

क्या मन्त्री जी को यह मालूम है कि श्री सुदामाप्रसाद जी ने फरवरी के महीने में दौरा किया था अपनी कांस्टीट्यून्सी का और उस समय उनको यह शिकायत मिली कि वहां लोगों से दो-दो रुपया वसूल किया गया और एक-एक रुपये की रसीद उनको दी गयी। दो रसीदें उन्होंने पकड़ीं और उनका रेफरेंस उन्होंने किया। अप्रैल में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वह केस ले कर एक रसीद ठीक की, और एक उनके पास मौजूद है। एक का डिनायल है। तो क्या यह बात सही है कि तहसीलदार और लेखपाल ने हजारों की रकम वसल की और लोगों से दो-दो रुपया लिया और ज्यादा रुपया ले कर रसीदें कम की दीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं तो कह चुका पहले ही कि इसमें दो बातें हैं। तहसीलदार जब रुपया लेने गया तो रसीदों में अंकों में एक-एक रुपया लिखा हुआ था। जिस समय वह उनके सामने आयीं रुपया जमा करने के लिये तो फीगर्स में दो थे। तो उन्होंने पहले के लिखे हुये एक-एक रुपया करेक्ट कर दिया और फिर उसी हिसाब से दो-दो रुपया वह जमा कर दिया। मेरे पास यहीं सूचना है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई और शिकायत हो तो मैं उसकी भी जांच करा लूंगा। सुदामा प्रसाद जी मुझसे मिल लें। अगर कोई शिकायत रह गयी होगी तो उसे फिर देख लंगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या मन्त्री जी कोई इस बात की जानकारी है कि यह दोनों रसीदें दिनांक १८ दिसम्बर, १९६२ को काटी गयी थीं और १४ को मैंने एक परचा निकाला कि गलत तरीके से वसूली की जा रही है। रसीदें कम की दी जा रही हैं और ज्यादा रुपया वसूल किया जा रहा है। इसकी शिकायत मैंने की। इस के बाद तहसीलदार ने दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ को पत्र लिखा पटवारी को और उसके बाद १० अक्तूबर को अब यह जवाब दिया जा रहा है कि वह रसीदें दुरुस्त कर दी गयीं जब कि उन में से एक रसीद मेरे पास मौजूद है। इस जवाब में १६ नवम्बर, की रसीद का कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि उस में एक ही रुपया लिया गया था जब कि तहसीलदार लिखते हैं कि सुखलाल से दो रुपया लिया गया है और रसीद एक की दी गयी है। इस सब म कौन सी बात सही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अगर इसमें ऐसी बात है तो फिर जांच करायी जायगी।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

मैं अदब से अर्ज करूंगा कि यह न समझा जाय कि हम गुलाम देश के लोग यहां बैठे हैं। यहां कोई दिमाग खोकर नहीं बैठा है। इस प्रकार के जवाब हम नहीं चाहते कि इस समय सदन में सच्चाई को झुठलाया जाय जबकि क्लियर है कि दो रुपये दिये गये और एक की रसीद काटी गयी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रावत जी, एक बात सुन लें, आप बैठ जायं। अगर कोई उत्तर असंतोषजनक है तो हमारे नियमों में नियम ५० है उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं होगा। आप आधे घंटे का विवाद मांग सकते हैं। अब यह विषय समाप्त।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी —

मुझे धमकी दी जाती है कि मैंने पर्चा क्यों निकाला कि दो रुपये के बजाय एक रुपय की रसीद काटी गयी।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं सुदामाप्रसाद जी से आग्रह करूंगी कि वह आ करके सारी बातें कर लें। अगर उनको तसल्ली न हो, कोई करप्शन अगर है तो उसको प्रोत्साहन देने का हमको उत्साह नहीं है। अगर कोई ह्यूमन गलती हुई है तो वह माफ हो सकती है और अगर खराब मोटिव से काम हुआ ह तो जरूर सजा दी जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं यह चाहता था कि जब असेम्बली का मेम्बर शिकायत करता है किसी अफसर के खिलाफ तो इंक्वायरी के समय कम से कम उससे भी पूछ लिया जाय। मुख्य मन्त्री जी कहने को तो कह देती हैं, लेकिन उसका पालन शायद नहीं हो रहा है। माननीय गोस्वामी जी के पास सबूत काफी है। मिलने-जुलने की बात तो होनी चाहिये, लेकिन उसके आधार पर सख्त से सख्त कार्यवाही माननीय मुख्य मन्त्री को करनी चाहिये तभी वह परिपाटी बन्द होगी।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि अगर करप्शन है तो उस अफसर के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, माननीया मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि कोई ऐसी बात होगी तो कार्यवाही की जायेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस सदन का एक आदरणीय सदस्य इस प्रकार की शिकायत करता है, तो उसकी शिकायत पर उस आफिसर को तुरन्त सस्पेंड करके उसकी जांच करनी चाहिये। हाऊस के सामने जब एलीगेशन्स आ गये, तो हम इस प्रकार का माननीया मुख्य मन्त्री जी से आश्वासन चाहते हैं कि तहसीलदार को सस्पेंड करें और तब उसकी जांच करें।

खोई हुई जायदाद की वापसी

*४—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जैसा ऐनुअल रिपोर्ट आफ दी स्टेट आफ उत्तर प्रदेश १९६१–६२ वाल्यूम के पृष्ठ संख्या १७ पर जो लिखा है कि ५७९ (पांच सौ उन्नासी) लोगों को उनकी खोई हुई जायदाद वापस की गयी तो १९६१–६२ में कुल जायदाद के खोने की संख्या क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न में उल्लिखित रिपोर्ट में जो खोई हुई जायदाद की वापसी के मामलों की संख्या ५७९ दी हुई है वह केवल वर्ष १९६१ की ही है। उक्त वर्ष में जायदाद के खोने के कुल मामले की संख्या ४७१० थी।

झांसी कोतवाली की इमारत में दरारें

*५—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी) —

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी शहर पुलिस कोतवाली कितने लाख रुपये में किस माह और किस सन् में बन कर तैयार हुई ? और क्या यह भी सत्य है कि कोतवाली की दीवारें बनने के बाद ही जगह-जगह से फट गई हैं और बरसात में बुरी तरह छतें चूती भी हैं ? यदि हां, तो किस-किस की देख-रेख में कोतवाली का निर्माण हुआ था और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

झांसी शहर पुलिस कोतवाली की नई इमारत (non-residential) १,८५,९६८ रु० (एक लाख पिच्चासी हजार नौ सौ अढ़सठ रुपये) की लागत पर १९६० में बनकर तैयार हुई व मई १९६० में पुलिस विभाग के अधिकार में आई।

यह सत्य है कि इमारत की दीवारों में जगह-जगह दरारें आ गयीं और छतें चूती भी थीं। यह इमारत सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की देख-रेख में बनाई गई। सरकार ने शिकायतें आने पर टेक्निकल सैल (विशेषज्ञों) द्वारा जांच कराई। त्रुटियों का निवारण कराया गया।

श्री लखपतराम शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, उस कोतवाली की हालत आज भी यह है कि वह किसी भी समय गिर सकती है और माननीय मन्त्री जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वहां पर दीवारों में दरारें पड़ गयी हैं और वह फट गयीं हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं मन्त्री जी से कि जिन लोगों की देख रेख में यह इमारत बनी, उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की, और अगर की, तो क्या ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

इसकी जांच करायी गयी है, और जांच की जो रिपोर्ट आयी है उससे अभी मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं। इसलिये इसकी फिर से जांच कराऊंगा दूसरे अधिकारियों के द्वारा।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

जब उत्तर में यह स्वीकार किया है कि दीवारें फट गयीं, तो जांच किस बात की करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि मैं फिर से जांच कराऊंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसका ठेका किसको दिया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

हां, एक ठेकेदार के द्वारा यह कार्य हुआ है। जब उसकी दीवारें फट गयीं तो उसकी जांच करायी गयी। लेकिन उसकी रिपोर्ट से मैं असंतुष्ट हूं, इसलिये दूसरी जांच कराऊंगा।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

जब आप संतुष्ट नहीं हैं तो इतना तो आपने देखा ही है कि दीवारें फट गयी हैं, तो फिर ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री अध्यक्ष---

एक बात अर्ज कर दूं। वह फर्दर इन्क्वयारी कर रहे हैं। अब आप यह कह सकते हैं कि इन्क्वायरी कर लें तो आपको उसकी रिपोर्ट दें।

श्री लखपतराम शर्मा---

सन् १९६० में जब कोतवाली बनी थी उस वक्त एस० पी० ने यह इत्तला दी थी कि वह सिपाहियों और अफसरान के रहने के काबिल नहीं हैं, बनने के साथ ही उसकी दीवारें फट गयीं हैं, तो फिर पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? मैं चेलेंज करता हूं कि उसमें जो सीमेंट और मसाला लगाया गया है वह प्रेस्काइब्ड से आधा भी भी नहीं लगा ?

श्री अध्यक्ष---

आप पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं। पहले आप यह तो पूछिये कि एस० पी० ने क्या यह रिपोर्ट दी थी कि वह बिल्डिग रहने के काबिल नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा---

क्या सरकार को झांसी के एस० पी० ने ऐसी रिपोर्ट दी थी कि वह बिल्डिग रहने के लायक नहीं है लोगों के जन-जीवन की उसमें सुरक्षा नहीं है। यदि हां, तो ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

यह सूचना मेरे पास नहीं है। टेक्नीकल रिपोर्ट के आधार पर कुछ ऐसी मरम्मत कर दी गयी है कि उसके गिरने का कोई डर नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

१९६० में जब यह बिल्डिग बन कर तैयार हो गयी और पुलिस को हैण्ड ओवर की गयी तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने उनको यह लिखकर दिया था कि वह ठीक हालत में पायी गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

ऐसी किसी दस्तावेज की लिखा-पढ़ी होती है, इसका तो मुझे पता नहीं है लेकिन यह पता है कि जब यह बिल्डिग पुलिस को हैंड ओवर की गयी तो उसके बाद उसकी दीवार फट गयीं। उसके बाद दीवारें फटने के बारे में जांच करायी गयी। उस बारे में टेक्नीकल एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दी है, उसके बारे में भवन को मैंने अवगत कराया कि मैं उससे स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूं, लिहाजा दूसरी जांच कराऊंगा।

श्री जे० पी० मिश्र—

क्या सरकार इस बात के लिये तैयार है कि जिन इंजीनियर्स और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के सुपरविजन में यह कोतवाली बनी थी और उसके बाद सुपरिन्टेंडेंट पुलिस ने यह रिपोर्ट की कि यह बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं है, क्या सरकार कोई ऐक्शन लेने के लिये तैयार है जिससे उत्तर प्रदेश पी० डब्ल्यू० डी० का करप्शन रेकेट समाप्त हो ?

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि फिर से जांच करायी जायगी ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

बिल्डिंग बनायी गयी और वह टूट गयी तो उस ठेकेदार को जिसके द्वारा वह बिल्डिंग बनायी गयी थी, क्या उसको ब्लेक लिस्ट किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

इसका सम्बन्ध पी० डब्ल्यू० डी० से है न कि गृह मन्त्री जी से ।

श्री लक्ष्मीराम शर्मा—

मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात की जांच करायेंगी कि कोतवाली के बनने के सम्बन्ध में जो मसाला आदि लगना चाहिये था वह आधा भी नहीं लगाया गया जिस की वजह से उसकी दीवारें फट गयीं और छत खराब हो गयीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी जांच कराई गई है कि उसमें लिखा है कि घटिया सामान स्पेसिफिकेशन से लोअर लगाया गया लेकिन जो भी कारण दिये हैं उससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं इसलिये फिर जांच कराई जायगी ।

गांव सभा, दादूपुर के सभापति श्री भगवानदास की गिरफ्तारी

*६—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के सी० ओ० पुलिस, श्री राजमोहन ने एक डी० ओ० नं० जी० आर० ४३१, जुलाई, ९/१२ सन् १९६३ को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (ई) वाराणसी को एक फाइल जो परगना हाकिम उत्तरी वाराणसी के यहां गांव सभा दादूपुर ब्लाक बड़ागांव के सभापति के खिलाफ जांच में थी, उसे मांगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां ।

*७—श्री ऊदल तथा श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एडिशनल मैजिस्ट्रेट (ई) ने परगना हाकिम उत्तरी के डी० ओ० नं० १६८-एस० डी० ओ० (एन०) के साथ ओरिजिनल फाइल दफा ४२०–४०९, आई० पी० सी० में मुकदमा दर्ज करने के लिये सी० ओ० के पास १ अगस्त, १९६३ को भेज दिया और सी० ओ० ने बड़ा गांव पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और २ अगस्त, १९६३ को रिपोर्ट लिखकर सभापति को गिरफ्तार बड़ागांव की पुलिस ने किया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी कि ऐसी कार्यवाही क्यों की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, उक्त फाइल सर्किल अफिसर को भेज दी गई थी। थाना बड़ागांव में भारतीय दण्ड विधान की धारा ४२०/४०६ के अन्तर्गत एक मुकदमा गांव सभा दादूपुर के सभापति के विरुद्ध कायम हुआ और पुलिस ने सभापति, श्री भगवानदास को ४ अगस्त, १९६३ को गिरफ्तार किया जो बाद में जमानत पर छूट गये।

सर्किल अफसर ने, सभापति के विरुद्ध प्राप्त गांव सभा के धन के दुरुपयोग तथा गबन के आरोपों की जांच के सम्बन्ध में परगनाधीश के यहां से फाइल मंगवाई थी। पुलिस द्वारा प्रधान के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के जांच हो रही है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह परगना हाकिम उत्तरी के यहां जो जांच हो रही थी वह पंचायत राज अधिनियम की धारा ९५ (ई०) के मातहत हो रही थी और उनका कोई अन्तिम आर्डर नहीं हुआ कि प्रधान दोषी है या नहीं परन्तु इसके खिलाफ सी० ओ० राजमोहन ने चिट्ठी लिखकर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये, तो क्या कलेक्टर के भी आदेश थे और उन्होंने किस कानून के अन्तर्गत डी० ओ० लिखकर मिसिल को मांगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पुलिस में जब यह रिपोर्ट हुई कि उन्होंने गांव समाज के धन का गबन किया है, दुरुपयोग किया है तब पुलिस ने विभाग की कार्यवाही के लिये फाइल देखने को मांगी।

श्री ऊदल—

क्या मन्त्री जी उस फाइल को देखने की कृपा करेंगे कि पुलिस ने फाइल नहीं मांगी बल्कि ए० डी० एम० (ई०)ने ४२०/४०६ का मुकदमा दर्ज करने का फाइल पर आदेश दिया, तो सस आर्डर देने का कारण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसका कारण यही हो सकता है कि उन्होंने समझा कि गबन किया है।

श्री ऊदल—

पंचायत राज ऐक्ट की धारा ५९ के अन्तर्गत जांच हो रही थी और परगना हाकिम उत्तरी ने गबन की रिपोर्ट नहीं दी और बाकायदा २० जून, १९६१ से परगना हाकिम मिसिल की जांच कर रहे थे और उन्होंने जांच पूरी होने से पहले ही कोई रिपोर्ट भी नहीं दी तो बिना परगना हाकिम की रिपोर्ट के कि वह जुर्मी हैं और गबन किया है ए० डी० एम० (ई०) ने कैसे ४२०/४०६ का आदेश दे दिया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह जूडिशियल प्रोसीडिंग नहीं थी वह चूंकि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग थी और जब एस० पी० के यहां रिपोर्ट आई तो उन्होंने मांग की कि जांच के लिये फाइल चाहिये, उस को मंगा कर देखा और वापस कर दिया।

श्री ऊदल—

क्या मन्त्री जी इसकी पुन : जांच करायेंगे कि पुलिस के यहां कोई दरख्वास्त नहीं पड़ी ? उसी दरख्वास्त पर जो परगना हाकिम.....

श्री अध्यक्ष—

आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री ऊदल—

कोई दरख्वास्त पुलिस के यहां नहीं पड़ी ४२०/४०९ का मुकदमा कायम करने की। उसी मिसिल पर जो एस० डी० एम० (एन) की जांच में चल रही थी उसी पर ४२०/४०९ की कार्यवाही कैसे हो गई ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं इसको देखकर कार्यवाही की गई। अब यह दूसरी चीज है कि वह गलती हुई हो।

श्री ऊदल —

मन्त्री जी इस मामले में जांच करायेंगे और जिन लोगों ने अदालत को जाल बट्टा और बनिये की दकान बना लिया है जैसे सी० ओ०, ए० डी० एम० (ई०) और एस० डी० एम० (एन०) के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अगर कोई अनुचित कार्यवाही की गई हो तब तो उसकी जांच की जा सकती है, सजा दी जा सकती है। इसमें मुझे कोई अनुचित कार्यवाही दिखाई नहीं पड़ती।

श्री कल्पनाथसिंह—

ए० डी० एम० (ई०) से किस आदमी ने रिपोर्ट की, किस आधार पर लिख कर एस० पी० को भेजा ? अगर उन्होंने नहीं भेजा तो एस० पी० के यहां किसने रिपोर्ट की, किस एफ० आई० आर० के आधार पर कार्यवाही शुरू की गई जिसके आधार पर मुकदमा कायम हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाना बड़ागांव में रिपोर्ट दर्ज है। एस० पी० ने ए० डी० एम० (ई) को लिखा कि वह फाइल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में आपके यहां है वह मैं इस सिलसिले में देखना चाहता हूं। तब उन्होंने उनको यह फाइल भेजी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं जानना चाहता हूं कि जो एस० पी० या सी० ओ० के यहाँ से डी० ओ० इस सम्बन्ध में गया उसमें क्या यह बात दर्ज थी कि हमें उनके खिलाफ मुकदमा चलाना है और उस मुकदमें की धारायें निश्चित करके भेजिये। क्या इस प्रकार की बात लिखी थी ?

श्री अध्यक्ष—

क्या मंशा है आपके पूछने की माननीय ऊदल की यह मंशा है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार या अनुचित बात हुई है जिसकी वजह से एक आदमी को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने लिखकर भेजा कि वह देखना चाहते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो यह लिख कर भेजा गया कि इन धाराओं में मुकदमा चलाया जाय यह किस आधार पर लिखा गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

एस० पी० ने यह लिखा कि ४२०।४०९ में एक केश इनके खिलाफ रजिस्टर करना है फलां थाने में। एक गांव समाज का रुपया यह खा गये हैं और इसलिये इस फाइल को देखना चाहते हैं।

श्री ऊदल —

मन्त्री जी मेरी प्रार्थना पुनः स्वीकार करेंगे, मैं बताना चाहता हूं कि थाने में जो रिपोर्ट दर्ज है वह ए० डी० एम० (ई) के सी० ओ० को आर्डर के बाद सी० ओ० के हुक्म से दर्ज हुई, क्या इसकी जानकारी मन्त्री जी को है ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

वही कह रहे हैं ?

श्री ऊदल —

मेरा मतलब यह है। माननीय मन्त्री जी ने यह कहा था कि थाने में रिपोर्ट दर्ज है..

श्री अध्यक्ष—

नहीं, नहीं। जो उन्होंने पढ़ कर सुनाया ...

श्री ऊदल —

श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि इसमें फिर से सरकार जांच करा ले।

श्री हरगोविन्दसिंह—

अदालत के सामने तो जांच हो रही है। अदालत में मामला पहुंच गया है।

श्री ऊदल —

श्रीमन्, न तो चार्ज शीट ही लगी है और न मामला अदालत में ही पहुंचा है। सबसे पहले ए० डी० एम० ने किस आधार पर लिया ?

(उत्तर के लिये मन्त्री को नहीं बुलाया गया।)

श्री कल्पनार्थीसिंह—

अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल रही थीं तो ए० डी० एम० और एस० पी० कहां से कूद गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

दिनांक ३१ मई, १९६३ को दरख्वास्त पड़ी थी उनके खिलाफ कि ये रुपया खा गये। इतनी जमीन अपने नाम कर ली इत्यादि। एस० डी० एम० के यहां एक दरख्वास्त दिनांक, ३१ मई, १९६३ को पड़ी जिस पर जांच हो रही थी। उसी बीच में उन्हीं लोगों ने एस० पी० को एप्रोच किया कि यह खयानत की, ४०९।४२० दफा में । एस० पी० ने ए० डी० एम० (ई) के पास लिखकर भेजा कि यह केस हमारे पास आया है लिहाजा आपके पास जो डिपार्टमेंटल फाइल चल रही है उसको देखना चाहते हैं। वह उन्होंने देखी कि उसके खिलाफ रिपोर्ट हुई और वह मुकदमा तफतीश में चल रहा है।

श्री ऊदल —

मुझे खेद है कि मैं माननीय मन्त्री को नहीं समझा पा रहा हूं। मेरा कहना यह है कि सी० ओ० पुलिस फाइल को मंगाकर मुकदमा दर्ज करने की बात तो कर सकते हैं लेकिन इसमें तो जाल बटटा मुझे दिखाई देता है। माननीय मंत्री जी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि सफाई के रूप में बतायें कि उन्होंने डी० ओ० लिखकर फाइल मंगाई और ए० डी० एम० ने ४०९/४२० के मातहत किस आधार पर मुकदमा दायर किया।

श्री हरगोविन्दसिंह —

एस० पी० ने लिखकर भेजा कि ये तो वाकयात हैं उनमें ४२०/४०९ का मुकदमा बनता है। मैं देखना चाहता हूं कि ठीक है या नहीं।

"संसद को याचिका" न्यूज-रील

*८—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन सिनेमा घरों में गत १३ सितम्बर, १९६३ के दिल्ली के कम्युनिस्ट प्रदर्शन के चल-चित्र दिखाये जाने की सूचना खुफिया विभाग तथा डी० आई० एस० ने सरकार को दी है? उक्त चल-चित्र का निर्माता कौन है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

अनुमानत: माननीय सदस्य प्रश्न में न्यूज-रील "भारतीय समाचार दर्शन (Indian News Review)" की संख्या ७८० में सम्मिलित, संसद को याचिका (Petition to parliament), नामक शीर्षक का उल्लेख कर रहे हैं। यह न्यूज-रील उत्तर प्रदेश के किसी भी सिनेमा घर में प्रदर्शित नहीं की गई है।

उक्त न्यूज-रील भारत सरकार के फिल्मस् डिवीजन द्वारा निर्मित की गई थी।

*९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

उत्तर प्रदेश सिनेमाघरों में उक्त चल-चित्र कब से कब तक दिखाये गये और उसे बन्द करने का आदेश क्यों दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जैसा आपने कहा, क्या इस तरह से उस न्यूज-रील को जिस तरह भारतीय समाज प्रदर्शन द्वारा सारे हिन्दुस्तान में दिखाया गया उसी तरह से दूसरी पार्टी के प्रदर्शन की न्यूज-रील भी विभिन्न सिनेमाओं में दिखायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ये न्यूज-रील हमने नहीं बनवायी हैं। जब ये न्यूज-रील दिखायी गई तो उसमें देखा कि कुछ कमी है तो उन्होंने विदड्रा कर ली। न तो हमारे प्रदेश की ये रीलें हैं और न हमने दिखायी हैं। अतः इस प्रकार से दिखाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

इस प्रदेश के किसी भी सीनेमाघर में यह न्यूज-रील नहीं दिखायी गई तो क्या यह सही है कि न्यूज-रील दिखाने से पहले सिनेमाघरों में आदेश दे दिये गये थे कि उपरोक्त न्यूज-रील किसी सिनेमाघर में प्रदर्शित न की जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

भारत सरकार ने यह न्यूज-रील विदड्रा कर ली चलाने के पहले ही।

बदायूं जिले में शुगर प्लांट के लिये ऋण

*१०—श्री सूरज पाल सिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शुगर प्लान्ट के लिये जिला बदायूं में किस-किस को सन् १९५२ ई० से अब तक कितना रुपया तकावी के रूप में और कितना रुपया इमदाद के रूप में दिया जा चुका है और उक्त रुपया में से किस-किस से कितना वसूल हो चुका है, कितना किस-किस पर माफ हो चुका है और कितना किस-किस पर शेष है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

जिला बदायूं में सन् १९५२ से अब तक शुगर प्लान्ट के लिये कोई भी रुपया तकावी के रूप में नहीं दिया गया है। यू० पी० फाइनेन्शियल कारपोरेशन, कानपुर द्वारा तीन व्यक्तियों को १,१०,००० रुपया का ऋण स्वीकार किया गया जिसमें से १,०७,२५० रु० वितरित किया गया, वितरित रुपये की वसूलयाबी, बाकी, माफी का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५० पर)।

* * * *

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या १३ व १४।

श्री भगवानसहाय—

आपकी लिस्ट में प्रश्न संख्या १० दिया हुआ है फिर १३ दिया हुआ है तो ११ और १२ का सवाल कहां गये और किसकी आज्ञा से हटाये गये ?

श्री अध्यक्ष—

पहले १३ व १४ में लिये लेता हूं। इसके बारे में बाद में बतला दूंगा।

हरिजन छात्रावासों के लिए सहायता

*१३—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर और बांदा के अन्तर्गत विकास योजना काल में कितने और कहां-कहां हरिजन छात्रावास बनाये गये और कितनों के निर्माण कार्य में कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

सरकार द्वारा कोई हरिजन छात्रावास नहीं बनाया गया। आर्थिक सहायता सम्बन्धी सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५१ पर)

*१४—श्री शिवनाथसिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त छात्रावासों की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार से प्रति वर्ष कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इन छात्रावासों की व्यवस्था हेतु कोई वार्षिक सहायता नहीं दी जाती।

नोट—प्रश्न ११–१२ कार्यसूची पर न थे।

श्री शिवनाथसिंह—

विभिन्न स्कूलों को जो आर्थिक सहायता दी गई वह किसी स्कूल के प्रिंसिपल को अथवा मैनेजिंग कमेटी को दी गयी और उसका आडिट कराया गया या नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो सहायता दी जाती हैं वह मैनेजिंग कमेटी को दी जाती है ।

श्री उग्रसेन—

छात्रावासों के लिये जो सहायता दी गयी उससे कुछ छात्रावास बन गये या नहीं बने ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अनेक छात्रावास बन रहे हैं और बन गये हैं ।

श्री उग्रसेन—

प्रश्न में जो जिले दिये हैं मैं उनकी बाबत पूछ रहा हूं कि उसमें कितने छात्रावास बन गये हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

(१) बी० एन० बी० हरिजन होस्टल, राठ, हमीरपुर ।
(२) रविदास मंदिर, राठ हमीरपुर ।
(३) जनतंत्र हरिजन छात्रावास, कुल पहाड़, हमीरपुर ।

श्री अध्यक्ष—

क्या लम्बी लिस्ट है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

१५, २० हैं ।

श्री अध्यक्ष—

तो मत पढ़िये ।

श्री झारखण्डेराय—

भारत सरकार की नीति हरिजन छात्रावासों को अलग बनाने की क्योंकर है जब कि हरिजन छात्रावासों को अलग बनाने से जाति भेद बढ़ने की संभावना है और जो अलगाव है समाज में वह कायम रहेगा ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

प्रदेशीय सरकार की नीति हरिजन छात्रावासों को अलग बनाने की नहीं हैं । तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा ६१-६२ में सरकार की ओर से छात्रावास बनाये गये हैं और इन चार जिलों में जैसा कि प्रश्न किया गया है उसकी तालिका संलग्न है । जहां तक कि हरिजनों का प्रश्न है वे और होस्टल्स में भी रह सकते हैं अन्य छात्रों के साथ और अलग से उनके लिये होस्टल बनाने की आवश्यकता नहीं हैं । लेकिन यह देखा जाता है कि हरिजन छात्र चूंकि निर्धन होते हैं औरों की अपेक्षा लिहाजा उसी तरह से अन्य छात्रों के साथ होस्टल में रह कर वे पैसे को खर्च नहीं कर सकते । इसलिये वे अलग होस्टल में रह कर अपने घर से भी सामान ला कर थोड़ा सा पैसा खर्च करके रह सकते हैं । इसलिये उनके लिये अलग होस्टल की आवश्यकता पड़ती है । इन्हीं सिद्धान्तों को सामने रख कर भारत सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो १६ लाख रुपया इस प्रान्त को दिया है उसमें करीब १६० होस्टल की व्यवस्था की गयी है ।

श्री झारखण्डेराय—

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि गरीबी के कारण हरिजन छात्र अन्य छात्रों के साथ होस्टल में संभवतः नहीं रह सकते हैं इसलिये उनके लिये ऐसी व्यवस्था की गयी है। तो फिर 'हरिजन छात्रावास' नाम न रख कर इनका निर्धन छात्रावास नाम रखा जाय जिसमें कि सभी बिरादरी के लोग रह सकें, इसमें सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह तो एक अखिल भारतीय नीति के अनुसार काम होता है कि हरिजनों की कैसे मदद की जाय। हरिजनों के लिये बहुत सी चीजों में खास इन्तजाम इसी उम्मीद से है कि धीरे-धीरे जो उनमें पिछड़ापन है वह दूर हो जायगा और सबकी बराबरी कर सकेंगे। हरिजनों के लिये कोई बन्दिश दूसरे होस्टल में भरती होने में नहीं है। इसलिये सेपरेशन वाली बात जो आपने कही वह नहीं उठती है। यह तो उनकी खास मदद करने के लिये अलग होस्टल रखे हैं। अगर ऐसा समय आयेगा कि उनकी कोई खास मदद करने की जरूरत नहीं है तो फिर ये होस्टल भी उठा देंगे, मगर आपके आर्गुमेन्ट्स ठीक नहीं हैं।

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी ने कहा कि इन कमेटियों को पैसा दे दिया जाता है। तो हरिजनों को विशेष सुरक्षा दी जाय उनके उत्थान के लिये इस बात को देखते हुये क्या सरकार पूरे प्रदेश में एक योजना बना कर हरिजनों के लिये स्वयं छात्रावास बनवा देगी ?

डाक्टर सीताराम—

इसके लिये योजना है।

श्री लखीसिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेगी कि 'हरिजन' की परिभाषा क्या है ?

(उत्तर देने के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या यह सत्य है कि फतेहपुर जिले के लिये जो १० हजार रुपये की ग्रांट हरिजन छात्रावास बनाने के लिये दी गयी है उससे हरिजन छात्रावास न बनाकर के स्कूल की बिल्डिंग बनायी जा रही है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि प्रत्येक जिले में जो सामान्य छात्रावास है उनमें हरिजनों के लिये खाने की व्यवस्था अलग हो रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

ऐसी कोई कम्पलेंट सरकार के पास नहीं आयी है, लेकिन मैं इसको नोटिस मान कर जांच करा लूंगा।

श्री शिवनार्थसिंह—

जो रुपया संलग्न तालिका में दिया गया है उससे छात्रावास न बनाकर दूसरे उपयोग में लाया जाता है और वहां इस तरह का कोई छात्रावास नहीं बनाया गया, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अभी तक जितनी रिपोर्ट आयी हैं उसमें केवल छात्रावासों का ही उत्तर आया है। यदि माननीय सदस्य किसी एक स्थान के लिये लिख कर देंगे तो उसकी अवश्य जांच होगी।

बलरामपुर राज्य में ट्रस्ट

*१५—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा) तथा श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व तथा पश्चात् गोंडा जिले के बलरामपुर राज में कितने ट्रस्ट बने और उक्त ट्रस्टों के अलग-अलग कुल कितनी सम्पत्ति निहित की गई है और प्रत्येक ट्रस्ट में निहित सम्पत्ति की वार्षिक आय क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जमींदारी उन्मूलन के पूर्व १७ ट्रस्ट बने और उसके पश्चात् केवल एक ट्रस्ट बना। इनमें लगी हुई सम्पत्ति तथा वार्षिक आय का ब्यौरा संलग्न तालिका १ व २ में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३५२–३५४ पर)

*१६—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल तथा श्री शीतलप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ट्रस्टों के प्रबन्ध पर नियमानुकूल व्यय हुआ है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां। व्यय की सूचना भी संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३५२–३५४ पर)

श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो तालिका दी हुई है उसमें आमदनी से ज्यादा खर्चा दिखाया गया है ? इसके क्या कारण हैं और किस प्रकार इसको पूरा किया जाता है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

वह तो प्रबन्ध समितियों ने अपने अधिकार से किया होगा।

श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ट्रस्ट बने हैं इनके मैनेजर कौन साहबान हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

हर ट्रस्ट का चेयरमैन जिलाधीश होता है, मैनेजर नहीं।

सुरक्षा फंड के लिये मंत्रियों की घोषणा

*१७—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि गत वर्ष चीनी अतिक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये सुरक्षा फंड के लिये कुछ माननीय मंत्रियों, उपमंत्रियों, सभा सचिवों ने अपनी मासिक सेलरी, दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता से पूरा या कुछ अंश मासिक देने की घोषणा सदन में की थी ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित उपरोक्त महानुभाव अपनी घोषणा का पूरी प्रकार से निर्वाह कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन ?

नोट—तारांकित प्रश्न १६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१ नवम्बर, १९६२ को श्री बनारसीदास सूचना मंत्री ने १,००० रुपया सुरक्षा फंड में देने की घोषणा की थी और उक्त धनराशि उन्होंने मुख्य मंत्री को चक द्वारा भेज दी थी। उपमंत्री श्री हमवती नन्दन बहुगुणा ने भी अपने वेतन से सौ रुपये मासिक देने की घोषणा की थी जो उन्होंने दिसम्बर, १९६२ से जुलाई, १९६३ तक वेतन से दिया। उसके पश्चात् श्री बहुगुणा ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया इस कारण से यह कटौती बन्द हो गयी। २ नवम्बर, १९६२ को श्री धर्मसिंह उपमंत्री न अपने एक मास के वेतन देने की घोषणा की थी तथा यह रकम उन्होंने मुख्य मंत्री के चेक द्वारा भज दी थी।

आजमगढ़ जिले में हरिजन छात्रावास

*१८—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने हरिजन होस्टल हैं और उनकी व्यवस्था किस प्रकार चल रही है ?

डाक्टर सीताराम—

२ हरिजन होस्टल हैं। इनकी व्यवस्था इन संस्थाओं की प्रबन्ध समितियां कर रही हैं।

*१९—श्री सुरजनराम विशारद—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय इन होस्टलों में कुल कितने छात्र हैं ?

डाक्टर सीताराम—

७५।

भदोही तहसील के हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*२०—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा वाराणसी जिले की भदोही तहसील के जूनियर व प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति व पुस्तकीय सहायता हतु दिनांक २९ सितम्बर, १९६३ को अन्तरिम जिला परिषद् वाराणसी द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा प्रदेशीय सरकार से मांग की गई है ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। उक्त प्रस्ताव पर अलग से कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि प्रस्ताव की प्रतिलिपि अथवा उसके सम्बन्ध में कोई अन्य पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ था।

*२१—श्री हरिगैनराम—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की भदोही तहसील में पढ़ने वाले जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी पाठशालाओं के हरिजन छात्राओं को १९६३-६४ में सरकार सहायता देने को विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। इस सम्बन्ध में जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी को आदेश भेजे जा चुके हैं कि भदोही तहसील के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था करें।

इलाहाबाद में मुट्ठीगंज थाने के पीछे रहने वाले हरिजन

*२२—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद नगर में थाना मुट्ठीगंज के भवन के पीछे दीवाल बढ़ाकर भोजनालय के लिये स्थान निकाला गया है, जिस से वहां के रहने वाले हरिजनों का मार्ग समाप्त हो गया है तथा उठने-बैठने का स्थान छिन गया है। यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर हरिजनों का स्थान वापस कराने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाना मुट्ठीगंज, जिला इलाहाबाद के कर्मचारियों के भोजनालय के लिये ४०–५० वर्षों से थाने के दक्षिण में दो कच्चे कमरे बने हुये हैं। थाने के पीछे जो हरिजन रहते हैं उनके आने जाने का रास्ता पश्चिम की तरफ अहियापुर की गली में है। हरिजनों का मार्ग सरकार ने नहीं लिया है। अतः उसके वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

नायब थानेदार, मधुबन के विरुद्ध जांच

*२३—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिवाह इब्राहीमाबाद, जिला आजमगढ़ के कुछ ग्रामीणों ने २२ मार्च, १९६३ को उन्हें और जिलाधीश आजमगढ़ के यहां आवेदनन-पत्र नायब थानेदार, मधुबन के विरुद्ध दिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की शिकायतें लिखी गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और परिणाम क्या हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। इस आशय का आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था। इसकी जांच थानाध्यक्ष मधुबन द्वारा कराई गई और जांच से आरोप सही नहीं पाये गये।

*२४—श्री बांकेलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री उक्त प्रार्थना-पत्र एवं प्रार्थियों के बयानों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिन्हें प्रार्थियों ने जांच करने वाले अफसर के सामने बयान के रूप में दिया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थियों के बयान का रिकार्ड खो गया है। अतः इसकी प्रतिलिपि संलग्न करना संभव नहीं है। सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कागज खो जाने के सम्बन्ध में जिम्मेदारी स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३५५ पर)

वाराणसी जिले में हरिजनों को सहायता

*२५—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में अब तक बीते वर्षों में हरिजन सहायक विभाग द्वारा कितना रुपया कूप निर्माण, बस्ती निर्माण, खेती सम्बन्धी, उद्योग सम्बन्धी तथा और दूसरे कार्यों के लिये हरिजनों, अनुसूचितों (मुसहरों कंजड़ों) के लिये सरकार ने अनुदान के रूप में दिया है और उसमें कितना-कितना किन-किन मदों में खर्च हुआ और कितना रुपया बच गया है ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३५६ पर)

*२६—श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल—

क्या यह सत्य है कि रुपया इसलिये नहीं खर्च हुआ है कि खेती के लिये जमीन न मिलने से दल्लीपुर, ताड़ी, देवराई, मंगारी, घोंघली, बसतपुरा, कूड़ी, बड़ागांव, बेलारी, खरगपुर, पिंडरा की मुसहरों की बस्तियां तहसील वाराणसी में नहीं बनायी जा रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । कृषि योग्य भूमि न प्राप्त होने के कारण पुनर्वास योजना में कोई प्रगति नहीं हुई । उक्त क्षेत्रों की मुसहर बस्तियों के लिये पुनर्वास योजना के अन्तर्गत कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है । प्रयास किया जा रहा है कि जहां पर भी जमीन प्राप्त हो वहां विमुक्त जातियों को जिनमें मुसहर तथा कंजड़ भी शामिल हैं, बसाने की चेष्टा की जाय । बड़ागांव विकास क्षेत्र में कुछ भूमि उपलब्ध है, जिसमें इस योजना को चलाने का प्रयास किया जा रहा है ।

राइफल क्लब, कालपी

*२७—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में राइफल क्लब की स्थापना है ? यदि हां, तो वहां के पदाधिकारी कौन-कौन हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस समय कालपी जिला जालौन में एक राइफल क्लब स्थापित है । यह क्लब हिन्दी विद्यार्थी सम्प्रदाय, हिन्दी भवन, कालपी द्वारा संचालित है जो एक प्राइवेट संस्था है । इस क्लब के अध्यक्ष श्री परिपूर्णानन्द, प्रधान मंत्री श्री मोतीचन्द तथा सहायक मंत्री श्री चन्द्रभान विद्यार्थी हैं ।

उरई में इस समय विधिवत् रूप से कोई राइफल क्लब की स्थापना नहीं है । वहां सन् १९५७ में एक राइफल क्लब स्थापित किया गया था । बाद में इसका नाम सिविलियन राइफल ट्रेनिंग सेन्टर कर दिया गया परन्तु यह संस्था राइफल क्लब के रूप में ही चलती रही । इस संस्था के नाम को फिर से राइफल क्लब में परिवर्तित करने के लिये रजिस्ट्री कराई जा रही है और रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात् इसका विधिवत संचालन किया जायेगा ।

इस क्लब के अध्यक्ष जिलाधीश, उपाध्यक्ष पुलिस अधीक्षक और मंत्री तथा कोषाध्यक्ष एक डिप्टी कलेक्टर हैं ।

सहकारिता योजनान्तर्गत समाचार-पत्र

*२८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सहकारिता योजना के अनुसार इस समय कितने समाचार-पत्र चालू हैं तथा सरकार की ओर से उन समाचार पत्रों को किस-किस रूप में कितनी-कितनी सहायता दी जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चार । सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी जा रही है ।

*२९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में १९६०–६१, १९६१–६२ तथा १९६२ जुलाई, १९६३ तक कौन-कौन समाचार पत्र के प्रकाशन पर सरकार की ओर से रोक लगायी गयी तथा उन समाचार-पत्रों के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशन पर रोक नहीं लगाई गई । अतएव उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली हवाई अड्डे में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*३०—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में हवाई अड्डे के निर्माणार्थ किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गयी है तथा कृषकों को उनका मुआवजा अब तक न देने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बरेली में हवाई अड्डे के निर्माण के लिये जिन-जिन ग्रामों की भूमि अधिग्रहण की गई हैं उसकी सूची निम्न प्रकार है :—

ग्राम	भूमि जो अधिग्रहण की
	एकड़
हाजीपुर बजलाल	३०.२१
भूड़ा ,, ...	१४.२१
करमपुर चौधरी	६.५६
कन्जा दास पुर	३.८१
पीर बहोड़ा	२१९.९०
चांवर	२१५.१९
नगरिया कलां	३६१.३६
योग ..	८५१.२४

जिन लोगों की भूमि ली गई है उन सभी को मुआवजा दिया जा चुका है ।

× × ×

लखनऊ में पुराने कांस्टेबिल

*३२—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में कितने ऐसे कांस्टेबिल व हेड कांस्टेबिल हैं जो बराबर २० वर्ष से लखनऊ में तैनात हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कुल ६७ कान्सटेबिल ऐसे हैं जो लखनऊ शहर में बराबर २० वर्ष से तैनात हैं । इनके नाम संलग्न सूची में दिये हैं ।

इस समय कोई भी हेड कान्सटेबिल बराबर २० वर्ष से लखनऊ शहर में तैनात नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३५७ पर)

नोट—प्रश्न ३१ कार्य सूची पर न था ।

बुलन्दशहर जिले में गंगासरन की मृत्यु के संबंध में पुलिस के विरुद्ध इस्तगासा

*३३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गंगासरन, ग्राम सलेमपुर, थाना शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर को २७–२८ सितम्बर, को पुलिस ने पेड़ से बांध कर गोली मार दिया ? यदि हां, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस संबंध में मृतक गंगासरन की पत्नी ने एक इस्तगासा पुलिस के विरुद्ध धारा १४८/३०२ भा० दं० विधान के, अन्तर्गत दायर कर दिया है जो न्यायालय में विचाराधीन है । अतः प्रश्न की विषयवस्तु पर प्रकाश डालना उचित न होगा ।

मलाकराज बस्ती, इलाहाबाद में पुलिस अत्याचार की शिकायत

*३४—डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या २१ सितम्बर, की रात ग्यारह बजे इलाहाबाद शहर के मलाकराज बस्ती (रामबाग स्टेशन के पास) में जी० आर० पी० के करीब पच्चीस व्यक्तियों ने घरों में घुस कर स्त्रियों को पीटा और अपशब्द कहकर पूरी बस्ती में आतंक फैला दिया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई ।

*३५—डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

क्या गृह मंत्री को स्थानीय विधायक ने इसकी जांच कराने का अनुरोध करते हुये लिखित सूचना दी थी ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, मामले की जांच से शिकायत सही नहीं पाई गई ।

घाटमपुर तहसील में मन्दिर दुरव्यवस्था के विरुद्ध साधुओं द्वारा अनशन

*३६—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम मकरन्दपुर में धार्मिक प्रवृत्ति से प्रभावित सर्वश्री महेन्द्रप्रताप तिवारी, मन्नीलाल, दो सन्तों तथा दो ग्राम की सभ्रान्त महिलाओं ने दिनांक १७ अक्तूबर, १९६३ से ग्राम स्थित राधाकृष्ण मन्दिर की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने से क्षुब्ध होकर सरवराकार, श्री जयदेवप्रसाद तिवारी के विरुद्ध आमरण अनशन कर रखा है ? यदि हां, तो अनशनकारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम—

१७ अक्तूबर, सन् १९६३ को श्री महेन्द्रप्रताप तिवारी, व मन्नीलाल, दो साधुओं, तथा दो महिलाओं ने श्री जयदेवप्रसाद तिवारी सरवराकार राधाकृष्ण मन्दिर मकरन्दपुर के प्रबन्ध से असन्तुष्ट होकर ४ दिन अनशन किया था । अनशनकारियों की मुख्य मांगें थीं कि मन्दिर में पूजा की सुविधायें जन साधारण को प्राप्त हों और मन्दिर की सम्पत्ति का दुरुपयोग न हों ।

*३७—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सरकार को ज्ञात है कि अनशनकारियों ने अपने अनशन करने व आरोपों की जांच करने सम्बन्धी कोई आवेदन-पत्र जिलाधीश कानपुर को दिये हैं तथा आमरण अनशन के उपरान्त

[श्री रामकिशोर वर्मा]

कोई शिष्ट-मण्डल भी इस समस्या को सुलझाने के लिये उनसे मिला है ? यदि हां, तो जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । जो व्यक्ति जिलाधीश, कानपुर से इस सम्बन्ध में मिले थे उन्हें उचित जांच का आश्वासन दिया गया था । जिलाधीश, कानपुर से जांच करवा ली है और फलस्वरूप श्री जयदेव प्रसाद तिवारी ने सरवराकारी से त्याग पत्र दे दिया है ।

*३८—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या उक्त विषय में कोई शिष्ट-मण्डल, दिनांक २ अक्तूबर, को मुख्य मंत्री जी से भी मिला है तथा आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो शिष्ट-मण्डल में कौन-कौन महानुभाव थे तथा उन्होंने क्या सुझाव दिये और मुख्य मंत्री जी ने जीवन रक्षा व अन्य औचित्यों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—

इस प्रकार का कोई प्रतिनिधि मण्डल औपचारिक रूप से मुख्य मंत्री जी से नहीं मिला तथा न कोई आवेदन-पत्र दिया है ।

लखनऊ राइफिल क्लब से कारतूसों का वितरण

*३९—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सन् १९६२ में लखनऊ राइफिल क्लब के लिये कई हजार कारतूस जो सरकार द्वारा मंगाये गये उनमें से बहुत से कारतूस कुछ व्यक्तियों को परमिट द्वारा दे दिये गये जिससे राइफिल क्लब के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस गलत काम की जांच की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सरकार द्वारा रायफिल क्लब लखनऊ के लिये कोई कारतूस सन् ६२ में नहीं मंगाये गये । बल्कि स्वयं रायफिल क्लब ने कुछ कारतूस सन् १९६२ में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन दिल्ली से अपने सदस्यों के उपयोग के लिये मंगाये थे जो क्लब के सदस्यों में परमिट द्वारा वितरित किये गये और शेष कारतूस अब भी क्लब के पास बचे रखे हैं । यह असत्य है कि कारतूसों के उक्त वितरण से रायफिल क्लब के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है । प्रश्न का अंतिम भाग नहीं उठता ।

मुहम्मदपुर नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल का हरिजन छात्रावास

*४०—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि आजमगढ़ के मुहम्मदपुर नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल को राज्य सरकार की ओर से १० हजार रुपया हरिजन होस्टल निर्माण हेतु दिया गया था ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां ।

*४१.—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार को इस बात की सूचाना है कि वह होस्टल अब तक नहीं बना है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

निर्माण कार्य चल रहा है । निर्माण सामग्री समय से उपलब्ध न होने के कारण कार्य कुछ विलम्ब से प्रारम्भ हुआ था ।

*४२—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[५ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

फाउण्डेशन फार न्यू एजूकेशन संस्था में सरायमुहाना गांव की भूमि

*४३—श्री रघुनार्थसिह (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सराय मुहाना गांव की लगभग २०० एकड़ भूमि पर राजघाट, वाराणसी की "ऋषि वैली ट्रस्ट" जिसे अब "फाउन्डेशन फार न्यू एजूकेशन" कहते हैं, का स्वामित्व कब और किस रूप में कायम हुआ ?

डाक्टर सीताराम—

ग्राम सराय मुहाना की २२५ एकड़ भूमि पर ऋषि वैली ट्रस्ट का स्वामित्व १९२९–३० ई० में बहैसियत जमींदार के हुआ ।

*४४—श्री रघुनाथ सिह—

यू० पी० सरकार द्वारा इस शिक्षा संस्था से सराय मुहाना गांव की भूमि के समस्त देव स्थानों और पंचकोशी सड़क आदि के मांगे गये नक्शे, जिसे दुबारा संशोधित और शुद्ध करके इस संस्था को सरकार के सम्मुख उपस्थित करना पड़ा था, के आधार पर जैसा कि गजट, भाग १ पृष्ठ ९५२, दिनांक ३ अक्तूबर, १९३० से स्पष्ट है, कौन-कौन देव स्थान सरकार द्वारा इस शिक्षा संस्था के अधिपत्य से बाहर रखे गये ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*४५—श्री रघुनार्थसिह—

क्या जुलाई, सन् १९५२ के पहले सराय मुहाना गांव की भूमि पर इस संस्था का कोई शिक्षण भवन था ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां ।

कानपुर जिले में निलम्बित थानेदार

*४६—श्री शिवनार्थसिह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत कितने थानेदार इस समय निलम्बित अवस्था में हैं ? वे कब से निलम्बित हैं और उनके विरुद्ध कौन-कौन से आरोप हैं तथा उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरगोविन्दसिह—

कानपुर जिले में ४ थानेदार निलम्बित अवस्था में हैं जिनके बारे में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ. ३५८ पर)

बाराबंकी जिले में हरिजनों को अनुदान

*४७—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

क्या समाज कल्याण मंत्री २५ सितम्बर, १९६३ के प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों को सहायता दी गई है उनमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको

[श्री नत्थाराम रावत]

रुपया तो दिया गया है, किन्तु इन्होंने कोई कार्य किया ही नहीं और कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके नाम से रुपया दिया गया, परन्तु किन्हीं अन्य लोगों ने उनके नाम से रुपया ले लिया है और सही व्यक्तियों को सूचना भी नहीं है ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले में लघु उद्योगों के लिये दिया गया धन

*४८—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री २६ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में ऐसे कितने राजकीय सहायता प्राप्त लघु या कुटीर उद्योग हैं जो या तो प्रारम्भ ही नहीं हुये या बन्द हो गये हैं ? और क्या सरकार उनके संचालकों को दी गई रकम और उन पर बकाया की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसी केवल ६३ इकाइयां हैं । वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३५९–३६२ पर ।)

श्री महेशचन्द्र शर्मा एस० पी०, झांसी के विरुद्ध शिकायत

*४९—श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई), श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी के वर्तमान एस० पी० के विरुद्ध कितने शिकायती पत्र आई० जी० तथा डी० आई० जी० पुलिस को गत १ वर्ष में प्राप्त हुये ? क्या सरकार उन की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी कि एस० पी०, झांसी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सी के भूतपूर्व एस० पी० (श्री महेश चन्द्र शर्मा) के विरुद्ध आई० जी० पी० के पास १० तथा डी० आई० जी० पुलिस के पास ६ शिकायती पत्र गत एक वर्ष में प्राप्त हुये । इन शिकायती पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना जनहित में उचित नहीं होगा । विषय सरकार के विचाराधीन है ।

शाहजहांपुर जिले में शिकायत संबंधी आदेश

*५०—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

१७ अक्तूबर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगना खेड़ा-बझेड़ा तथा जलालाबाद तहसील में परगना बनकटी में जिला सूचना अधिकारी द्वारा इस विषय से सम्बन्धित फिल्मों का प्रदर्शन कब और किन-किन ग्राम सभाओं में किया गया ? यदि अभी तक बिलकुल नहीं हुआ, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगना खेड़ा-बझेड़ा में १९५७ से अब तक वन-जन्तु रक्षा सम्बन्धी कोई फिल्म शो जिला सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दिखाया गया जिसका

कारण यह है कि इस क्षेत्र के रास्ते बहुत खराब होने के कारण प्रचार वाहन जैसी भारी गाड़ियों (पिक-अप) का वहां पहुंचना मुश्किल है ।

अलालाबाद तहसील में बनकटी नाम का कोई परगना नहीं है । अतएव आगे प्रश्न नहीं उठता ।

*५१—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या मंत्री जी प्रदेश के सब जिलों के जिलाधीशों को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि वे लाइसेंस पुस्तिका के साथ एक पुस्तिका और भी दें जिससे कि लाइसेंसदारों को चिड़ियों एवं जानवरों के खुले व बन्द "सीजन" का ज्ञान हो सके ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां । यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित किये जायेंगे ।

* * * *

वाराणसी जिले में अपराध

*५४—श्री हरिगैनराम—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिलान्तर्गत प्रत्येक थाने में सन् १९६२ से अब तक कितने मामले हत्या, आत्महत्या, डकैती, चोरी के हुये ?

*५५—क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मामलों में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१ जनवरी, १९६२ से १५ जनवरी, १९६४ तक की सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३६३–३६८ पर ।)

लार क्षेत्र में हरिजनों के लिए पानी की व्यवस्था

*५६—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लार क्षेत्र, देवरिया के गांव भसकरी जमसड़ा, तकिया, कठौली, मझौली, बढ़या कुई, चंवर आदि में हरिजनों की बस्ती में पानी के कुयें रोशनी की की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गयी ? क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त बस्तियों में पानी पीने के कुयें भी नहीं हैं ?

डाक्टर सीताराम—

लार क्षेत्र देवरिया के गांव भसकरी, जमसड़ा, तकिया छठौली, मझौली, बढ़याकुई, चंवर आदि में हरिजनों की बस्तियां पहले से हैं ।

तकिया को छोड़कर सभी ग्रामों में पानी की व्यवस्था है । तकिया-निवासियों के लिये पानी की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है ।

रोशनी की व्यवस्था के लिये हरिजन सहायक विभाग में कोई प्राविधान नहीं है ।

औद्योगिक आस्थान, वाराणसी के लिए भूमि

*५७—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़ा औद्योगिक अस्थान वाराणसी के लिये भूमि प्राप्त कर ली गयी है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ?

---

*नोट—प्रश्न ५२–५३ कार्य सूची पर न थे।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । १८ जनवरी, १९६२ को बड़े औद्योगिक आस्थान के लिये भूमि अध्याप्त कर ली गई है तथा १७ फरवरी, १९६२ को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है ।

* ५८—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या भवन निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां ।

दूसरा प्रश्न नहीं उठता ।

*५९—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या यह सत्य है कि उक्त भूमि को वहां के उच्च अधिकारियों ने जो उद्योग विभाग के हैं किसी व्यक्ति को जोतने बोने के लिये दिया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं ।

बिजनौर जिले में पुराने गजटेड अधिकारी

*६०—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बिजनौर में ऐसे कितने गजटेड अधिकारी हैं जिन्हें उक्त जिले में नियुक्त हुये तीन वर्ष व्यतीत हो गये और किन कारणों से उनका स्थानान्तरण अन्य जिलों को नहीं हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इनमें से ८ अधिकारियों का स्थानान्तरण प्रशासकीय कारणों से नहीं किया गया । एक अधिकारी हेड मास्टर हैं जिनके स्थानान्तरण की अवधि चार वर्ष है । एक बी० डी० ओ० हैं जिनका स्थानान्तरण साधारणतः पांच वर्षों बाद होता है । एक लेडी डाक्टर हैं जिनका स्थानान्तरण इस कारण नहीं किया गया कि उनके पति भी जिले के एक कालिज में पढ़ाते हैं ।

बुलन्दशहर जिले में अपराध

*६१—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में जनवरी, १९६३ से ३१ अक्तूबर, १९६३ तक कितने कत्ल व डकैतियां पड़ी हैं और उनके रोकने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस अवधि में जिला बुलन्दशहर में ५१ कत्ल और २६ डकैती की घटनायें हुईं ।

अपराधों की रोकथाम के लिये बुलन्दशहर जिले में से ग्राम रक्षा समितियों को बन्दूक देने की एक सामूहिक योजना लागू है जिसके अन्तर्गत ३५० बन्दूकें ग्राम रक्षा समितियों को दी गई हैं। शासन की ओर से भी District Rural Defence Committee (डिस्ट्रिक्ट रूरल डिफेन्स कमेटी) को १९६१-६२ में ५,००० रु० का अनुदान वर्दी इत्यादि के लिये दिया गया है । इसके अतिरिक्त पुलिस की गश्त भी अधिक कर दी गई है ।

बस्ती नगरपालिका में मेहतरों के मकान

*६२—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती) तथा श्री जमादार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार ने बस्ती नगरपालिका के मेहतरों के लिये मकान बनवाने के लिये १९४८ से अब तक कितना रुपया अनुदान दिया है ? और उसमें से कितना काम में लगा है ?

डाक्टर सीताराम—

बस्ती नगरपालिका को राज्य सरकार द्वारा मेहतरों के मकान बनाने के लिये १९४८ से अब तक किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया गया ।

लाड़नपुर निवासी श्री कपिलदेव तिवारी द्वारा कोयला की कथित चोरबाजारी

*६३—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोपागंज ब्लाक, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत लाड़नपुर ग्राम सभा के निवासी श्री कपिलदेव तिवारी को चूना भट्टा उद्योग के नाम पर कोयले का परमिट सरकार से मिलता है ? यदि हां, तो आज तक उन्हें कितने वैगन कोयला मिला है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कोपागंज (गोपीगंज) ब्लाक के अन्तर्गत लाड़नपुर ग्राम सभा के निवासी श्री कपिलदेव तिवारी को चूना भट्टी उद्योग के नाम पर सरकार से कोयले का कोई परमिट नहीं मिलता है और न उन्हें कोयले का कोई वैगन दिया गया है ।

*६४—श्री ऊदल—

क्या यह सही है कि श्री कपिलदेव तिवारी, ग्राम सभा लाड़नपुर के पास इस प्रकार का कोई उद्योग न आज तक रहा है और न वर्तमान समय में है और इस उद्योग के नाम पर जो कोयला मिला है वह सब ब्लैक हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार की तरफ से कौन-सी कार्यवाही होने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री कपिलदेव तिवारी ग्राम लाड़नपुर के नाम इस प्रकार का कोई उद्योग नहीं है । इसलिये कोयला मिलने और ब्लैक करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*६५-६६—श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—

[२० फरवरी, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

बरेली में हरिजन छात्रावासों के लिए अनुदान

* ६७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सत्य है कि बरेली में हरिजन छात्रावासों के निर्माण के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत बीस हजार रुपया इस वर्ष ऐसे दो स्कूलों को दिया गया है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के मान्यता प्राप्त भी नहीं थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रुपये को किसी अन्य विद्यालय को देने के निर्देश जारी करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*६८—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

[२० फरवरी, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिले में हरिजनों को अनुदान

१—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिला के अन्तर्गत बिरनों तथा कासिमाबाद विकास क्षेत्र में १९६२-६३ में हरिजनों को कृषि अनुदान कितना दिया गया और किन-किन व्यक्तियों को ?

डाक्टर सीताराम—

उक्त अवधि में प्रत्येक विकास क्षेत्र में क्रमशः ७२० रुपया तथा ७२० रुपया का कृषि अनुदान दिया गया । विस्तृत सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३६९ पर)

गाजीपुर शेल्टर से भागी हुई आश्रितायें

२—श्री झिलमिटराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, सन् १९६१ से अगस्त, सन् १९६३ तक गाजीपुर शेल्टर से कितनी आश्रितायें भाग गयी हैं ? उनके भागने का कारण क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सीताराम—

इस अवधि में कुल ८ आश्रितायें भागी थीं । स्थानीय अधिकारियों को संदेह है कि आश्रिताओं के भागने में शरणालय के चौकीदार का हाथ था । उसे निलम्बित (Suspend) कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है । भागी हुई आश्रिताओं में से एक न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई थी तथा न्यायालय के आदेशानुसार अपने पति के साथ चली गयी । शेष के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है ।

थाना चौकी रामाधार के थानेदार के विरुद्ध शिकायत

३—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) तथा श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या थाना चौकी रामाधार, जिला बुलन्दशहर के थानेदार के खिलाफ रिश्वत लेने की दरख्वास्त १४ मार्च, १९६३ को डी० पी० आई० सी० आई० डी०, पुलिस विभाग मेरठ को दी गयी थी और क्या उसकी तहकीकात कम्पलेंट आफिसर, मेरठ के सुपुर्द की गयी थीं ? यदि हां, तो वह क्या रिपोर्ट है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिनांक ८-३-६३ जो डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल, सी० आई० डी० पुलिस विभाग मेरठ के नाम था, प्राप्त हुआ था । आरोपों की जांच उप पुलिस अधीक्षक (परिवाद) मेरठ ने की । जांच से थानेदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सही नहीं पाये गये। परन्तु किशनलाल की निगरानी खोलने में विशेष रुचि न लेने तथा भूपी नामक व्यक्ति को थाने में लेजाकर रोक रखने के विषय में थानेदार का चरित्र सन्देहात्मक पाया गया । थानेदार को उनकी चरित्र पंजिका में एक कड़ी चेतावनी देकर दंडित कर दिया गया है ।

फायर ब्रिगेड कर्मचारी

४—श्री हरिगैनराम —

क्या गृह-मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में फायर-ब्रिगेड विभाग कहां-कहां हैं तथा उसमें नियुक्त कर्मचारियों जैसे आफिसर, सेकन्ड आफिसर, फायर ब्रिगेड आदि की अलग-अलग संख्या कितनी है तथा उसमें हरिजनों की संख्या क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

उत्तर प्रदेश में राज्य फायर ब्रिगेड केवल कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा लखनऊ में है। उसमें नियुक्त कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या तथा उसमें हरिजनों की संख्या संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३७० पर)

५---श्री हरिगैनराम---

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेगी कि यह भर्ती कब तक हुई और इसके भर्ती की सूचना प्रसारित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

सन् १९४४ में जब पंच महानगरों की फायर सर्विस का कार्यभार म्युनिसिपल बोर्डों से उत्तर प्रदेश पुलिस ने संभाला तो म्युनिसिपल फायर ब्रिगेड के उपयुक्त कर्मचारी उत्तर प्रदेश फायर सर्विस विभाग में नियुक्ति कर लिये गये। तदोपरान्त जब कभी स्थान रिक्त हुये, उन की पूर्ति की गई। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस में सीधी भर्ती (Direct Recruitment) का नियम केवल चीफ फायर आफिसर, फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर तथा फायरमैन के पदों के लिये ही लागू है। इन पदों पर जब कभी सीधी भर्ती (Direct Recruitment) की गई उसकी सूचना विस्तृत रूप से प्रसारित की गई और रोजगार दफ्तरों से भी उम्मीदवार मांगे गये। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

गोदौरा निवासी, श्री रामपालसिंह के भतीजे के हत्या

६---श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के थाना किशुनपुर के अन्तर्गत ग्राम गोदौरा के निवासी रामपालसिंह वकील के भतीजे की हत्या के कौन-कौन अभियुक्त अभी तक फरार हैं और क्या यह सच है कि उक्त हत्या के फरार अभियुक्तों व उनके गिरोह के लोगों ने उक्त किशुनपुर थाना के अन्तर्गत ही अभी हाल में उक्त रामपालसिंह वकील के बड़े भाई के ऊपर तमंचे के फायर किये जिससे उन्हें छाती में व अन्य अंगों में छर्रे लगे और वे सरकारी अस्पताल, फतेहपुर में दाखिल हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

गोदौरा निवासी, श्री रामपाल सिंह के भतीजे की हत्या के मामले में एक अभियुक्त ठुनगी अभी तक फरार है। यह सच है कि इस हत्या के एक अभियुक्त व इस दल के एक अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त श्री रामपाल सिंह के बड़े भाई के ऊपर आग्नेय अस्त्रों से प्रहार किया गया था जिसके फलस्वरूप उन्हें छाती व अन्य अंगों में छर्रे लगे। श्री रामपालसिंह के भाई दिनांक ८-४-६३ को अस्पताल में दाखिल हुए थे और डाक्टरी इलाज के पश्चात् दिनांक १३-३-६३ को डिस्चार्ज किये गये।

७---श्री दीपनारायणसिंह---

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से उक्त हत्या के अभियुक्तों को न तो अभी तक पकड़ा जा सका है या वे हाजिर नहीं किये गये उक्त फरार अभियुक्तों की फरारी हालत में रह कर उक्त वकील महोदय व उनके परिवार की हत्या करने की घातक मंशा को कार्यान्वित न होने देने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

केवल एक अभियुक्त को छोड़कर, उक्त हत्या के सभी अभियुक्त पकड़े गये थे। केवल एक अभियुक्त धारा ८७-८८ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही करने पर कार्यवाही करने पर भी

नहीं पकड़ा जा सका और फरार है। उक्त घटना के तुरन्त बाद ही ग्राम में सशस्त्र पुलिस की एक टुकड़ी तैनात कर दी गई थी जो बाद में शांति भंग की फौरी आशंका न होने के कारण हटा ली गई। हत्या के मामले में भी सभी अभियुक्तों का चालान कर दिया गया था।

विकास क्षेत्र खजेहा में ग्राम सेविकायें

८—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विकास सेवा क्षेत्र, खजेहा के अन्तर्गत क्या कुछ ग्राम सेविकायें कार्य करती हैं। यदि हां, तो उनके नाम और विकास खंड में नियुक्ति की तिथि क्या है तथा कितने-कितने समय तक किस-किस न्याय पंचायत क्षेत्र में कार्य किया?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३७१ पर)।

नैनी इण्डस्ट्रियल कारखाने

९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के नैनी इन्डस्ट्रियल कारखानों की संख्या क्या है तथा इन कारखानों में कौन-कौन सा सामान तैयार होता है तथा पांच वर्षों में इन कारखानों ने कितनी प्रगति की?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इलाहाबाद के नैनी इन्डस्ट्रियल कारखानों की संख्या वर्तमान समय में कुल ३३ है। उपरोक्त कारखानों द्वारा तैयार की गई वस्तुयें तथा इनके द्वारा पिछले ५ वर्ष में की गई प्रगति का विवरण संलग्न† सूची में दिया हुआ है।

१०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि नैनी इन्डस्ट्रियल क्षेत्र में पांच वर्षों में कितने कारखाने खोले गये और कितने बन्द हुये?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१९५०–६०, १९६०–६१, १९६१-६२, १९६२–६३ तथा १९६३–६४ के वर्षों में नैनी इन्डस्ट्रियल क्षेत्र में कुल २४ कारखाने खोले गये जिनमें से २ बन्द हो गये जैसा कि संलग्न सूची में दिया हुआ है।

बुलन्दशहर जिले में अस्पृश्यता निवारण संबंधी मुकदमे

११—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में सन् १९६१–६२ तथा १ अगस्त, १९६३ तक अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के उल्लंघन में कितने मुकदमें दर्ज हुये, कितनों को सजा हुई और कितने केस अदालत में चल रहे?

---

†छापी नहीं गई।

डाक्टर सीताराम —

जिला बुलन्दशहर में सन् १९६१–६२ में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के उल्लंघन में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, परन्तु २ अप्रैल, १९६२ से १ अगस्त, १९६३ तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दो मुकदमें दर्ज किये गये उनमे एक मुकदमें में अभियुक्त को दण्ड दिया गया और दूसरा मुकदमा अभी चल रहा है।

१२—श्री जसरामसिंह —

जिला बुलन्दशहर में अस्पृश्यता निवारणार्थ (कैम्पों को) कितना रुपया सन् १९६१–६२, १९६२-६३, में सरकार द्वारा दिया गया और वह कहां-कहां किसके द्वारा खर्च किया गया ?

डाक्टर सीताराम —

बुलन्दशहर जिले में वर्ष १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में अस्पृश्यता निवारणार्थ कैम्पों को कोई भी धनराशि नहीं स्वीकृति की गई। परन्तु जो धनराशि जिला हरिजन सहायक समिति को दोनों वर्षों में २००रु० प्रतिवर्ष के हिसाब से स्वीकृत की गयी थी उसी को समिति की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् गंगा स्नान के अवसर पर अस्पृश्यता निवारण प्रचार शिविर पर जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा व्यय किया गया।

सहारनपुर जिले में रिक्शा वालों के चालान, जुएं के मुकदमे

१३—श्री ब्रह्मदत्त मायर —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर नगर में पिछले १ साल में सिटी मैजिस्ट्रेट तथा C. O. City ने कितने लोगों के चालान जुएं में कराये हैं ?

१४—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ऊपर कहे दोनों अधिकारियों ने पिछले एक साल में कितने रिक्शा वालों के चालान पुलिस बुलाकर या साथ ले जाकर पुलिस में दिये और जिनका फैसला स्वयं सिटी मैजिस्ट्रेट की ही अदालत में हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

सिटी मैजिस्ट्रेट व सी० ओ० सिटी ने उक्त अवधि में कोई चालन जुवें में या रिक्शा वालों के स्वयं व्यक्तिगत रूप से नहीं कराये। पुलिस द्वारा जुवें के ७६ केस तथा रिक्शावालों के विरुद्ध धारा ३४ पुलिस ऐक्ट के १३१ केस चालान किये गये।

रिक्शावालों के विरुद्ध उक्त मुकदमों में से ४० मुकदमों का सिटी मैस्जिट्रेट द्वारा फैसला हुआ। शेष अन्य अदालतों द्वारा फैसले हुये।

१५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि पिछले एक हास में इन दोनों अधिकारियों ने कितने दूकानदारों तथा लोगों को जो अपनी दूकानों के बाहर थे कोतवाली ले जाकर बड़ी-बड़ी रकमें जुर्माना किया जिनके विरुद्ध यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपना सामान सरकारी जमीन पर रक्खा था या वे स्वयं सरकारी जमीन पर बैठे थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त अधिकारियों ने ऐसे किसी दूकानदार का चालान व्यक्तिगत रूप से नहीं किया। ऐसे मामलों की संख्या जिनमें इन्क्रोचमेंट हटाए गए या जुर्माना किये गये, ९८ हैं। सिटी मैजिस्ट्रेट ने केवल ऐसे मामलों पर विचार किया जिनके बारे में शिकायतें म्यूनिसिपल बोर्ड ने प्रस्तुत की थी या पुलिस की चालानी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

रासायनिक परीक्षक कार्यालय, आगरा का निरीक्षण

१६--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार की अन्य प्रदेशों की सरकारों से उत्तर प्रदेश की रासायनिक परीक्षक के परीक्षा शुल्क के संबंध में कोई बात हुई है? यदि हां, तो उस पर अमल हुआ या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां। आर्थिक मामले विचाराधीन हैं।

१७--श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रासायनिक परीक्षक कार्यालय, आगरा का विभागीय अधिकारियों द्वारा वार्षिक, अर्ध वार्षिक निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो पिछले वर्षों में ऐसे निरीक्षण कब-कब हुये?

श्री हरगोविन्दसिंह--

सन् १९५१ से आठ बार निरीक्षण हुये। तिथियों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ३७२ पर)

बाराबंकी जिले में उद्योग ऋण

१८--श्री गिरजाप्रसाद (जिला बाराबंकी)--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ वर्ष में बाराबंकी जिला उद्योग खोलने हेतु दी गई सहायता को जो उद्योग बन्द हो गये हैं वापस लेने के लिये सरकार कौन-कौन कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सन् १९६२-६३ में जिला बाराबंकी में उद्योग विभाग द्वारा दिये गये ऋणों में से केवल २ व्यक्तियों ने अपना कार्य बन्द किया। इन दोनों व्यक्तियों ने उद्योग ऐसे कारणों से बंद किये जो उनके अधिकार से बाहर थे। इसलिये दी गई सहायता वापस लेने के लिये अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसका विवरण निम्नलिखित है--

(१) श्री कासिम लोहाटी जै को मछली कोंनिग उद्योग के लिये ४,००० रु० का ऋण दिया गया था, कुछ समय तक कार्य करने के उपरान्त प्रावैधिक जानकारी उपलब्ध न होने के कारण उन्हें काम बन्द करना पड़ा। प्रावैधिक सहायता प्राप्त करने के लिये वह भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और यह आशा की जाती है कि फिर से यह कार्य चालू हो जावे।

(२) श्री नसीरुल रहमान किदवई भसौली ब्लाक, को फल संरक्षण उद्योग के लिये ५,००० रु० का ऋण दिया गया कार्य प्रारम्भ हुआ पर भारत सरकार से कुछ प्रावैधिक आपत्तियों के कारण लाईसेन्स न मिल सका और कार्य रोकना पड़ा। प्रावैधिक आपत्तियों को दर करके लाईसेन्स प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है और आशा की जाती है कि कार्य प्रारम्भ हो जाये।

बाराबंकी जिले में उद्योग योजनायें

१९--श्री गिरजाप्रसाद--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६३-६४ में बाराबंकी जिले में उद्योगीकरण के कौन-कौन योजनायें चालू की गई हैं या चालू की जाने वाली हैं और उन योजनाओं पर सरकार विकास खंड वार कितनी-कितनी धनराशि खर्च करने का विचार करती है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी----

प्रथम भाग--सन् १९६३-६४ में निम्नलिखित योजनायें बाराबंकी जिले में कार्यान्वित है :--

१--हथकरघा योजना ।

२--प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना ।

३--ऋण तथा अनुदान योजना ।

४--औद्योगिक आस्थान योजना ।

५--विद्युत् शक्ति अनुदान योजना (पावर सबसिडी योजना)

६--सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) की नियुक्ति की योजना ।

७--ग्रामीण उद्योगों के लिये सहकारिता कर्मचारी योजना ।

८--अन्य ग्रामीण उद्योग जैसे धान कुटाई, तेलघानी, मिट्टी के वर्तन, साबुन बनाना आदि के लिये कर्मचारी योजना ।

द्वितीय भाग-- वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ३७३-३७४ पर)

कानपुर जिले में उद्योगों के लिये सहायता

२०--श्री शिवनाथसिंह--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत उद्योग कार्य हेतु कितना रुपया जनवरी, १९५८ से ३० सितम्बर, १९६३ तक दिया गया, उसमें कितना रुपया देहाती क्षेत्र में उद्योग कार्य हेतु दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जनवरी सन् १९५८ से ३० सितम्बर सन् १९६३ तक कानपुर जिले में विभिन्न उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये कुल ५०,२७,२५९.८८ रु० सहायता के रूप में वितरित किया गया जिसमें से ५,८२,७२७.११ रु० ग्रामीण क्षेत्र में दिया गया और शेष शहरी क्षेत्र में ।

प्रतापगढ़ के कांस्टेबिल दृगपालसिंह की लखनऊ में गिरफ्तारी

२१--श्री जगन्नाथराव (जिला जौनपुर)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ७ अक्तूबर, १९६३ को लखनऊ की आलमबाग पुलिस ने किसी सिपाही को लड़की भगाकर लाने तथा धर्मशाले में टिककर अनैतिक कार्य करने के अपराध में गिरफ्तार किया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

७ अक्तूबर, ६३ को नहीं बल्कि ८ अक्तूबर, ६३ को थाना आलमबाग की पुलिस ने एक सिपाही को लड़की भगाने आदि के अपराध में गिरफ्तार किया ।

२२--श्री जगन्नाथ राव--

यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस सिपाही के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

घटना तथा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ३७५ पर)

आगरा जिले में उद्योगों के लिए ऋण

२३—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२-६३ व १९६३-६४ में आगरा जिले में किस-किस उद्योग के लिये किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना ऋण दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत आगरा जिले में ऋण के रूप में सन् १९६२-६३ में ५,८८,००० रु० तथा १९६३-६४ में (३०-११-६३) तक १,४४,५०० रु० विभिन्न उद्योगों के लिये वितरित किया गया। विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रखने में अधिक समय तथा परिश्रम लगेगा। अतः अगर माननीय सदस्य चाहें तो वे मेरे कार्यालय से उसे प्राप्त कर सकते हैं।

२४—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीशों द्वारा जिले की कमेटियों की सिफारिशों पर उद्योगों के लिए ऋण देने के लिये सन् १९६२-६३ व १९६३-६४ में प्रत्येक जिले कि कितना-कितना रुपया ऋण दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वाँछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिय नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ३७६-३७७ पर)

पुलिस कप्तान, फतेहपुर को सफर का भत्ता

२५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूतपूर्व पुलिस कप्तान, जिला फतेहपुर का तबादला जनवरी, १९६३ में फतेहपुर से जिला रामपुर के लिये हुआ था ? यदि हां, तो वे किस तिथि को और किस सवारी द्वारा फतेहपुर से रामपुर गये तथा सरकार से कितना सफर भत्ता वसूल किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

भूतपूर्व पुलिस कप्तान फतेहपुर का तबादला १९६२ की दिसम्बर में हुआ था। जनवरी, १९६३ में नहीं। वे रेल द्वारा फतेहपुर से १५-१२-६२ को रामपुर के लिये रवाना हुये थे। उन्होंन कुल ७०८ रु० ५२ नये पैसे इस सिलसिल में Transfer T. A. पाया।

२६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त पुलिस कप्तान ने अपना सामान फतेहपुर से रामपुर ट्रक नं० २६४ यू० पी० डब्लू० २९७३ यू० पी० आई० और ६७६४ यू० पी० सी० द्वारा ले जाना दिखा कर तीनों ट्रकों के मालिकों से दो रुपये की दर से रसीद लेकर केवल सामान का ६०० रुपये का भत्ता वसूल किया ? यदि हां, तो कुल कितना सामान था और प्रति ट्रक वास्तव में कितने-कितने रुपये दिये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उनका सामान ट्रक नम्बर यू० पी० डब्लू० २६४, यू० पी० आई० ४४१४ तथा यू० पी० आई० १९१४ से गया था। सामान के उन्होंने केवल ३५८ रु० ३३ नये पैसे चार्ज किये जो कि १२० मन सामान पर उन्होंने २०० रु० दिया और उस की रसीद ली। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

२७—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि उक्त नम्बर ६७६४ यू० पी० सी० से उक्त पुलिस कप्तान का कोई सामान रामपुर न जाने पर भी उसके मालिक से दो सौ रुपया की फर्जी रसीद ली गयी और सामान ले जाने वाल उक्त ट्रकों के मालिकों को ११५ रुपया की दर से किराया देते हुये दो सौ रुपये की दर से रसीदें प्राप्त कर के सरकार को धोखा देने के साथ ही ३७० रुपया का गबन किया गया है ? यदि हां, तो सरकार कौन सी कार्यवाही करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो क्या जांच करा कर रिपोर्ट व उनके भत्ते का बिल मय रसीदों के सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस प्रश्न में उल्लिखित आरोप सर्वथा निराधार है। सरकार द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सम्बन्धित अधिकारी ने रूल के मुताबिक ही सफर खर्च वसूल किया है।

आजमगढ़ जिले में हरिजनों को सहायता

२८—श्री सुरजनराम विशारद—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड जहानागंज, जिला आजमगढ़ के रानीपुर और परदहा ब्लाकों में सन् १९६१ से जुलाई, सन् १९६३ तक जिन बस्ती एव पानी पीने के लिये कुल कितना धन दिया गया है ? उसमें से कितना धन खर्च हुआ और किस-किस गांव में बस्ती एवं कुयें बनाये गये और कितना धन खर्च नहीं हुआ और क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

स्टार-सोप गृह उद्योग सहकारी समिति, बहराइच को ड्राफ्ट

२९—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री यह बतायेंगे कि स्टार-सोप गृह उद्योग सहकारी समिति, बहराइच को कोई ड्राफ्ट ७,४०० रुपये का ग्रान्ट-इन-एड में जून, सन् १९६२ में भेजा गया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

स्टार-सोप गृह उद्योग सहकारी समिति लि० बहराइच को ७,४०० रुपये का बैंक ड्राफ्ट (४,२४० रु० ऋण एवं ३,१५० रु० अनुदान) देने के लिये जिलाधीश, बहराइच को उद्योग निदेशक द्वारा १४-९-१९६२ को भेजा गया था।

३०—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि वह ड्राफ्ट कुछ एतराज डी० आई० ओ० बहराइच ने वापस किया था ? यदि हां, तो क्या एतराज थे और वह एतराज दूर किये गये या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हां। उक्त ड्राफ्ट जिलाधीश बहराइच ने निम्नांकित एतराजों के साथ वापस कर दिया :

(१) समिति ने आवश्यक प्रस्ताव बैंक से जिला उद्योग अधिकारी, बहराइच के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा रुपया निकालने के लिये संतोषजनक ढंग से पारित नहीं किया। तथा यह प्रस्ताव भी नहीं किया कि यह प्रस्ताव जिला उद्योग अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बदलेगा।

(२) समिति ने जिला उद्योग अधिकारी द्वारा निरीक्षण से इंकार किया एवं नियुक्त आडिटर द्वारा हिसाब-किताब की जांच कराने से भी इंकार किया।

३१—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि उन एतराजों को दूर करने की कापियां सहकारी समिति ने उद्योग मंत्री सेक्रेटरी उद्योग व डाइरेक्टर उद्योग को भेजी ? यदि हां, तो वह ड्राफ्ट दोबारा अब तक क्यों नहीं भेजा गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हां। समिति का पत्र दिनांक १२ मार्च, १९६३ को उद्योग निदेशक (ग्रामोद्योग) को मिला था। चूंकि समिति ने एतराज आवश्यक ढंग से दूर नहीं किये थे, अतः ड्राफ्ट दोबारा समिति को नहीं भेजा गया। समिति के पत्र का उत्तर दे दिया गया।

वाराणसी क्षेत्र के उद्योग विभाग में हरिजनों की नियुक्तियां

३२—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दो वर्षों में वाराणसी जोन में उद्योग विभाग के अन्तर्गत कितनी नियुक्तियां किन-किन पदों पर हुई हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कुल ३५२ नियुक्तियां हुईं जिनका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ३७८–३७९ पर)

३३—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितनी नियुक्तियां हुई हैं उनमें से कितने हरिजन और पिछड़ी जाति के हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त नियुक्तियों में १९ हरिजन और २८ पिछड़ी जाति के हैं।

३४—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितनी नियुक्तियां हुई हैं क्या इनके नाम रोजगार दफ्तर द्वारा आये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

रोजगार दफ्तर से आये हुये नामों में से ६३, व्यक्ति नियुक्त किये गये।

मुरादाबाद में डीजल इंजीनियर तथा श्री एस० एस० कुंवर डिजाइनर

३५—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद में कोई फर्म डीजल इंजीनियर के नाम से दिसम्बर, सन् १९६२ में खोली गई है ? यदि हां, तो उसको कितना रुपया सरकार ने लोन में एडवान्स किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। इस फर्म को कोई ऋण सरकार ने नहीं दिया।

३६—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस डिजाइनर का पिछले दिनों में मुरादाबाद नानफेरस ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेंटर से हुआ है उसकी तरफ कितना रुपया सरकार का निकल रहा है और उसको वसूल करने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री एस० एस० कुंवर, डिजाइनर, जिनका ट्रांस्फर मुरादाबाद नानफेरस ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेंटर से वाराणसी हुआ है उनके खिलाफ किसी प्रकार की रकम सरकार की अभी तक नहीं निकली है । उसको वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

काशी विद्यापीठ औद्योगिक आस्थान

३७—श्री रघुनाथसिंह—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काशी विद्यापीठ (वाराणसी) में जो औद्योगिक आस्थान बना, उसमें किन-किन उद्योगों के कारखाने स्थापित किये गये हैं और उनकी उत्पादन क्षमता अब तक कितनी हो पाई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काशी विद्यापीठ (वाराणसी) में जो औद्योगिक आस्थान बना उसमें प्लास्टिक के खिलौने और सामान, सूखे रंग, सूती धागा, स्पेयर्स, हाइडिल पार्ट्स, इलेक्ट्रिक स्विच और प्लग, गोबर गैश प्लान्ट, बोतल से पानी छिड़कने की पिचकारी, स्टील फर्नीचर, बाल्टी बनाने का कारखाना, लोहे के चद्दर की संदूके तथा फ्लेशर यूनिट आदि उद्योगों के कारखाने स्थापित किये गये हैं और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग ८,४०,००० रुपये की है ।

३८—श्री रघुनाथसिंह—

औद्योगिक आस्थान का जो लघु उद्योगों के लिए पूरे दामों अथवा किराया खरीद पर तैयार कारखानों की व्यवस्था कर के नये-नये उत्पादन के वैज्ञानिक साधनों से सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करना उद्देश्य बताया गया है ? इस आस्थान द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हो पा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

काशी विद्यापीठ, वाराणसी में स्थापित औद्योगिक आस्थान में लघु उद्योगपतियों (Small scale enterprenures) ने आधुनिक कल यंत्रों से सुसज्जित लघु उद्योगों के कारखाने स्थापित किये हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुयें बनाई जाती हैं जो कि काफी हद तक वैज्ञानिक साधनों से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य में सहायक सिद्ध हुए हैं । उपरोक्त कारखानों द्वारा अब तक लगभग २.२५ लाख रुपये का उत्पादन किया जा चुका है ।

३९—श्री रघुनाथसिंह—

क्या इस आस्थान में परीक्षण प्रयोगशालाएं तपाई आदि की व्यवस्था की सामूहिक सुविधायें हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस आस्थान में परीक्षण प्रयोगशालायें तपाई आदि की सामूहिक सुविधाओं की व्यवस्था विभाग द्वारा अभी नहीं की गई है ।

मेसन लेदर वर्किंग स्कूल, रुदौली

४०—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी स्थित कस्बा रुदौली के मेसन लेदर वर्किंग स्कूल को वित्तीय वर्ष १९६१–६२, १९६२–६३, १९६३–६४ में सरकार द्वारा कुल कितना धन अनुदान तथा कर्ज के रूप में प्राप्त हुआ तथा उस स्कूल का वार्षिक व्यय कितना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त स्कूल की कथित वित्तीय वर्षों में प्राविधिक शिक्षा निदेशक, कानपुर से निम्न राशियां आवर्तक अनुदान के रूप में दी गयी है:—

	रु० न० पै०
१९६१–६२	२,४१९.००
१९६२–६३	२,४१९.००
१९६३–६४	१,२०९.५०

पहली किस्त

२—इसके अतिरिक्त उक्त स्कूल को कथित वित्तीय वर्षों में एक अनुदान २,४१९ रु० प्रति वर्ष अंतरिम जिला परिषद् द्वारा भी मिला है ।

इस विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा कोई कर्ज नहीं दिया गया है ।

इस विद्यालय का वार्षिक व्यय इस प्रकार है:—

	रु० न० पै०
१९६१–६२	४,८३४.९७
१९६२–६३	५,०७८.०३
१९६३–६४	२,४२४.००

(२० नवम्बर, १९६३ तक)

४१—श्री मुकुटबिहारीलाल—

क्या सरकार बतायेगी कि उक्त स्कूल में उपरलिखित वर्षों में कितने छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा कितने उत्तीर्ण हुये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस विद्यालय में प्रशिक्षण लेने वाले तथा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या संलग्न विवरण पत्र में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ३८० पर)

बिजनौर जिले में बाल्टी व बक्स उद्योग के लिए ऋण

४२—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले में बाल्टी या बक्स बनाने के लिये किस नगर में और किस व्यक्ति को ऋण दिया गया ? ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग समिति द्वारा केवल एक व्यक्ति श्री हंसराज पारको स्टेशन रोड नजीबाबाद को बक्स तथा लकड़ी की ट्रे बनाने के लिये २,००० रु० ऋण के रूप में सन् १९६१-६२ में दिया गया। बाल्टी बनाने के लिये इस योजना के अन्तर्गत कोई ऋण नहीं दिया गया।

४३—श्री श्रीराम—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को बाल्टी या बक्स बनाने के लिये ऋण दिया गया है, उनको (टीन) चादर का कोटा भी सरकार देती है, या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकार टीन की पूर्ति स्थिति को ध्यान में रखते हुये साधारणतः ऐसे ऋणियों को (टीन) चादर का कोटा भी देती है। किन्तु उपरोक्त व्यक्ति को (टीन) चादर का कोटा देना सम्भव नहीं हो सका।

दनकौर स्टेशन श्यामनगर मंडी का औद्योगिक आस्थान

४४—श्री जसरामसिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दनकौर स्टेशन श्यामनगर मंडी तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में जो एक राजकीय वर्कशाप फार इन्डस्ट्रियल इस्टेट के नाम से बनवाया जा रहा है उसमें कितना रुपया सरकार द्वारा व्यय होगा, वह कितने एकड़ जमीन में बनेगा और उपरोक्त वर्कशाप में क्या इन्डस्ट्री चलायी जायेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

दनकौर स्टेशन श्यामनगर मंडी, तहसील सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर में बनाये जाने वाले ग्रामीण औद्योगिक आस्थान पर सरकार द्वारा अनुमानतः १,७८,२०० रु० की धनराशि व्यय की जायेगी। यह आस्थान ५ एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है और इसमें इंजीनियरिंग, केमिकल्स, कारपेन्ट्री आदि एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स आदि उद्योग चलायें जायेंगे।

प्रश्न सूची में कुछ प्रश्नों के न छापने पर आपत्ति

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि १०वें सवाल के बाद १३ वां प्रश्न कैसे आ गया। इसी प्रकार से ३१,५२ और ५३ प्रश्न भी गायब हैं। मैंने व्यवस्था मांगी थी कि ये प्रश्न एजेंडे से क्यों गायब हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन कर दूं। ये सवाल जो शपथ मंत्रियों ने ली थी और जिसके संबंध में मैंने यह निर्णय दिया था कि वह शपथ अपूर्ण है और संविधान के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है उससे संबंधित है उसके फलस्वरूप मंत्रिगण को फिर से शपथ लेनी पड़ी, प्रश्न ११ तथा १२ जहां तक मुझे स्मरण है, इस शपथ और उसके परिणाम से संबंधित हैं। जब मैंने अपनी व्यवस्था दे दी। उसके पश्चात् उसी प्रकार का विषय हाई कोर्ट में प्रस्तुत हुआ। हाई कोर्ट में प्रश्न यह था कि हाई कोर्ट जजेज ने जो नये नियुक्त हुये संशोधित शपथ नहीं ली, बाद में ली। अतः संशोधित रूप में शपथ लेने के पूर्व उन जजों के कार्यों पर व उन पर स्वयं क्या कानूनी प्रभाव होता है और उसका क्या परिणाम होगा ? इस संबंध में हाई कोर्ट का निर्णय हो चुका है। पूर्व इसके कि इन प्रश्नों को सदन में आने देता मैंने उस निर्णय की प्रतिलिपि मंगाई है। वह कल मुझे मिल गई थी, कल मैंने उसको देखा है। मैं अध्ययन करके उसको देख लूंगा। इसलिये मैंने इन प्रश्नों को स्थगित कर दिया था।

श्री भगवानसहाय—

क्या सारे प्रश्न इसी से संबंधित हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जी हां, कई एक हैं। ४, ५ प्रश्न हैं। उनका एकजेक्ट नम्बर मुझे याद नहीं है। मैंने आदेश दिया था कि जब तक मैं देख न लूं तब तक उनको न रखा जाय।

श्री भगवानसहाय—

क्या प्रश्न ५२, ५३ इसीलिये नहीं आये ?

श्री अध्यक्ष—

मैं निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, आपने हाई कोर्ट के निर्णय के मुताबिक इनको इसलिये स्थगित कर दिया क्योंकि आपने महसूस किया कि सैकिंड फार्म पर शपथ लेना चाहिये तो क्या वे मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करेंगे इस सदन के आश्वासन के लिये कि उन्होंने जो काम किया है इस बीच में, इसके लिये उन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाई है क्या इसको भी सदन के सम्मुख आप रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जितनी बातें आप कह रहे हैं उसके लिये मैं यह कह दूं कि वह प्रश्न ऐसे हैं जिन पर इस प्रकार के कई प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। उस पर प्रश्न मेरे आदेश के सम्बन्ध में उठाये जा सकते हैं, सम्भव है कि जो हाईकोर्ट का आदेश हुआ है वह आदेश मेरे आदेश के बिलकुल विपरीत हो, उस सम्बन्ध में कौन-सी प्रक्रिया होनी चाहिये, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते है या नहीं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अगर उसके सामने यह निर्देश होता कि माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से हटाये गये तो लोगों को गलत फहमी न होती।

श्री अध्यक्ष—

हटे नहीं हैं, केवल स्थगित हैं। हटाने के माने यह है कि मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया है। वह रिजेक्ट नहीं हुये हैं केवल स्थगित हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यही मैं कहता हूं कि अगर यह लिख दिया गया होता कि आपकी आज्ञा से स्थगित कर दिये गये तो गलतफहमी न होती।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न एक दफा ऐडमिट हो जाते हैं उनको केवल दो नियमों के अधीन स्थगित किया जा सकता है और वह यह है कि या तो मंत्री उपस्थित न हों और उनकी दरख्वास्त हो कि स्थगित कर दिये जायं या माननीय सदस्य स्वयं उनको स्थगित करने के लिये दरख्वास्त करें। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस नियम के आधार पर आपने उनको स्थगित कर दिया।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं...

श्री अध्यक्ष—

क्या आपका प्रश्न इसी व्यवस्था से संबंधित है ?

श्री दीपनारायणसिंह—

जी नहीं दूसरे विषय से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष—

तो पहले मैं माननीय भगवानसहाय जी ने और माननीय वीरसेन जी ने जो प्रश्न उठाया है उनका समाधान कर दूं ।

माननीय वीरसेन जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में इतना निवेदन पर्याप्त होगा कि कुछ तो नियम दिये हुये हैं कि किन परिस्थितियों में प्रश्नों को स्थगित किया जा सकता है लेकिन जो परिस्थिति इस समय प्रस्तुत हुई है उनके संबंध में हमारे नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है और जिन क संबंध में व्यवस्था न हो उनके सम्बन्ध में नियम ३१७ के अन्तर्गत अध्यक्ष को अधिकार है कि वे अपने विवेकानुसार व्यवस्था दें । अगर मुझे उन्हें हटाना होगा तो मैं उस प्रकार की सूचना आदरणीय सदन को दे दूंगा ।

प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रघुवीरसहाय ने जो एक प्रश्न के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न किया उसका आपने उत्तर नहीं दिलाया और यह कहा कि इसको अलग से पूछ लो । मैं यह समझता हूं कि अगर किसी मद के लिये रुपया दिया जाता है और उस रुपये का दुरुपयोग होता है और किसी माननीय सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी है और वह चाहता है कि माननीय मंत्री उसका उत्तर दें और जांच करने का आश्वासन दें तो वह उत्तर देना उनका कर्त्तव्य है । माननीय रघुवीरसहाय जी ने वह जानकारी करनी चाही आपने नहीं करने दी ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायणसिंह जी किन प्रश्नों की इजाजत होनी चाहिये और किसकी नहीं, यह मेरे विवेक की बात है । हो सकता है मेरा विवेक गलत हो, हो सकता है आपका सही हो, लेकिन अगर गलत बात भी मैंने कह दी, तो वह हो गयी ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान मैं प्रश्न संख्या ३९ की तरफ आकर्षित करता हूं । उसमें मैंने सरकार से पूछा था क्या गृह मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे...

श्री अध्यक्ष—

आप इतनी जल्दी बोलते है कि समझ में नहीं आता । बहरहाल, वह प्रश्न मेरे सामने है । आप बताइये कि आप क्या कहना चाहते है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

मुझे यह कहना है कि माननीय मंत्री जी का जो जवाब मुझे मिला है वह इस प्रकार है] सरकार द्वारा राइफिल क्लब लखनऊ के लिये कोई कारतूस सन् ६२ में नहीं मंगाये गये । बल्कि

[श्री लखपत राम शर्मा]

न्यू राइफिल क्लब ने कुछ कारतूस सन् १९६२ में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से अपने सदस्यों के उपयोग के लिये मंगाये थे जो क्लब के सदस्यों में परमिट द्वारा वितरित किये गये और शेष कारतूस अब भी क्लब के पास बचे रखे हैं। यह असत्य है कि कारतूसों के उत्तर वितरण से रायफल के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है। प्रश्न का अंतिम भाग नहीं उठता। इसमें मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कारतूस कई लाख के राइफल क्लबों के नाम पर आये। सी० आई० डी० से एक जगह जांच हो रही है।

[X X X]

श्री अध्यक्ष—

जितनी बातें आप कह रहे हैं रेकार्ड में नहीं आयेंगी। चीन, जापान, यह सब बातें क्यों कह रह हैं? जो दिक्कत हो वह बताइये।

श्री लखपतराम शर्मा—

इसकी जांच बाकायदा चल रही है।

श्री अध्यक्ष—

इसका कायदा यह है कि अगर आपके पास उत्तर आ गया है और वह प्रश्न आज नहीं लिया जा सका तो उसके लिये आप पुनः तारांकित प्रश्न करें, और अगर आप समझते हैं कि अविलम्बनीय है तो अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप को कुछ सूचना देनी है तो माननीय गृह मंत्री को लिख कर भेज दीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा—

निवेदन यह था कि हाउस के सामने गलतबयानी की गयी। मैं विशेषाधिकार का नोटिस दे रहा हूं, इस विषय पर।

श्री वीरसेन—

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। आपने नियम ३१७ का हवाला दिया है। वह लागू नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आदेश दे दिया वह खत्म हो गया। मेरा खयाल है कि वह लागू होता है। अब आप कृपा करके बैठ जायं।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम ५२ के कई एक आये हैं, उनमें एक माननीय होरीलाल जी का है। जो माननीय मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया है। अन्य जितने हैं उनको मैं स्वीकार नहीं कर सका हूं। मेरी समझ में नियम ५२ में वह आते नहीं हैं। उनके कारण मैंने प्रत्येक सूचना पर लिख दिये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, होरीलाल जी का क्या है, जानकारी सदन को हो जाय।

---

* माननीय अध्यक्ष के आदेश से हटा दिया गया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

रामगंगा परियोजना के कई सौ मजदूर अनशन, हड़ताल कर रहे हैं। उनके लिये दफा ५२....

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के सम्बन्ध में हमारे सदन की रूलिंग भी है और मैं समझता हूं कि वह ठीक बात है। नियम ५२ की सूचना का अर्थ है अविलम्बनीय, लोकमहत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना। महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित उसी समय हो सकता है जब कि विषय स्पष्ट रूप से सब तथ्यों सहित लिखे हों। अगर आप यह लिख दें कि मजदूरों की कुछ मांगें हैं जो हमारी समझ में उचित हैं लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, तो वह बात बिलकुल अनिश्चित, अस्पष्ट है, जिस पर नियम ५२ किसी प्रकार लागू नहीं होता।

श्री उग्रसेन—

कई सौ आदमी अनशन कर रहे हैं। यह तो स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष—

अनशन करना स्पष्ट है, लेकिन अगर आप अनशन करें तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है।

श्री उग्रसेन—

सरकार ने खाने को नहीं दिया, तो जिम्मेदारी किस पर है?

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अगर लोग वहां से लिखकर भेजें कि ऐसा हो गया है तब तो आपको मानना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपाकर के बैठ जायं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

कम से कम आप उसको वक्तव्य के लिए तो स्वीकार कर लें तब भी काम हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं। (व्यवधान)

नियम ५२ की एक सूचना माननीय होरीलाल यादव की खाद्य मंत्री से सम्बन्धित है फर्रुखाबाद जिले के बारे में। वह इस प्रकार है—फर्रुखाबाद जिले में शीत लहरी के कारण मोटे गल्ले और गेहूं के दामों में अचानक बढ़ोत्तरी हो गयी है। बाजारों में गेहूं २७ रु० मन पर भी नहीं मिल रहा है। चने का दाम २० से २३ रुपये मन हो गया है। ज्वार १४ रुपये मन मिल रहा है। मक्का और बाजरा के अभाव १६ रुपये मन तक पहुंच चुके हैं। गवर्नमेन्ट के सस्ते गल्ले की दूकानों में इन चीजों का कोई स्टाक नहीं है। केवल इन दूकानों पर आटा मिल रहा है। सरकारी गोदाम में जांच करने पर केवल एक बोरा ही गेहूं निकला इस परिस्थिति के कारण तमाम जिले के अन्दर घोर असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के निश्चित प्रश्न पर सरकार का ध्यान दिलाने हेतु प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं।

आपका जो वक्तव्य था वह यह था कि हमने गल्ले की दूकानें खोल दी हैं जिसके कारण दाम घट जायेंगे। इनका कहना है कि वहां कोई है ही नहीं। तो कृपा करके देख लीजिये इसको।

शनिवार २२ फरवरी, ७, १४ तथा २१ मार्च, १९६४ को विधान सभा की बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उप-नियम (२) के अनुसार इस सदन की बैठक शनिवार को नहीं होती है, परन्तु वित्तीय कार्य को समय से सम्पादित करने के लिये यह सदन यह निश्चय करता है कि उसकी बैठकें शनिवार दिनांक २२ फरवरी तथा दिनांक ७, १४ एवं २१ मार्च, १९६४ को भी अपने निर्धारित समय पर हों।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली १९५८ के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार इस सदन की बैठक शनिवार को नहीं होती है, परन्तु वित्तीय कार्य को समय से सम्पादित करने के लिये यह सदन यह निश्चय करता है कि उसकी बैठकें शनिवार दिनांक २२ फरवरी, तथा दिनांक ७, १४ एवं २१ मार्च, १९६४ को भी अपने निर्धारित समय पर हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

माननीय अध्यक्ष जो आप माफ करेंगे मुझे, परसों भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि इस तरह की परिपाटी हाउस में नहीं होनी चाहिये। जब कि कार्य-मंत्रणा समिति है तो इस तरह के प्रस्ताव उसके सामने जाने चाहिये और वैसे तो हाउस में सरकार बहुमत है जैसे चाहे जिस दिन चाहे सदन की कार्यवाही चलाये, यह तो दूसरी बात है लेकिन हमारी यह राय है कि ऐसे मौके पर हम लोगों की भी राय जानने के बाद कोई निर्णय होता और सदन में वह चीज आती तो ज्यादा अच्छा होता। तो फिर मैं निवेदन करूंगा कि शनिवार को जो बैठक करने की बात है उसको फिर से कार्य-मंत्रणा समिति में रखने की सिफारिश आप हमारी ओर से कहें और उसके बाद कोई फैसला हो तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी, कृपया २२५ नियम पढ़ लें। उसमें वह देखेंगे कि कार्य मंत्रणा-समिति के क्या विशेष कृत्य हैं। उन कृत्यों के अन्तर्गत शनिवार को बैठक होगी या नहीं होगी, इससे कोई मतलब नहीं है। बजट सेशन में हम यह बराबर करते रहे हैं। नियम यह है कि शनिवार को और रविवार को और अन्य छुट्टियों के दिन बैठक नहीं होगी। अब नियम १६ के ही अन्तर्गत यह भी है कि अगर....

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं कब कह रहा था कि नियमावली में नहीं है, मैंने तो नियमावली का नाम भी नहीं लिया। मैं तो यह चाहता था कि अगर आप चाहते हैं कि हाउस में अच्छी परम्परा कायम हो और सर्वसम्मति से कार्यवाही असेम्बली की हो तो आप हमारी ओर चाहे ख्याल मत कीजिये, लेकिन अपने सचिवालय की ओर ख्याल कीजिये, सारे के सारे दिन असेम्बली की कार्यवाही चले, शनिवार को भी, शुक्रवार को भी, असरकारी दिन भी उसी में शामिल कर लिये जायं, तो यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। इसलिये मैंने निवेदन किया था कि आप एक अच्छी परम्परा कायम कर रहे हैं इसलिये नियम की बात इस मौके पर नहीं होनी चाहिये। मैं नियमों को जानता हूं। उस पर हमारा मतभेद नहीं है। मैं चाहता हूं कि यदि शनिवार लेने का प्रस्ताव सदन में आया है

तो कम से कम विरोधी दल के नेताओं से राय ले लेते, कि आपकी राय क्या है तो कोई खराब बात नहीं होती। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियमावली की बात को छोड़कर जो और विरोधी दल के नेता हैं उनसे भी मंत्रणा करके शनिवार को लेने की बात की जाय तो अधिक अच्छा होगा।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

हेड मास्टर को बच्चों की छुट्टी नहीं काटनी चाहिये।

श्री बनारसीदास---

जो कार्यक्रम वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में वितरित किया गया है उसमें शनिवार लेने का जिक्र है। उसके सम्बन्ध में भी माननीय नेताओं से बातचीत की। जहां तक और शनिवारों को लेने की बात है वह उसमें था। केवल १४ तारीख के शनिवार के बारे में उसमें नहीं था। चूंकि अब ईद की छुट्टी ५ दिन की बढ़ा दी गई है इसलिये उस शनिवार को लेने की बात पैदा हुई। उस शनिवार के बारे में यदि माननीय सदस्य कहते तो बात समझ में आती। जहां तक कार्य-मंत्रणा समिति के समक्ष जाने का प्रश्न है वह तो समय का विभाजन करती है कि किस तरह से आगे कार्य-क्रम चले। वित्तीय वर्ष का कार्य-क्रम नेता विरोधीदल से परामर्श करके निश्चित किया जाता है। शनिवार लिया जाय या नहीं इसके लिये कभी सदन की परम्परा नहीं रही कि कार्य-मंत्रणा समिति में यह विषय जाय। वह तो सदन के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जब यह कार्य-क्रम प्रसारित किया गया तो उस समय इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई। तब यह मान लिया गया कि विरोधी दल इसमे अपना ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना चाहता है और वह चाहते भी है कि सदन का अधिक समय न लेकर थोड़े समय में काम समाप्त किया जाय जिससे कम समय लगे और यहां का धन भी कम खर्च हो।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय रामसुन्दर पांडेय की आपत्ति यह समझा कि यह विषय कार्य-मंत्रणा समिति के पास जाना चाहिये था लेकिन दरअसल उनका मंशा यह नहीं है। जो उनका मंशा है उससे मैं सहमत हूं। मैं आदरणीय संसदीय मंत्री से निवेदन अवश्य करूंगा कि जहां पर किसी नियम के अन्तर्गत कोई परिवर्तन करने का प्रश्न हो या कोई अन्य संशोधन प्रक्रिया करने का प्रश्न हो, जैसे शनिवार को बैठक करने की बात तो उसके लिये यह अधिक अच्छा होगा कि विभिन्न पार्टियों के व्हिप से बातचीत कर लिया करें ताकि कोई आपत्ति न हो और विरोधी दलों को इस बात की सूचना हो जाय ताकि वह अपनी पार्टी में भी बतला दें कि इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है तो अधिक शोभनीय होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय बनारसीदास जी कहते हैं कि यहां पर ऐसी परम्परा नहीं रही। मैं जानता हूं कि यहां पर ऐसी परम्परा रही है। मैं इस परम्परा को सन् १९५७ से देख रहा हूं। बनारसीदास जी यहां पर ५ वर्ष तक नहीं रहे। मैं जानता हूं कि नेताओं से परामर्श लेकर ही रहा पर समय निश्चित किया जाता था।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मेरा आपसे निवेदन यह है कि सटरडे को जिलों में इंडस्ट्रीज कमेटी, और दूसरी कमेटीज की मीटिंग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रखते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक सरकुलर निकाल दें कि बजट सेशन में कोई मीटिंग वह शनिवार को न रखें जिससे जिले में कोई मीटिंग बजट सेशन में न हो।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

मेरे जिले में जिला परिषद् का बजट पेश होने को है फरवरी में। अगर उसमें हम लोग शामिल नहीं होंगे तो वहां पर उस दिन बजट पास नहीं होगा और अगर पास होगा तो उसमें बड़ी गड़बड़ी होगी। दूसरी बात यह आयी···

श्री अध्यक्ष--

क्या आप मंत्री जी का समर्थन कर रहे हैं ?

श्री दीपनारायणसिंह--

समर्थन कहां कर रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि शनिवार को जिला परिषद् में हमारी उपस्थिति आवश्यक है और उसी शनिवार को आपने सेशन रख दिया है। तो हम दोनों जगह तो नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि दूसरा शनिवार छुट्टी का दिन है। आप के कर्मचारी रो रहे हैं और आप की तरफ देख रहे हैं। उनका क्या होगा ? क्या उनको आप एक्स्ट्रा एलाउन्स इसके लिये देंगे ? यह बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--

एक बात माननीय दीपनारायण जी, हम सबको समझ लना चाहिये कि इस सदन के कार्य के सामने दुनिया का कोई काम अधिक आवश्यक नहीं है। यह हमें समझना है। यह नहीं हो सकता कि इसका काम रोका जाय। इस सदन के कार्य के लिये यदि आवश्यक हुआ तो दिन रात बैठ कर हम काम करेंगे और उसे संपन्न करेंगे इस वास्ते कि हमारे व आपके ऊपर जिम्मेदारी ७ करोड़ व्यक्तियों की है। तो इसको ध्यान में रखते हुये हमारे काम में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिये। इस सदन का काम सर्वोपरि है। इस कारण से मैं विवश हूं। चाहे सेकिंड सैटरडे हो या कुछ हो, हम सब को बैठ कर काम करना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाई (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टैम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ३८१–३८३ पर)

याचिका के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक याचिका दी थी, उस पर विचार नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष—

आज आपने दी है, वह कल आ जायगी ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव— (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब धन्यवाद के प्रस्ताव पर विवाद होगा ।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो बहस हुई उसे मोटे तौर पर चार, पांच हिस्सों में बांटा जा सकता है । इस बात पर भी बहस उठायी गयी कि क्या गवर्नर के अभिभाषण के समय इस किस्म के अमेंडमेंट आ सकते हैं या नहीं । दायरा स्पीचेज का क्या होना चाहिये । गवर्नर के एड्रेस में कंटेंट्स जैसे होने चाहिये थे वैसे हैं या नहीं, और इसके साथ ही साथ प्रदेश की स्थिति, भ्रष्टाचार, समाजवाद, सभी बातों की चर्चा इस सदन में हुई । मेरा अपना ख्याल यह है कि गवर्नर का जो अभिभाषण होता है उसमें एक झलक मिलती है कि आगे आने वाले सेशन में सरकार क्या करने जा रही है और क्या नहीं करने जा रही है इसकी चर्चा भी हम कर सकते हैं । इसमें कोई ऐसी वैधानिक आपत्ति की बात नहीं है । अच्छा यही है कि ज्यादातर चर्चा उन्हीं बातों पर हो कि जिन बातों के बारे में गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है ।

जहां तक कंटेंट्स का ताल्लुक है, यह सही है कि इस बार का जो अभिभाषण है, किन्हीं कारणों से उसके बारे में आशायें ज्यादा थीं । इसलिये और भी आशायें बढ़ गयी थीं कि पिछले तीन-चार महीनों के अन्दर देश के सभी विचारकों ने इस पर ध्यान दिया है और चेतावनी दी है खासकर कांग्रेस लीडरशिप को कि यदि आने वाले दो-तीन साल में समाजवाद को विभाजित रूप नहीं दिया तो हो सकता है कि कांग्रेस का ही अन्त हो जाय इस किस्म की चेतावनी छोटों की नहीं बल्कि बड़े लोग जैसे विनोबा भावे की भी है । जब भुवनेश्वर में ऐसा प्रस्ताव आया तो देश में आशा की लहर पैदा हुई कि कोई संजीदगी हमारे अन्दर आयी है, कुछ बातों को करने का तहैइया हुआ है । उसके बाद एड्रेस में कोई बात ऐसी नहीं दिखाई दी जो थोड़ी-बहुत निराशा का होना आवश्यक है । उसमें कोई क्रांतिकारी बात हो सकती थी ऐसी तो गलतफहमी मुझे नहीं है मगर फिर भी कुछ बातें हो सकती थीं और जो दो-चार बातें हुईं, उससे लोग अन्दाजा लगाते हैं कि आया सरकार का रुख बदला है या नहीं, हम कुछ बातों को करना चाहते हैं या नहीं । जैसे कि बात छोटी है मगर मैं उसकी तरफ ध्यान दिला सकता हूं कि पिछले दो-ढाई महीने में दो-तीन बातें यहां पर हुई हैं जिससे संकेत मिलता है, सरकारी कार्यप्रणाली का । एक कमेटी बनी है कोआपरेशन के ऊपर एडवाइजरी कमेटी, एक कमेटी बनी है गोल्ड स्मिथ की कि उन्हें किस प्रकार से रिहैबिलिटेड कराया जाय और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज हुए हैं । मैं निजी तरीके से समझता हूं कि भुवनेश्वर के बाद हम सब को यह सोचना पड़ेगा कि महज कमेटी मुकर्रर करके क्या जो हमारी पुरानी एप्रोच है उसमें तब्दीली करने की जरूरत है या नहीं । मैं जानता हूं कि बहुत-सी कमेटियां सरकार ने मुकर्रर की हैं और बहुत-सी कमेटियों की रिपोर्ट सरकार के सामने आती रहती हैं । पहले कमेटी मुकर्रर होती है उस पर रुपया खर्च होता है सूबे के बेहतरीन दिमाग उसमें रखे जाते हैं मगर फिर भी उनकी रिपोर्ट अगर सब पढ़ी जाय तो हमें यह अपना तरीका बदलना पड़ेगा । क्योंकि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी से सोशलिस्ट ट्रांसफार्मेशन की अपने यहां एक नयी मिसाल है । अंग्रेजी प्रणाली में तो कमेटी एप्रोच चल जाती है क्योंकि वे कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाना चाहते साथ ही साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो बेहतरीन विचारक हैं उन्होंने कहा है कि कमेटी एप्रोच ईश्यूज को टालने की एप्रोच होती है बल्कि एक विचारक ने कहा है कि—

"I can fairly desoribile Parliamentary Democracy in four words, promise, pass, prepare and postpone"

---

† ५ फरवरी, १९६४ की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्दसहाय]

यानी जब लोग किसी बातको करने के लिए कहें तो सरकारी नेताओं को फौरन यह वायदा कर लेना चाहिए कि हम यह करेंगे और फिर उन वायदों से कैसे निकलें इसकी स्कीम निकालनी चाहिये और उसको पोस्टपोन कर दिया जाय तो अच्छा है। यह चीज सामने लानी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस कमेटी एप्रोच प्रणाली में तब्दीली की जरूरत है। एक २७ आदमियों की कमेटी बनाया जाना कोई माने नहीं रखता। जैसी झलक कि गोल्ड स्मिथ कमेटी से मिलती है। उसमें खुश किस्मती से सारे मेम्बर वे हैं जो गवर्नमेन्ट में नहीं हैं। श्रीमान महावीरप्रसाद श्रीवास्तव भी उसमें मेम्बर हैं। मैं उनके लिये यह इज्जत की बात नहीं समझता क्योंकि ऐसा शक हो सकता है कि जाने इन्हीं का तो रिहैबिलिटेशन नहीं हो रहा है। गोल्ड स्मिथ को हो या न हो। तो इस तरीके को बदलने की जरूरत है। तो हमारे लिये लाजमी है कि कुछ ग्रिमनेस हमारे तरीके में आनी चाहिये। इसी तरह से लेबर वेलफेयर कमेटी मुकर्रर की थी। श्री मंत्री जी फुर्तीले आदमी हैं और बड़े अच्छे पार्टी सिद्धस्त समझे जाते हैं। मुझे आशा है कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी लेकिन लेबर वेलफेयर कमेटी ने बहुत से सुझाव दिये। आज जब कि आप सोशलिजम की तरफ बढ़ें तो कानूनी बात इतनी नहीं है जितनी कि यह बात कि व्यवहार में तब्दीली हुई या नहीं। इसकी झलक हमें ऐडमिनिस्ट्रेशन में देखने को नहीं मिली।

कुछ ऐडिमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां हुई, बहुत अच्छा है। बहुत से सीनियर आफिसर्स जा रहे हैं। कुछ सुना जाता है कि वह मुनासिब नहीं थे। लेकिन एक तरफ ऐडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज हो रही हैं और जो अफसर जा रहे हैं वे प्रमोशन पर जा रहे हैं। जाहिरा कहते हैं कि हम फलां आदमी को झटका देकर हटा रहे हैं लेकिन वह प्रमोशन की तरफ जाते हैं तो इस तरीके को बदलना पड़ेगा। मैं गवर्नर एड्रेस में जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी क्रांतिकारी कदम उठाने की आशा नहीं रखता था मगर झलक की आशा जरूर करता था। इसलिये मुझे भी थोड़ी सी नाउम्मेदी हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई असंतोष के बार्डर पर हो।

सदन में भ्रष्टाचार के ऊपर काफी कहा गया और मैं समझता हूं कि इसमें हमारा दृष्टिकोण सरकार के प्रति कोई बहुत ज्यादा फेयर नहीं है। भ्रष्टाचार कुछ सरकारी प्रयत्नों से हटाया जा सकता है यह मुगाल्ता किसी को नहीं होना चाहिये। भ्रष्टाचार एक इन्फेक्शन है जो समाज के खास ढांचे से पैदा होता है। हमारा समाज मुनाफे के ऊपर, शोषण के ऊपर, ऊंच नीच के ऊपर आधारित है। उसका दर्शन है 'ईच फार हिम्सेल्फ,' हर एक आदमी अपने लिए रास्ता बनाये मुनाफे के ऊपर, शोषण के ऊपर, जिसको धर्म का भी सैंक्शन है, जिसको ऊंच नीच का, समाज का समर्थन प्राप्त है। वह यकायक कानून बदलने से या एक पार्टी के प्रयत्न से हटाया जा सकता, यह मैं नहीं मानता लेकिन कुछ इन्फेक्शन के दायरे को हम कम कर सकते हैं। आमूल नष्ट कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं सोच सकता। लेकिन एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय को जो बदलने का क्रम है उसी के जरिये हम दायरे को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक व्यक्तिगत रोजगार में जो फैक्टरी बनती है उसमें "ए" से "जैड" तक भ्रष्टाचार की भावना पनपती है। ५ लाख की जमीन ली। २० लाख की दिखाई जाती है। फिर डबल वहीखातों का तैयार करना। इसके साथ ही तनख्वाहें कुछ देना और किताबों में कुछ दिखाना, टैक्स इवेजन करना यानी सारा व्यक्तिगत व्यापार भ्रष्टाचार और लाभ की भावना से प्रेरित है। अगर भ्रष्टाचार कर रोकता है तो समाजवाद के मोटे-मोटे कदम उठाने पड़ेंगे यानी पब्लिक सैक्टर का एक्सपेंशन करना होगा। दूबे जी मौजूद नहीं हैं। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं मगर वह पब्लिक सैक्टर का एक्स्पेंशन और समाजवाद उनके गले से नहीं उतरता है। तो अगर आप चाहते हैं कि समाज से भूख, गरीबी और असमानता दूर हो और सब को रोजगार मिले तो उसका और कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि पब्लिक सैक्टर को प्रोत्साहन दिया जाय और मौजूद सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया जाय। बहस में समाजवाद को तरह-तरह से पेश करना, कन्फ्यूज करना और उसके पैटर्न को तोड़-मरोड़ कर रखना इससे हमारे ध्येय की सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। समाजवाद कोई जादू का नुस्खा नहीं है और न रेजोल्यूशन हो जाने से वह हमारे यहां आ जायगा।

उसका दायरा बनाना पड़ेगा और उसके लिये दिलोदिमाग को तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता सोशलिस्ट वैल्यूज को उठाया जा सकता है।

आज हमारे यहां कुछ कमियां हैं, उसको मैं कबूल करता हूं, मगर उसके कारण यह कहना कि समाजवाद अव्यावहारिक है, यह गलत है, जो यह कहता है वह न इतिहास को समझता है और न इसको ही समझता है। अगर किसी चीज को करने के लिये हमारे अन्दर अच्छे विचार हों, मगर उसके अनुकूल आबोहवा न हो तो वह अच्छे विचार भी मर जाते हैं। इसलिये समाजवाद केवल कह देने से ही नहीं आ जाया करता। उसके जरिये एक आबोहवा तैयार करने की जरूरत है। जब तक पब्लिक सेक्टर में लोगों की आस्था नहीं होगी, सरकारी सम्पत्ति को लोग अपनी सम्पत्ति की तरह नहीं समझेंगे, उसके लिये वैसी आबोहवा नहीं पैदा की जायेगी, बच्चों के दिमाग को शुरू से ही नहीं बदला जायेगा, जब तक समाजवाद के बुनियादी उसूलों में, हमारी आस्था नहीं रहेगी तब तक उसके अनुकूल न तो नस्ल पैदा हो सकती है और न हम इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिये रोज रोज यह कहना कि यह गलती हुई, वह गलती हुई, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में यह बात हुई, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह एप्रोच ज्यादातर हमारे उन दोस्तों की ही है जो समाजवाद के बहाव को रोक नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, मगर उसको रोकने के लिये तरह-तरह की दलीलें देकर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। आज मान लीजिये कि देश में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव नहीं है, तो यह कह देना कि गांधी जी की विचारधारा ही गलत है, यह कोई अच्छी दलील नहीं है। समाजवाद जब एक तरफ से गुजरता है तो उसी प्रकार गुजरता है जैसे अंधेरे से उजाला निकलता है। उसमें अमीर अमीर मालूम पड़ता है, काफी परिवर्तन दिखलाई देता है, इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं हुआ करती।

मेरा ऐसा विश्वास है कि आज की मौजूदा परिस्थितियों में इस काम को और पार्टियों के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी ज्यादा अच्छी तरह कर सकती है। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस में सभी समाजवादी है दूसरी तरफ नहीं है, मगर यह वह पार्टी है जिसका कुछ इतिहास है। यह एक संस्था है जिसके जरिये आजादी हासिल हुई है, जिसके लिये लोगों के दिलों में जड़े हैं, जिसका कोई इतिहास है। इसलिये इस पार्टी के लिये यह कार्य आसान है। अगर यह संस्था भी समाजवाद नहीं लायेगी तो इतिहास उसको माफ नहीं करेगा, और उस सजा को हमें भी उतना ही भुगतना पड़ेगा जितना कि दूसरों को। कोशिश तो इस बात की होनी चाहिये कि इसे एक्सपैडाइट किया जाय।

समाजवाद अगर हम चाहें भी तो ऐसा नहीं है कि वह आज ही या कुछ दिनों में ही आ जाय रूस जैसे देश के सभी ३०–४० वर्ष समाजवाद लाने में लगे। तो हमारे यहां तो आज उसकी चर्चा ही हुई है। उस तरफ बढ़ने के लिये हमने कदम उठाया है। आज जरूरत तो यह है कि हमारे कदमों में उस तरफ बढ़ने की दृढ़ता आये, न कि गलतफहमी फैलायी जाय। मेरा ख्याल है कि हमने उस ओर कदम बढ़ाये हैं, मगर उसके अनुकूल जितनी आबोहवा होनी चाहिये, जितना हौसला होना चाहिये, वह नहीं है।

मैं समझता हूं कि करप्शन समाज के लिये अभिशाप है। हम देखते हैं कि उसके लिये हर तरफ आज दरवाजे खुले हुये हैं। अदालत में झूंठ बोलना पाप नहीं समझा जाता, व्यापारी झूठ बोलना पाप नहीं समझता, शासन में झूठ बोलना झूठ नहीं है, तो दैनिक जीवन में फिर झूठ है कहां ? हमारे जितने इन्स्टीट्यूशन्स हैं वे किस तरह फंक्शन करते हैं ? वे करप्शन को प्रीमिअम पर रखते हैं और ईमानदारी को डिस्काउन्ट पर रखते हैं। इसलिये करप्शन को दूर करने के लिये सब्जेक्टिव और आब्जेक्टिव दोनों आधारों की जरूरत है। इसलिये मुझे कोई गलतफहमी नहीं है और मैं समझता हूं सरकार को भी इसमें कोई गलतफहमी न होगी कि खाली विजिलेंस कमेटी से करप्शन दूर हो सकता है। मगर एक बात जरूर है कि करप्शन दूर करने का जो हमारा मेकेनिज्म है उसमें मेल नहीं है। आज इस युग में जितने भी देश आजाद हुये हैं उनमें पोलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और जुडीशियरी तीनों में संघर्ष है। ब्यूरोक्रेसी से लड़ना आसान नहीं है। मेरा विचार है कि ब्यूरोक्रेसी एक घोड़ा है, अगर आप उसके ऊपर

[श्री गोविन्दसहाय]

सवार होना चाहते हैं तो उस घोड़े से आपमें ज्यादा वाकफियत और तेजी होनी चाहिये, तभी आप उस पर सवारी कर सकते हैं। उससे अधिक ताकत आपको चाहिये। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको ऐसा विश्वास है कि वे ही हिन्दुस्तान पर राज्य करते रहे हैं और मालिक हैं। अगर आप उसको इस जगह से हटाना चाहते हैं और उसको यह बताना चाहते हैं कि जनता इस देश की मालिक है तो आपको उसके नुमाइंदे को हर कदम पर प्रीमियम देना होगा। लेकिन आज देखा यह जाता है कि एक सब इन्सपेक्टर ग्राम प्रधानों को खुशी के साथ पकड़ता है। हर कदम पर हम यह देखेंगे कि एक ओर तो मिनिस्टीरियल लेबिल हम चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारे नीचे रहे लेकिन दूसरे शोबों के लिये हम यह भी चाहते हैं कि वह ब्यूरोक्रेसी के नीचे रहें तो ही अच्छा है। आज किसी मिनिस्टर से यह कहें कि आज वहां खाना खाने कैसे चले गये, वह तो कांग्रेस का विरोधी है तो पहले हम यह तय करें कि हमको यह पूछने का भी हक है या नहीं। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम पार्टीज को इस ढंग पर संगठित करें कि ब्यूरोक्रेसी हमारे ऊपर हावी न हो सके। अगर हम अलग अलग हिस्सों में विभाजित रहेंगे तो कभी भी उस पर हम सवारी नहीं कर सकते। उस पर सवारी करने के लिये हमें सवाई योग्यता और ईमानदारी की आवश्यकता है। यह संघर्ष बड़ा भयानक है और बड़ी तमन्ना और लगन के साथ ही हम उन परम्पराओं को डाल सकते हैं जिनसे डिमोक्रेसी की नींव मजबूत होगी नहीं तो डेमोक्रेसी भी खतरे में हो सकती है। महज चिल्लाने से न तो डेमोक्रेसी को कायम रखा जा सकता है और न सर्विसेज पर ही विजय प्राप्त की जा सकती है।

सर्विसेज के बारे में भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि रोज रोज करप्शन के किस्से सुनाने से करप्शन को दूर करने में हमें मदद नही मिल सकती। करप्शन का प्रोपेगेंडा करने से वातावरण दूषित ही होगा। यह एक बड़ी भयंकर लड़ाई है और इस समय हम एक संगीन दौर से गुजर रहे हैं, भुखमरी, गरीबी, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे इंस्टीट्यूशन्स हमारे खिलाफ हैं और पूंजीवाद की छत्र छाया में पनप रहे हैं। हम सब पर विजय प्राप्त करने के लिये हमें सारे फ्रंटों पर रचनात्मक दृष्टिकोण से लड़ना है और देश से भुखमरी और गरीबी को निकाल कर देश में नव निर्माण के कार्यों को पूरा करना है।

अन्त में मैं एक बात कह कर खत्म करता हूं। जो सोशलिस्टिक स्टेट हम बनाना चाहते हैं उसको बनाने में इससे मदद मिलेगी। मेरा विश्वास है कि उस तरफ सरकार ध्यान देगी। मिसाल के तौर पर शुगर इंडस्ट्री इस प्रदेश की एक बहुत इंडस्ट्री है। इसमें मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि इंडस्ट्री में यकायक कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता लेकिन जो मौजूदा इंडस्ट्री हैं उनकी एफीसियेंसी को ज्यादा बढ़ाने के लिये मैं समझता हूं कि शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का प्रश्न एक जीवित प्रश्न होना चाहिये। इस प्रकार विचार-विनिमय होना चाहिये, क्योंकि रोज-रोज यह कहना कि सरकार को फलां इंटरप्राइज में विफलता हुई दुबे जी आ गये, मैं उन का ध्यान सरकार के कई इंटरप्राइजेज की तरफ दिलाना चाहता हूं, उन को केवल स्टेट ट्रेडिंग ही याद रहा, उन्हें हिन्दुस्तान स्टील क्यों नहीं याद रहा कि जिस ने अपने मुनाफे से ही एक दूसरा कारखाना खोल दिया, हमारी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री मिसाल हैं हमारी कामयाबी की, एफीसियेंसी की जो बराबर बढ़ रही है। इसलिये किसी एक की वजह से पब्लिक इंटरप्राइज को बदनाम करना और उसकी थ्योरी को ही एक प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण देना उचित नहीं है। यह हमारे लिये एक कठिन समय है अगर हम इस वक्त मिलजुल कर अपनी समस्याओं पर हावी न हुये तो हम अपने को उस इनफेक्शन से नहीं बचा सकेंगे कि जो हमारे चारों तरफ पैदा हो गया है, इसलिये सभी पोलिटिकल पार्टीज के लिये लाजमी है कि जो भी उनके विश्वास हैं उनको व्यावहारिक रूप देकर, समझबूझ कर मिलजुलकर सोचें। आज बड़ा संघर्ष है ब्यूरोक्रेसी से और इस से भी ज्यादा संघर्ष होगा जब हम जूडिशियरी से लड़ेंगे। जो आज उस का रुख है और जो काम जजेज के द्वारा होता है उसके बारे में हमारा यकीन ईमानदारी से है कि जूडीशियरी ब्यूरोक्रेरी से भी ज्यादा विषाक्त है और वह असलियत से बहुत दूर रहती है, कानूनों की किस

तरह से व्याख्या होनी चाहिये और सोशलिस्ट स्टेट के मूल सिद्धांत क्या है इन चीजों पर पर उनको अपने बदले हुये नजरिये को रखना चाहिये । मेरा अटूट विश्वास है कि हम अपनी इन तमाम समस्याओं को हल कर सकते हैं यदि इन प्रश्नों पर हमारा विश्वास, हमारा दृष्टिकोण और हमारी फेथ एक सही दिशा में हो । महज बेईमानी की चर्चा मात्र होती जाय तो उससे तो वातावरण और विषाक्त होता है, इसलिये एक आबोहवा सदन के माननीय सदस्यों को पैदा करना है जिस आबोहवा में ....

*श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के संबोधन पर इस सदन में जो भाषण हुये उनको मैंने बहुत गौर से सुना। अभी माननीय गोविन्द सहाय जी का जो भाषण हुआ उस को भी मैंने काफी गौर से सुना। उन्होंने कहा कि जब ट्रांजिटरी पीरियड होता है तो करप्शन होता ही है, मैं नहीं समझ पाया कि उन्होंने उस को जस्टिफाई किया या कनडेम किया या उन्होंने यह कहा कि जब तक ट्रांजिटरी पीरियड रहेगा तब तक करप्शन रहेगा ही। उन के पूरे भाषण को मैंने सुना, मुझे तो निराशा ही उससे हुई और मुझे तो ऐसा ही मालूम हुआ कि जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में असमसभा के लोगों के भाषण हुआ करते थे कि यह सड़क बना दिया, यह पुल बना दिया यहां बिजली लगा दी गई, यही बात अंग्रेज भी अपने शासन को कायम रखने के लिये कहा करते थे।

माननीय राज्यपाल ने अपने संबोधन में भी ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया है और उस समस्या का हल और कुछ सुझाव भी बताये हैं, लेकिन यह चीज बड़ी व्यापक है और हमारे समाज के हर शोबे में, हर पहलू में करप्शन फैला हुआ है, उसका हल क्या है इस ओर उन्होंने कोई संकेत नहीं किया। मिसाल के तौर पर हमारे लेजिस्लेजर का करप्शन, मंत्रिमंडल का करप्शन जो है उस का भी कोई हल है या नहीं। पिछले साल जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो क्या क्या नहीं हुआ, लाख लाख और ५०-५० हजार रुपया खर्च कर के लोग वहां के मेम्बर बन गये। आखिर इस करप्शन को रोकने के लिये माननीय राज्यपाल कोई संकेत क्यों नहीं किया। उसी तरीके से सरकार के करप्शन की बात भी है, मैं उन आदमियों में से हूं जो विश्वास करते हैं कि सारा करप्शन जो फैलता है या जो लहर दौड़ गई है, जैसा गोबिन्दसहाय जी ने कहा कि झूंठ को झूंठ नहीं समझते, यह क्यों हुआ ? उसका कारण यह है कि जब से यह सरकार पावर में आयी है तब से बराबर करप्शन को अपना अंग मान लिया है और अपनी सारी ताकत को पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य बना लिया है। अफसरों से जब निजी तरीके से अपनी पार्टी के संचालन के लिये फायदा उठाते हैं, मैं एक मिसाल दूं यहां जब राज्य सभा और विधान परिषद् का चुनाव होता है तो कानून यह है कि जिस तरह से पार्टीज की स्ट्रेंथ होती है उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, लेकिन जिला परिषद् में यह कानून नहीं रखा, बल्कि बहुमत के आधार पर कोआप्शन की बात रखी। तो यह दो तरह के कानून क्यों ? फिर अपनी पार्टी को परपीच्युएट करने के लिये जिला परिषद् में अपने को कायम रखने के लिये कोआप्शन का क्लाज रखा। कोआप्शन कौन करेगा ? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी किसकी बात मानेगी ? मंत्री जी की। तो मंत्री जी ने करप्शन बाल को यहां से चला दिया अपनी पार्टी को ताकत में रखने के लिये। नतीजा यह हुआ कि अगर एक करप्शन मंत्री जो अपने फायदे के लिये अफसरों से कराते हैं तो १०० करप्शन की बातें अफसर अपने फायदे के लिये करते हैं और मंत्री उनको रोक नहीं सकते। मैं मानता हूं कि अफसर बहुत से मंत्रियों से इंटेलीजेंट है। तो यह डबल टाक जो है यह ठीक नहीं है। बात करते हैं हिन्दी की और इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी का। बात करते हैं प्रोहिबिशन की और शराब के ठेके दिये जाते हैं। कल ही एक कांग्रेस के सदस्य ने शाहजहांपुर के बारे में सवाल किया, मुझे ताज्जुब हुआ कि यह सवाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवानसहाय]

कांग्रेस के सदस्य ने कैसे किया । उन्होंने पूछा कि बार का लाइसेंस किसके पास है । जवाब आया एक साहब के पास है जो भारत सेवक समाज के कनवीनर हैं। उन्होंने पूछा कि उनको कनवीनर क्यों बनाया गया । तो क्या मैं कांग्रेसी सदस्यों से पूछ सकता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा शराब बनाने वाले को जिस दिन इस सरकार की सिफारिश पर अपर हाउस का मेम्बर बनाया गया उस दिन कांग्रेस के सदस्य कहां थे। उन्होंने क्यों नहीं पूछा ? अगर शाहजहांपुर के एक छोटे से शराब बेंचने वाले पर एतराज किया जा सकता है तो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा शराब बनाने वाला किस आधार पर अपर हाउस का मेम्बर बनाया गया ? यह डबल टाक क्यों करते हैं। जो बात आप कहें उसको करिये। मैंने देखा आज सवाल हो रहे थे, माननीय शांतिप्रपन्न शर्मा जी जवाब दे रहे थे मालूम हो रहा था कि मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं बल्कि सरकारी अफसरों के वकील साहब जवाब दे रहे हैं। आखिर क्यों ? क्या जरूरत है इस बात की। क्या सरकार ब्यूरोक्रेसी के आधार पर प्रान्त का कल्याण करना चाहती है ? बहरहाल, सोशलिज्म आपकी मारफत आयेगा इसकी गलतफहमी लोगों में हो सकती है, मुझे नहीं । मैं समझता हूं कि मुल्क के अन्दर जो बातें बिगड़ी हैं उन सब की जिम्मेदारी और सब की बुनियाद आपने डाली है और जब तक आप ताकत में हैं, मैं समझता हूं कि देश का कल्याण होने वाला नहीं है। आप बदल नहीं सकते अपने आपको और आपने इतना बिगाड़ दिया है कि आप बनाना चाहें भी तो बना नहीं सकते। आप किस मुंह से अफसरों के करप्शन को दूर करेंगे जब अपने करप्शन के लिये आप उनको इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कि महामना राज्यपाल ने यहां अफसरों के करप्शन का जिक्र किया था वहां इस का भी जिक्र किया होता। जैसे विधान परिषद् तथा राज्य सभा के इलेक्शन में १००,५० आदमियों को रुपये का लालच दे कर सीटें हासिल की जा सकती है । अगर आप ईमानदार थे तो पिछले दो साल के तजुरबे से आपको कानून बदलना चाहिये था और इस चुनाव पद्धति को बदलना चाहिये था। पार्लियामेंट तथा विधान सभाओं के चुनाव में कोई करप्शन नहीं होता । जहां जनता है वहां करप्शन नहीं है, लेकिन जहां हम और आप हैं वहां करप्शन है। अगर करप्शन रोकना है वाकई में तो आपको इस तरह के कानून को बदलना चाहिये था लेकिन आपने नहीं बदला और न आप बदलना चाहते हैं।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि बहुत से भाषण हुये महामना राज्यपाल के संबोधन पर और काफी लोगों ने रोशनी डाली, लेकिन राज्य जिस भयंकर खाने की समस्या से इस वक्त गुजर रहा है उसके संबंध में आखिर में एक चिट लगी हुई थी। वर्षा न होने के कारण रबी की फसल ९५,९६ फीसदी नष्ट हो गयी। अरहर की फसल करीब करीब मारी गयी । आलू की फसल बरबाद हो चुकी। सरसों की फसल कुछ कीड़े लगने से और कुछ पानी न पड़ने से तथा पाले से खराब हो चुकी है । जौ, चना और गेहूं की फसल रुपये में १ आना भी पैदा होने की गुंजायश नहीं है । लाखों एकड़ भूमि इस प्रदेश में ऐसी होगी, जिसके अन्दर हंसिया चलाने की भी काश्तकार ने जरूरत नहीं समझी । मुझे अफसोस इस बात का है कि राज्यपाल महोदय के संबोधन को अगर आप देखें तो इतनी भयंकर समस्या के बारे में बाद में एक चिट लगी हुई है पिन करके। मालूम ऐसा होता है कि हमारे मंत्रिमंडल को या राज्यपाल महोदय को जिन्होंने सिफारिश की उनको इस भयंकर समस्या का पता नहीं था। मैं आगाह करना चाहता हूं कि यह प्रांत रबी के फेमीन से गुजर रहा है । हालात जितने आप समझे बैठे हैं उनसे कहीं ज्यादा नाजुक है । अगर आपने कोई कदम अभी से नहीं उठाया तो मैं कहता हूं कि ३,४ महीने के बाद आपको उस संकट का मुकाबला करना पड़ेगा जिसको मैं समझता हूं कि यकायक आपके लिये मुकाबला करना असंभव हो जागा। उस संकट की बदौलत सिर्फ खाने की समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी बल्कि क्राइम सिचुएशन तथा अमन पर भी असर पड़ेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से तथा सरकार से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि और बातें तो हैं ही, लेकिन कम-से-कम भगवान के लिये इस मसले पर सोने से जागिये और इस पर खयाल कीजिये ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं भी समझता हुं कि यदि महामहिम राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण को हिन्दी में दे सकते तो ज्यादा अच्छा होता, परन्तु उनके यह बात कहने के बाद कि राष्ट्र भाषा के प्रति उसकी पूरी आस्था और आदर है उन्होंने अपनी विवशता का इजहार किया। उसके बाद भी हमारे कुछ साथियों ने मुनासिब समझा कि हाउस से वाक आउट करें। हो सकता है कि यह टेक्निकली अनडेमोक्रेटिक न हो, लेकिन उग्रसेन जी से यह मैं जरूर कहूंगा कि वह पार्लियामेंटरी डिकोरम और डिसेंसी के खिलाफ है। मैं भी उन लोगों में से हूं जो यह चाहते हैं कि इस प्रदेश और देश के अन्दर जितनी शीघ्र सारा काम हिन्दी में हो सके उतना अच्छा है। यह हमारा विधान के अन्दर कमिटमेंट भी है और हमको करना भी चाहिये। उसमें कुछ दिक्कतें अवश्य अपनी जगह पर है।

इसके अलावा महामना राज्यपाल ने जो अपना भाषण दिया वह बहुत छोटा है और मुझे उसको पढ़ कर खुशी हुई कि उन्होंने कोई बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं कही कि हमने यह किया, वह किया बल्कि एक मोटे तौर पर संकेत दिया है कि अभी तक हम क्या कर सके हैं, क्या कठिनाइयां हैं और क्या करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का तीसरा साल समाप्त हो रहा है। पार्लिपामेंट में एक मिड टर्म रिपोर्ट पेश की गयी। उससे इस बात का पता चलता है कि थर्ड प्लान में जो ऐग्रीकल्चर का टारगेट ३० परसेंट बढ़ने का था वह नहीं बढ़ा बल्कि तीन साल में २ सालों में २ मिलियन टन कम हुआ है। इंडस्ट्री में ७० परसेंट बढ़ोत्तरी की उम्मीद थी, उसमें सिर्फ अबतक १५ परसेंट बढ़ोत्तरी हुई है और नेशनल इन्कम में जहां ३० परसेंट अधिक होने की उम्मीद थी वहां सिर्फ ५ परसेंट तक ही अभी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के कोई आंकड़े मेरे पास नहीं है। माननीय वित्त मंत्री ने इस बात का वायदा किया था पिछले भाषण में कि इस तरह की रिपोर्ट पेश होगी लेकिन अभी तक वह पेश नहीं हुई और मैं उसका इन्तजार कर रहा हुं। लिहाजा डिटेल में मेरे लिये जाना बहुत कठिन है। एक बात जरूर है कि जब हम यहां के कृषि उत्पादन को देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुख्यत: कृषि प्रदेश है, यहां के ७४ प्रतिशत से अधिक लोग खेती पर निर्भर है। तो मुझे यह देखकर थोड़ा अफसोस भी हुआ कि दूसरी योजना के आखिरी साल में जब हमने १४२ लाख टन अनाज पैदा किया था मगर १९६२–६३ में हमने सिर्फ १३२ लाख टन ही पैदा किया। इसके माने यह हैं कि १० लाख टन अनाज कम पैदा हुआ।

इंडस्ट्री के बारे में जो थर्ड प्लान की रिपोर्ट आयी थी उसमें खुद इस बात को माना गया था कि सिर्फ ९ प्रतिशत यानी १ प्रतिशत से अधिक हमने उन्नति की है उसमें अब कुछ नये कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में खोले गये, जैसे हैवी इलेक्ट्रिकल्स का, एन्टी वायोटिक का, फर्टिलाइजर्स का, सीमेंट का उत्पादन दूना हुआ है और एक और सीमेंट फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्री बढ़ायी गयी है। मगर फिर भी मैं इस बात को महसूस करता हूं कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तथा आबादी को देखते हुए जितनी तेजी के साथ उद्योगीकरण होना चाहिये था वह अभी तक नहीं हो सका। एक बात आप और देखें वह यह कि खेती के मामले में मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रोडक्शन की जहांतक बात है वह कागजी आंकड़ों की ज्यादा होती है। हिसाब जोड़ लिया जाता है कि अगर इतनी इतनी खाद देंगे तो इतना अनाज पैदा हो जायगा और यदि इतना पानी सिंचाई के लिये दिया जायगा तो इतना इतना अनाज पैदा हो जायगा, लेकिन ऐक्चुअली जब उसके आंकड़े हम देखते हैं तो वह चीज नहीं मिलती और उसकी वजह यह है कि ऐग्रीकल्चर के संबंध में कोई इन्टीग्रेटेड इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है।

मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्य मत्री ने एक सब-कमेटी बनायी है जिसका नाम शायद ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन कोआर्डिनेशन कमेटी है जिसका यह काम होगा कि वह उन विभिन्न विभागों के अन्दर जिनका डायरेक्ट सम्बन्ध कृषि उत्पादन से है समन्वय स्थापित

[श्री नवलकिशोर]

करे। उसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मगर मैं यह महसूस करता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि विभागों का रेशनलाइजेशन भी हो क्योंकि मैंने यह देखा कि १२ साल की प्लानिंग के बाद भी कोआर्डिनेशन की कोई सफल शकल नहीं दिखायी देती है बल्कि जिसे कहते हैं कि डिपार्टमेन्टल इम्पीरियलिज्म-ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म तो खत्म हो गया—वह बढ़ता चला जाता है। कोआर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता है और मैं समझता था कि हमारे प्लानिंग डिपार्टमेन्ट का काम कोआर्डिनेशन ही होगा लेकिन वह तो खुद एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट बनता चला जाता है।

इस सम्बन्ध में मुझे दो, एक बातें कहनी हैं और वह यह कि मैं यह महसूस करता हूं कि जो भी कारण अब तक रहे हों आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि विभाग को फिर से पुनःसंगठित किया जाय। मिसाल के तौर पर मेरे दिमाग में यह बात नहीं आती है कि गन्ने के उत्पादन को कृषि से कैसे अलग किया जा सकता है? इसी तरह एक हमारे यहां फूड यूटिलाइजेशन बोर्ड है। हमारे यहां सारा होर्टीकल्चर अलग है और पहाड़ों का अलग है। दोनों का मिलान (cnteyration) होना चाहिये। कोई वजह नहीं है कि गन्ने का उत्पादन खेती से अलग हो। हमारे यहां कम्यूनिटी डेवलपमेंट में जो सर्विसेज हैं, ये इम्लीमेंटशन का काम करती हैं, कृषि विभाग में रिसर्च का काम अलग होता है और एक्जीक्यूशन का काम अलग से होता है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन विभाग किस के पास है। यह मुख्य मन्त्री जी का काम है। लेकिन अगर एक्जीक्यूशन, रिसर्च और इम्पलीमेंटेशन में कोआर्डीनेशन नहीं होता है तो दिक्कत आ सकती है। एक एक्सपेरीमेंट कमेटी बना कर किया गया है और साथ ही एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर को भी एप्वाइन्ट किया गया है। यह अच्छी बात है क्योंकि अब एक आदमी को जिम्मेदार ठहराया जायगा कि वह देखे कि प्रदेश में कृषि का कितना उत्पादन बढ़ सकता है? मगर इसके बाद भी मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट को फैसला करना पड़ेगा कि कम्युनिस्टी डेवलपमेंट गन्ना और एग्रीकल्चर को एक साथ रक्खा जाय।

मान्यवर, गन्ने की हमारे यहां मुख्य फसल है। मुझे खुशी है कि हमने एक हाई पावर कमेटी की मांग की थी, उस को पूरा करके मुख्य मंत्री जी ने उसको नियुक्त किया है। वह तमाम बातों को देखेंगी कि किस मिल की कितनी कपैसिटी है गुड़ और खांडसारी की क्या आवश्यकतायें हैं और दोनों में कितना कोआर्डिनेशन हो सकता है जिससे किसी इंडस्ट्री को नुकसान न पहुंचे और सब बढ़ती चली जायं। लेकिन मुझे देख कर ताज्जुब हुआ कि इसमें लिखा हुआ है कि गन्ने की पैदावार १०० मन फी एकड़ बढ़ाने का प्रस्ताव है। मुझे याद है कि १९५१-५२ में पहली पंचवर्षीय योजना के पहली साल में गन्ने की पैदावार ४६३ मन फी एकड़ की थी। और १९६२-६३ में यह पैदावार घट कर ४०९ मन फी एकड़ हुई। जबकि हमारा लक्ष्य ६५० मन फी एकड़ था। साफ है कि हम बराबर पिछड़ते चले जा रहे हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि ३२ लाख एकड़ भूमि में गन्ना की पैदावार होती है और ५४ मन फी एकड़ पैदावार घटने से १७ करोड़ मन गन्ना की पैदावार कम हुई यानी किसान को ३४ करोड़ रुपया कम मिला सो यह कोई अच्छा नियोजन नहीं है। मैं यह महसूस करता हूं कि आप के केन डिपार्टमन्ट ने अपना पार्ट अच्छी तरह से अदा नहीं किया है उसके भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं कहता हूं क्योंकि वह तो सब जगह पर है। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि केन डिपार्टमेन्ट का ओवरहालिंग होना चाहिये। इसकी नितांत आवश्यकता है।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि पेड़ी (चावल) (cereals) दालें वगैरा के पैकेज प्रोजेक्ट खोलने की बात है। अलीगढ़ में ऐसा ही एक पैकेज प्रोजेक्ट जो है की पैदावार बढ़ाने के लिये खोला गया जिसमें ७ करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च होने वाला था। मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी जो इसमें कामयाबी हुई है उस की रिपोर्ट दें ताकि पता चले कि अलीगढ़ में सात करोड़ रुपये में से कितना खर्च हुआ और कितनी गेहूं की पैदावार फी एकड़ बढ़ी।

मान्यवर, इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, सही बात है और यह भी सही है कि पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी है। डाक्टर साहब ने सदन में जो आंकड़े दिये थे, मैंने देखे, वे सही थे। हमारे यहां ४.३ परसेंट आदमी बढ़ी है। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के आंकड़े देखें तो पिछले साल में ढाई परसेंट आमदनी बढ़ी है जबकि कीमतें ८ पससेंट से ज्यादा बढ़ गई हैं, वैसे तो ४४ परसेंट तक कीमतें बढ़ गई हैं। मुझे खुशी है जब माननीय नेगी जी ने इस बात का एलान किया है कि उनके बाद इतना अनाज है कि जितनी दूकानें चाहें वे खोलने के लिये तैयार हैं। यदि ऐसा है तो मैं उन्हें इस बात के लिये बधाई देता हूं परन्तु मुझे ऐसा लगता है और माननीय नेगी जी भी इस बात को देखें कि जो आटा दूकानदारों को बेचने के लिये फेयर प्राइस शाप्स पर जाता है वह ४ रुपये प्रति बैग ब्लेक मार्केट से मिलों से उनको बेचने की लिये मिलता है क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो चोर-बाजारी और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। आज डी० एस० ओज० के आफिस भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गये हैं। शुगर स्कैन्डल है, सीमेन्ट के स्कैन्डल हैं और मैं माननीय नेगी जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे मेहरबानी करके सख्त कदम उठावें और अगर चार, आठ या दस डी० एस० ओ० को उन्हें सस्पेंड भी करना पड़ता है तो वह उनको सस्पेंड करें क्योंकि हमारा समाज अब भ्रष्टाचार बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं है।

मैं उनसे एक दरख्वास्त यह भी करूंगा कि जिस तरह कि चावल में स्टेट ट्रेडिंग हो गयी है वे एक दम और आगे बढ़ावें और फूड ग्रेन्स हमारे स्टेट के अन्दर स्टेट ट्रेडिंग को चलायें उस में हमारा, उसमें हमारा प्रदेश एक मिसाल भी और प्रदेशों के लिये कायम करे क्योंकि उसकी परिस्थितियां आज हमारे प्रदेश की हैं उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल है।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बहुत बात कही गयी है। यह बात सही है कि वह बढ़ा और इसीलिये नन्दा जी को यह बात कहनी पड़ी है कि दो साल के अन्दर अगर भ्रष्टाचार नहीं बन्द हो जायगा तो वे अपने स्थान से त्यागपत्र दे देंगे। इससे यह बात साबित है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और हर जगह बढ़ा हुआ है। मुझे इस बात की तकलीफ है कि जुडीशियरी जो आज तक भ्रष्टाचार से अलग समझी जाती थी आज वह उस पर भी हावी होने लगा है यह बड़े दुख की बात है। इस सम्बन्ध में एक विजिलेंस कमीशन बनाने की बात भी अभिभाषण में आई है जिसके २ हिस्से होंगे। एक तो इनवेस्टीगेशन का और दूसरा जो ४८ से बना हुआ ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वह रहेगा। मान्यवर, ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने १४ साल के अन्दर ५२ केसेज को अपने हाथ में लिया। अगर यही स्पीड ४ केस पर ईयर की रही तो फिर यह ट्रिब्यूनल केवल पैपर की चीज ही रह जायगी उससे कोई भला होने वाला नहीं है। विजिलेंस कमीशन का काम एक डी० आई० जी० के अधीन रखा गया है। डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने कहा कि इसको नान आफिशियल आदमी के हाथ में देना चाहिये। मैं उस बात को मानता हूं कि अगर हमें जनतंत्र को मजबूत करना है तो नान आफिशियल एजेंसी को मजबूत करना होगा और जनता के नुमाइन्दों पर विश्वांस करना होगा। यह हमारे लिये वाकई बड़े शरम की बात होगी कि अगर हम एक भी आदमी इस प्रदेश के अन्दर नान-आफिशियल ऐसा निकाल पावें जिसे हम चैयरमैन इस कमेटी का बना कर बैठा सकते हों। यह बात सही है कि मिस्टर जिया राम, को मैं परसनल एक्सपीरियंस से कहता हूं वैसे मैं परसनली किसी सर्टीफिकेट देने का आदी नहीं हूं कि उनकी इटेग्रिटी बहुत ऊंची है और उत्तर प्रदेश के जो पुलिस आफिसर्स हैं और हिन्दुस्तान के अन्दर भी जितने भी पुलिस आफिसर्स हैं उनमें वह ईमानदार आदमी माने जाते हैं। लेकिन यह जरूर है कि अगर नान आफिशियल आदमी को उसमें नियुक्त करें तो वह ज्यादा पापुलर तथा विश्वसनीय होगा।

(लाल बत्ती होने पर)

अगर आपकी इजाजत जरा देर के लिये और हो जाय तो अच्छा है। वैसे तो मैं आप का हुक्म मानूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप ३ मिनट और बोल लें।

श्री नवलकशोर—

आप ५ मिनट मुझे और दे दें। मान्यवर, समाजवाद की बात कही गयी है कि इसके अन्दर समाजवाद की कोई रूपरेखा नहीं दिखाई देती। मैं यह नहीं समझ पाया कि कैसा समाजवाद चाहिये। यह जरूर है कि डाक्टर अहमद साहब और हमारे समाजवाद के तरीके में अन्तर है और इस बात को माननीय झारखंडेराय जी भी मानेंगे कि डिमोक्रेसी का तरीका बड़ा आहिस्ता होता है। एक दम कोई एक न एक परिवर्तन नहीं हो पाता है। मैं इस बात को मानता हूं जैसा कि माननीय गोविन्दसहाय जी ने भी कहा कि उस में दो चार बातों का समावेश हो सकता था। क्योंकि एक बात और भी है और वह यह कि भुवनेश्वर के बाद तो ऐसी आशा और भी बढ़ गई है। समाजवादी समाज और पूंजीवादी समाज में काम एक से ही होते हैं, सड़कें भी बनती हैं और अस्पताल भी बनते हैं लेकिन दृष्टिकोण का फर्क होता है। एक में इंडिविजुअल ओनरशिप होती है दूसरे में कम्यूनिटी ओनरशिप। गोविन्दसहाय जी ने ठीक कहा कि पब्लिक सेक्टर बढ़ते हुये भी यह सम्भव है कि वह सोशलिस्ट स्टेट न हो कर स्टेट केपीटेलिज्म की तरफ जासकती है, तो दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है जो कि शिक्षा संस्थाओं में से शुरू होने की बात है। डाक्टर अहमद साहब ने दो बातें कहीं। नेशनलाइजेशन आफ़ बैंक्स होना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानते हैं कि बैंकों का नेशनलाइजेशन होना चाहिये मगर यह तो केन्द्र करेगा। शुगर फैक्टरीज के राष्ट्रीय करण के बारे में सिद्धान्ततः मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन एक दिक्कत महसूस होती है क्योंकि मिलों की मशीनें इतनी आउटमोडेड हैं अगर उन को नेशनलाइज किया तो कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा, वह कहां तक मुनासिब होगा या नहीं यह देखने की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी मिक्स्ड एकानामी है उसमें अभी यह गुंजायश है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कुछ टाइम तक साथ-साथ चल सकते हैं। हां प्राइवेट सेक्टर पर नियन्त्रण अधिक हो फिर अन्ततोगत्वा पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन तो होगा ही और ओनरशिप सोसाइटी की होगी, इंडिविजुअल की नहीं होगी। मैं इत्तफाक करता हूं कि छः फैमिलीज के हाथ में आधे से ज्यादा देश के इकोनमिक पावर हो, यह उचित नहीं है उसके लिये तोड़ना चाहिए, मोनोपलीज को खत्म किया जाये उनकी शक्ति को कमजोर करना चाहिये। मैं इस बात का हामी हूं कि जिन उद्योगपतियों के पास एरियर्स हैं, सेस के, सेल्स टैक्स के, किसानों के, बिजली के उनका प्रासीक्यूशन होना चाहिये, उनकी मिलों को गवर्नमेन्ट को टेक ओवर कर लेना चाहिए लेकिन एक दम से नेशनलाइज कर लिया जाय यह बात सोचने की है सरकार देखे कि ऐसा करने से कितना कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। एक बात और कहना चाहता हूं वह यह कि नेशनलाइजेशन के लिए एक सेपेरेट ट्रेड कैडर बनाना पड़ेगा। तब इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन होगा। वर्तमान नौकर शाही से काम नहीं चलेगा।

एक बात नौकरशाही के बारे में कही गयी। यह बात सही है कि नौकरशाही की जो शिकायतें हैं, अपनी जगह पर बहुत ठीक हैं। उनके अन्दर वह रेस्पांसिवनेस पैदा नहीं हुई है जो होनी चाहिये। लेकिन मैं झारखंडेराय जी को याद दिलाता हूं कि रूस में भी मि० ख्रुश्चेव ने कहा था कि इतने दिनों की क्रान्ति के बाद भी, (४५ साल के बाद भी) वह पूर्णतया रशन ब्यूरोक्रेसी पर हावी नहीं हो पाये हैं। जब कि वहां डिक्टेटरशिप है। यही हालत चीन की है। डेमोक्रेसी में बहुत जल्दी चेंजेज नहीं हो सकते। इसके अलावा कुछ हम पर भी निर्भर करता है। घोड़ा घुड़सवार को खूब पहचानता है, कि उस की रान में कितनी ताकत है। अगर ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं हुई है तो हमारी भी जिम्मेदारी है और उसके लिए आवश्यकता है कि देश के अन्दर बहुत संगठित राजनीतिक शक्ति जनप्रतिनिधियों के पीछे होनी चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं। सचिवालय के पुनस्संगठन के बारे में भी कोशिश की गयी। ऐपिल की रिपोर्ट, गोरवाला रिपोर्ट आयी, केन्द्र भी बहुत कुछ नहीं कर पाया। हमारे यहां के० के० दास रिपोर्ट आयी। माननीय मुख्य मन्त्री ने एक बात की है। उन्होंने थोड़ी सी रिशफ्लिंग की है। मेरा विश्वास यह है कि सेक्रेटेरिएट का कोई अफसर कितना

ही काबिल क्यों न हो, जब ज्यादा टाइम तक वहां ठहरता है, उसका एक क्लीक-सा बनजाता है, सेल्स बन जाती है, उसके अन्दर बहुत सी खामियां पैदा होती हैं। इसलिए हमारा यह नियम होना चाहिये कि तीन साल के बाद सेक्रेटेरिएट से जिले को जायं और जिले से सेक्रेटेरिएट को आएं। इससे एक ताजा अनुभव प्राप्त व्यक्ति मिल सकेगा। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस तरफ कदम उठाया है।

आखिर में मैं यह कहूंगा कि जो आज प्रदेश की स्थिति है, मेरी इस बात की अपील है कि अगर वाक़ई समाजवाद और जनतंत्र को चलाना है, तो वह तमाम पार्टियां जिनका समाजवाद और जनतंत्र में विश्वास है, उनका फर्ज है कि वह एक प्लैटफार्म पर आएं। याद रखिये आज भी तमाम निहित स्वार्थ, देश की इकोनामी में तब राजनीति में, मजबूती के साथ घुसे हुए हैं। जरूरत है कि हम सब कंधे से कंधा मिला कर बढ़ें तभी देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)——

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी नवलकिशोर जी को और भी अन्य मित्रों को बड़ा दुख हुआ, उनके दिल को बहुत चोट लगी। नवलकिशोर जी तो लखनऊ के पास के रहने वाले हैं, ज्यादा नाजुक दिल होगा। बड़ी चर्चा हुई कि महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर सोशलिस्ट पार्टी के विधायकों ने सदन का वहिष्कार क्यों किया? मैं इस पर एक दो वाक्य कह देना चाहता हूं। मैंने महामहिम को पत्र लिखा। पारसाल भी पत्र लिखा था। उनसे निवेदन किया कि जैसी परम्परा आपने गत वर्ष अपनायी है वह पर परा आप इस वर्ष भी रखें। उसके बाद जब कोई पत्र नहीं आया तो मैंने टेलीफोन किया। उनके सेक्रेटरी मिले। उन्होंने कहा कि वह आपसे मिलेंगे। बुलाया है। मैं वहां गया। हमारे भाई उस दिन कह गये और अंग्रेजी के अखबार में भी शायद निकला था, लोग बता रहे थे, मैंने तो देखा नहीं कि हम जो वहां गये तो अंग्रेजी में ही उनसे हिन्दी की वकालत करते रहे, यह गलत बात है। इसके तो गवाह महामहिम राज्यपाल ही हैं, अन्य नेता विरोधी दल भी वहां थे। हमने वहां भी वकालत की, उन्होंने कहा कि उन्हें हिन्दी में भाषण करने में असुविधा है तो हमने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के लिए यह सिद्धान्त का प्रश्न है और श्रीमन्, बहुत जिम्मेदारी के साथ, उनका आदर करते हुए, सम्मानपूर्वक हमारा जो परम कर्त्तव्य था उसको हमने निभाया। क्यों निभाया? माननीय नवलकिशोर जी, आज यह अंग्रेजी हिन्दुस्तान में ५० लाख लोगों की भाषा हो गई है। यह डान वास्को सैन्फ्रांसिस को पढ़ने वाले जिनका बाप कलेक्टर होगा, जिनका बेटा कलेक्टर होगा यह पचास लाख लोग हैं, उनकी भाषा अंग्रेजी हो गई है और जो आप करप्शन और भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी-बड़ी बात करते हैं उस भ्रष्टाचार की जड़ हिन्दुस्तान में अंग्रेजी भी है। मेरा यह कहना है श्रीमन्, कि अगर अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग हटा दिया जाय तो मुल्क से भ्रष्टाचार समाप्त होने में बल मिलेगा। कचेहरियों से लेकर ऊपर तक बल मिलेगा। हमने राज्यपाल महोदय से कहा कि वह उड़िया में बोलें, अपनी मातृभाषा में बोलें। माननीय नवलकिशोर जी चले गए। कहते हैं कि बड़ी बेइज्जती हो गई। दो दृष्टिकोण हैं श्रीमन्, एक पूंजीवादी इज्जत और बेइज्जती का दृष्टिकोण और एक सर्वहारा इज्जत और बेइज्जती का दृष्टिकोण। तो समाजवादी दृष्टिकोण इज्जत का क्या है? हम तो इसमें बहुत ही गौरव और इज्जत समझते हैं कि अपनी बात अपनी भाषा में कहें और आप को ताज्जुब होगा इस माननीय सदन के कम से कम १५० सदस्य ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते। नवलकिशोर जी जानते हैं, वह अंग्रेजी की वकालत करते हैं तो हमारे और उनके स्वार्थ में संघर्ष। महामहिम कहते हैं कि मैं हिन्दी नहीं जानता। मैं जानता हूं कि वह हिन्दी जानते हैं। त्रिपुरी कांग्रेस में मैंने सुना, हिन्दी साहित्य सम्मेलन में सुना, उड़ीसा के हिन्दी प्रचार केन्द्र में बोले हैं और दक्षिणी भाषा प्रचार सभा में हिन्दी का काम करते थे पहले राजगोपालाचारी के साथ। और अगर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल यह कहे,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति कहे कि हम हिन्दी जानते ही नहीं हैं, तो क्यों नहीं सीख लिया। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता इस पर। यह पचास लाख की अंग्रेजी भाषा हिन्दुस्तान से खत्म होकर रहेगी। नहीं खपत होगी तो अंग्रेजी को भड़काने के लिये जैसी बगावत हिन्दुस्तान में हुई वैसी ही बगावत अंग्रेजी को भगाने के लिये होगी।

समाजवादी विद्यालय खोलने वाले माननीय गोविन्दसहाय जी शायद चले गये। एक स्कूल उन्होंने खोल लिया है, अच्छा है। समाजवाद का बड़ा नारा लगाया जाता है। सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि हमारा समाजवाद हो। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि समाजवाद की अन्तिम सीमा है कि जब राज्य मुरझा जाय, वह समाजवाद हो। गोविन्दसहाय जी ने अपना स्कूल ही अलग खोल लिया है। कांग्रेस ने क्या किया? अबाड़ी में एक प्रस्ताव पास किया कि समाजवादी समाजवाद तो हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम समाजवादी ढंग का समाजवाद कर रहे हैं। समाजवादी ढंग के समाज की रचना अबाड़ी कांग्रेस ने स्वीकार की। उसके बाद जयपुर में गये। वहां कहा कि साहब देखिए, जनतांत्रिक समाजवाद हमारा होगा और उस जनतांत्रिक समाजवाद में क्या होगा कि जनता को समान अवसर मिलेगा। कलेक्टर को वही अवसर दिया जायगा और एक २५-१-२७ १/२-३५ रुपये के ग्रेड वाले को वही अवसर दिया जायगा और जो मुख्य सचिव हैं के० के० दास ३,५०० रुपया पाने वाले, उनको भी वही अवसर दिया जायगा।

एक तो पानी में तैरना सीखता है और एक आदमी बनारस में मीलों तक तैर जाता है। दोनों के लिये एक व्यवहार है। जो वैसे ही तैरता है, अच्छी तरह से तैर नहीं सकता है उसको भी वही और दूर तक तैर जाता है उस को भी वही व्यवहार यहां पर मिलता है। पहले कहा गया था कि निजी पूंजी पर कब्जा किया जायगा। उसका परिणाम क्या हुआ वह आपके सामने है। उसके बाद भुवनेश्वर आगया। वहां पर क्या कहा गया। माननीय त्रिपाठी जी के ही पुराने साथी डा० सम्पूर्णानन्द जी ने समाजवाद की किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवाद एक जीवन दर्शन है....

श्री अध्यक्ष—

आप राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर बोल रहे हैं या किसी और विषय पर बोल रहे हैं?

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, सब ने अपने-अपने स्कूल खोल दिये हैं तो मैं भी उनको बतला रहा था कि उस सम्बन्ध में मेरे विचार क्या हैं। उसके बाद भुवनेश्वर आया। भुवनेश्वर में बड़ी आवाज लगाई गई। कहा गया कि व्यक्तिगत पूंजी पर नियन्त्रण लगाया जायगा। कृषि स्थिति को मजबूत किया जायगा। धनकुट्टी मशीनों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा। मुझे इसकी प्रसन्नता नहीं है। इस बात की प्रसन्नता है जेड० ए० अहमद साहब को जिन्होंने इस समाजवाद के सिद्धान्त का स्वागत किया। मैं समझ नहीं पाता हूं कि वह जरा भी उसके सिद्धान्त से प्रसन्न हैं। मैं समझता हूं कि अगर जेड० ए० अहमद साहब जरा भी प्रसन्न हुये होंगे तो सिद्धान्त से प्रसन्न नहीं हुये होंगे। मेरे पास सोवियट रूस की कम्युनिस्ट पार्टी की एक चिट्ठी है। मैं इस बात को जानता हूं कि समाजवाद कैसे आता है और किस प्रकार से समाजवाद फैलता है।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उग्रसेन---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भुवनेश्वर कांग्रेस के समाजवाद की व्याख्या कर रहा था समाजवादी दृष्टिकोण से। राष्ट्रीयकरण का सवाल उसमें उठता नहीं। केवल कुछ फसलों और पशुओं के बीमे की व्यवस्था उसमें है। यह हो गया भुवनेश्वर का समाजवाद। मुझे आश्चर्य है कि कैसे डाक्टर अहमद साहब ने इसका इतना स्वागत किया। उनकी समाजवादी क्रान्ति क्या है इसे मैं दो वाक्यों में बतलाना चाहता हूं। यह सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की खुली चिट्ठी है इसके पन्ने ३९ पर दिया है कि समाजवादी क्रांति हर एक देश में वर्ग संघर्ष के आंतरिक विकास के फलस्वरूप सम्पन्न होती है। आम नियम है पूंजी की सत्ता की क्रांतिकारी समाप्ति और किसी न किसी रूप में सर्वहारा एकाधिपत्य की स्थापना। यह है उनका समाजवाद। यहां की कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत से लोग नेहरू जी के गुट के हैं और बहुत से उनके विरुद्ध हैं। हमारे डाक्टर साहब नेहरू जी के गोल में हैं। तो मुझे इस पर आश्चर्य हो रहा है कि भुवनेश्वर प्रस्ताव में उनको क्या मिला। सबसे बड़ी बात है उत्पादन के साधन और उनके वितरण पर समाज का अधिकार हो। इसका भुवनेश्वर प्रस्ताव में कहीं नाम नहीं है। दूसरे समाज सत्ता और समाज के जो वर्ग संगठन हैं उनके वर्ग संघर्ष को तीव्र करके समाजवादी क्रांति करने की कहीं चर्चा नहीं है। इस प्रदेश और देश में बड़ा फर्क है। हमारा खेत मजदूर ८ आना पाता है, आपका कर्मचारी दो रुपया पाता है और आपका कलेक्टर पाता है ३० रुपया रोज जब कि आप पाते हैं ३०० रुपया रोज और बिड़ला पाता है ३ लाख रुपया रोज। कलकत्ते का एक सेठ २०,००० रुपया रोज नहीं खर्च करता है और हमारे प्रधान मंत्री २५,००० रुपया रोज खर्च करते हैं। हमारे डाक्टर लोहिया ने इस पर एक किताब लिखी है। अली जहीर साहब के कुत्ते पर ५ रु० रोज खर्च होते हैं। केन्द्रीय सरकार की एक संस्था है आर्थिक जांच राष्ट्रीय काउन्सिल, दिल्ली में। प्रति व्यक्ति कितनी आय होती है देश में उसने इसकी जांच की है। उसकी रपट सरकार के पास है। उसमें बतलाया गया कि देवरिया में एक आदमी की साल भर की आय ९८ रुपया है, टेहरी और गढ़वाल में ८४ रुपया है। इस तरह से ४० जिलों का हवाला उसमें दिया गया है। हम तो २७ करोड़ लोगों में से हैं जो ३ आना रोज पाते हैं। साढ़े १६ करोड़ १ रुपया रोज पाते हैं और कुछ लोग ३३ रुपया रोज पाते हैं। वे कुछ लोग ही इसको समाजवाद का पाठ पढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि आप १५ रुपये रोज पर आ जायं तो इससे २५ अरब रुपये की बचत होगी और हमारा बहुत सा काम हो जायगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि इस प्रदेश में पहली योजना जब शुरू हुई उस समय ग्रामीण व्यक्ति की आय थी २१२ रुपया। पहले १९३ पर आय घटते-घटते वह १८२ पर आया। पर आय कहां गयी? २४ अरब का खर्चा था वह फिर ४८ हुआ। अब वह १२ हजार करोड़ तीसरी योजना में खर्च कर रहे हैं, परन्तु क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ायी? सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि कम से कम इस आमदनी को एक और दस के म्यार में बांध दो। अफ्रीका की तरफ देखें वहां भी ४००रु० एक भंगी पाता है। बर्मा आपके नजदीक का देश है। वहां कम से कम एक अध्यापक की तनख्वाह ११४ रु० है और राष्ट्रपति १,६०० रु० से अधिक नहीं पाता है। अपने सचिवालय में देखिये जहां चिराग तले अंधेरा है कि चपरासी को २७-११/२-३२ रु० मिलता है और सचिव ३,५०० रु० पाता है। आबादी के बाद आप जैपुर गये फिर भुवनेश्वर, अब कहां जायेंगे? क्या अन्डमन निकोबार तक जायेंगे? मैं राय साहब से कहना चाहता हूं कि भुवनेश्वर का समाज वाद बच्चों के लिए एक जापानी खिलौना दे दिया गया है। जब तक कि समाज के सारे आर्थिक साधनों पर, वितरण के साधनों पर समाज के जन प्रतिनिधियों का कब्जा नहीं हो जायगा तब तक समाजवाद लाने की कोई प्रक्रिया नहीं कही जा सकती। कोई हवाई समाजवाद नहीं आ जायगा। गोविन्दसहाय जी कहते हैं कि नौकरशाही से काम नहीं होगा। ३०० रु० आप पाते हैं। भवन है, साज सज्जा है, लेकिन एक कर्मचारी २५-३० रु० पाता है। नेगी साहब के पास घर पर काफी अनाज भरा पड़ा है, लेकिन बाजार में जाने पर नहीं मिलता है। ३० हजार का प्रदर्शन हुआ था। कहते हैं कि ३० रु० बढ़ा दीजिये, क्योंकि २१२ मंहगाई के आंकड़े बढ़ गये हैं। दूसरा पे कमीशन बैठाइये। भारत सरकार ने २ बार पे कमीशन बैठाया और अन्य

[श्री उग्रसेन]

प्रायः सभी सूबों ने कमीशन बैठाया। बंगाल ने संकटकालीन स्थिति में भी नये स्केल लागू कर दिये। मैं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आवाहन करता हूं कि वे अवश्य लड़ें। जब सरकार बन्द हो जायगी तो सोचेगी कि आपके भी बच्चे भूखे हैं। इसमें कोई औचित्य नहीं है कि सरकार उनकी मांगों पर कुठाराघात करे।

यहां बड़ी चर्चा हुई भ्रष्टाचार पर। माननीय उपाध्यक्ष, मेरा निवेदन आप कृपया अध्यक्ष के पास भिजवा दीजिये। एक बार यहां भ्रष्टाचार पर खुल कर बहस हो जाय। कि हर एक पार्टी के भ्रष्टाचार पर क्या विचार है। एक मंत्री हैं वे एक हवाई जहाज ले कर चले जाते हैं जब कि उस पर १०-१० आदमी चलते हैं। वे कहां भ्रष्टाचार करते हैं। मामा के मामा, साले के साले, फूफा आदि सब सर्विसेज में भरे पड़े हैं। माननीय संपूर्णानन्द जी जब थे तो उच्च पदों पर उनकी जाति के पहुंच गये और जब वे खिसके उनकी जाति के लोग भी नीचे खिसक गये। जब गुप्ता जी आये तो ९ मंत्री उन्हीं की जाति के हो गये। अब वे भी जरूर खिसकेंगे, क्योंकि सुचेता जी आ गयीं। यह कोई भ्रष्टाचार थोड़े ही है। यह ठीक हो रहा है। एक सिंचाई का डाक बंगला है ५६ एकड़ का। जिसमें काफी फल पैदा होता है, लेकिन वह कहां जाता है सिंचाई विभाग के अधिकारियों में बंट जाता है। यह तो मैं छोटी बात कह रहा हूं, क्योंकि केन्द्रीय कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उग्रसेन तो छोटी बात करता है। अरे तुम भी एक टोकरी ले जाओ। यह कोई भ्रष्टाचार है। मुजफ्फर साहब २५ लाख रु० गप कर गये वह कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री चौ० गिरधारीलाल के घर पर ६०० बोरे सीमेंट पकड़ा गया। वह कहते हैं कि नेगी साहब ने दिया। नेगी साहब कहते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का है। यह कोई भ्रष्टाचार थोड़े ही है। तो एक दिन खुल करके बहस हो भ्रष्टाचार पर और एक म्यार और दृष्टिकोण बनना चाहिये कि आखिर भ्रष्टाचार है क्या। फैसला हो जाय।

एक डाकू था अजामिल। उसका सिद्धांत था कि मैं तो संसार से लोगों को शरीर मुक्त करता हूं और धन से मुक्त करता हूं। "तेन त्यक्तेन भुंजिया" यह त्याग है जिन्दगी का मजा लो। इसी तरह से आप भी धन विहीन और शरीर विहीन कर रहे हैं। अगर यही सिद्धांत है तो भ्रष्टाचार का म्यार बदलने वाला नहीं है। नवलकिशोर जी सिर हिला रहे हैं, लेकिन जब वे बरेली से चलते हैं तभी से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। गोमती की सफाई से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। यह तो गंगोत्री से जहां से गंगा निकलती है वहीं कीचड़ जमा हुआ है। यह दिल्ली में कीचड़ है। लखनऊ के मंत्री मंडल में वह नीचे का है।

(लाल बत्ती होने पर)

जैसे औरों को समय दिया मुझे भी ५ मिनट और दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको २० मिनट का टाइम था। उसमें से १६-१७ मिनट हो चुके हैं।

श्री उग्रसेन—

गृह मंत्री जी रोज हांकते हैं कि कहां भ्रष्टाचार है? जौनपुर का सन् १९६२ का मामला है। एक बीमा इंस्पेक्टर ने एक किसान को मरवा दिया। ८,००० रु० का बीमा था। लाश लाइन पर रखवा दी, लेकिन ट्रेन से वह कटी नहीं। बीमा इंस्पेक्टर पकड़ा गया। दरोगा ने पकड़ा, तो राम लखन साहब सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब के पास चले गये और वह छोड़ दिया गया। एक डाकू था राहुत सिंह जो जब वह पकड़ा गया तो उसने कहा कि राम सूरत सिंह भी डकैती में थे। फौरन गृह मंत्री के दामाद टपक गये और मामला उठा लिया गया। यह भ्रष्टाचार थोड़ा ही है। यह तो राय साहब, दूबे जी और बलवानसिंह जी झूटी आवाज उठा रहे हैं। मैं कोई दूध का धोया नहीं हूं। मैं जब ट्रेन में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि

ये एम० एल० ए० है । यह इसमें लेता है उसमें लेता है । इस सब की जिम्मेदारी उन पर है जो वहां बैठे हैं । एक दफा फैसला हो जाना चाहिये । सरकार में अगर दम है तो जस्टिस मुल्ला, जस्टिस धवन और चीफ जस्टिस का एक कमीशन बैठ जाय । वे निर्णय करे कि माननीय कमलापति, नेगी और सीताराम, जितने माननीय हैं, जब मंत्री नहीं थे तो क्या थे और आज उनकी हैसियत क्या है । तो हाई कोर्ट के जज की एक कमेटी बैठ जाय और वह खुलासा करे । यह क्या जिया राम करेंगे ? अगर जियाराम करेंगे तो गृह मंत्री उनके घर में डकैती डलवा देगा । सब साफ हो जायगा । इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा । बर्मा के मिनिस्टर थाकिन नू का नाम प्रसिद्ध है । उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जब वह चलने लगे तो उसने कहा कि मैं गरीबी ले आया और गरीबी लिये जा रहा हूं और उपहार नेशन अखबार को दे दिये । मैंने स्वयं देखा उसके पास कुछ नहीं था । इसी तरह से भ्रष्टाचार मिटेगा ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि ओला, पाला पड़ा है, लेकिन कलेक्टर लोग मौज मार रहे हैं । देवरिया के कलेक्टर, जबकि कैनेडी मरा पड़ा था वे अपने यहां नाच करा रहे थे । मैंने लिख कर दिया, फिर भी उनका कुछ भी नहीं हुआ । ओला, पाले से सारी फसल नष्ट हो गयी, अब तक उसकी जांच तक नहीं हुई । अब मंत्री जी जांच करेंगे । अगर समाजवादी सरकार होती तो आज सब कलेक्टरों को फांसी पर लटकवा देती । यह जो आज आपस में दुलत्ती चला रहे हैं आप, इसका कोई अच्छा नतीजा निकलने वाला नहीं है । हमारे झारखंडे-राय जी जो न चीन गुट में हैं, न रूस गुट में हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर समाजवाद को हिन्दुस्तान में लाना है तो आप समाजवादी सिद्धांतों को मान्यता दीजिये, वेतनों में १ और १० का अन्तर रखिये, लोक भाषा को अपनाइये, समाजवाद की अन्य बातों को अपनाइये, नहीं तो समाजवाद आने वाला नहीं है । माननीय दूबे जी की समझ में यह नहीं आयेगा, उनका तो समाजवाद टाटा और मुन्शी का समाजवाद है, उनको तो समाजवाद से चिढ़ है, उनको तो माननीय गोविन्दसहाय जी के स्कूल में जरूर इसकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता का भाषण सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने यद्यपि संशोधन पेश किया, मगर बड़ी शिष्ट भाषा में आलोचना की । उन्होंने इस बारे में एक परम्परा पैदा की, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों के भाषण को सुन कर मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ और थोड़ा सा खेद भी हुआ । गवर्नर महोदय के भाषण किसी गीता के दर्शन करना, या उसमें समाजवाद के दर्शन करना या मार्क्सवाद के दर्शन करना, सम्भव नहीं है । उसमें तो अभी तक जो कुछ हुआ है और आगामी वर्षों में यह सरकार क्या करना चाहती है उसका ही संक्षेप में सिंहावलोकन किया जा सकता है । उनका भाषण कोई इनसइ-क्लोपीडिया नहीं हुआ करता । भविष्य में कैसा समाज बनने वाला है, वह उसकी भी पुस्तिका नहीं हो सकती है । भुवनेश्वर सेशन के बारे में उसमें कोई जिक्र नहीं था इससे भी बड़ी निराशा कुछ माननीय सदस्यों को हुई । मैं समझता हूं कि समाजवाद की स्थिति आज उस आलू जैसी हो गयी है जिसको जिस किसी साग के साथ भी चाहा मिला दिया । श्रीमन्, बहुत से विवाद अज्ञानता के कारण हुआ करते हैं । हमारे राष्ट्रपति, माननीय राधाकृष्णन जी ने कहा है कि यह एक ट्रांसफार्मेशन है, एक रूपान्तर है । समाजवाद का केवल नारा लगा देने से ही समाजवाद नहीं लाया जा सकता । उसके लिये समाज में क्रांतियां भी हुआ करती हैं । आपको देखना यह चाहिये कि हमारा लक्ष्य क्या है ? क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं ? मैं माननीय उग्रसेन जी से सहमत हूं कि यहां पर प्रत्येक आर्डली का वेतन १००

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बनारसीदास]

रुपये से कम न हो, मगर एक चुनाव की दृष्टि से, वास्तविकता से हटकर, यहां कोई भाषण करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय सरकारी कर्मचारियों की संख्या ६ लाख है। जो ५० रुपया माहवार से कम वेतन पाते हैं वह ढाई लाख हैं, १५० से नीचे पाने वालों की संख्या २ लाख हैं साढ़े चार सौ पाने वालों की संख्या ३ हजार के करीब है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी जिनका नाम लिया जाता है उतनी तनख्वाह पाने वाले कितने लोग हैं। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी एरिथमेटिक जानता है, जो बजट की ए बी सी डी भी जानता है वह ऐसी बात नहीं कह सकता। अगर माननीय उग्रसेन जी की बात को मान लिया जाय तो यू० पी० का बजट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का बजट बन जायगा। समझ में नहीं आता कि आपका क्या सिद्धांत है, किस तरह से आप अपने मुल्क को विकसित करना चाहते हैं। चीन तो एक टोटेलीटेरियन स्टेट है। सोवियत रशिया में आस्टेरिटी एक धर्म है, खाना कपड़ा मांगना वहां एक क्राइम है, लेकिन यहां उससे आध्यात्मिक सुख मिलता है।

कहा गया कि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों की वृद्धि नहीं हुई। उसकी वृद्धि के लिये साधनों की आवश्यकता होती है, उनकी तो वृद्धि की गयी है, लेकिन शीत और ताप पर कौन कन्ट्रोल कर सकता है। इस देश की आबादी ४४ करोड़ है और सूबे की साढ़े सात करोड़ जबकि रशिया की आबादी २० करोड़ है और उसके पास जमीन का क्षेत्र हमसे अधिक है। वह भी अपने आपको स्वावलम्बी नहीं बना पाये ४५ साल में, फिर इस सरकार को खाद्यान्नों के लिये डाक में खड़ा करना और कोई विवेक की बात नहीं है। श्रीमन्, क्रोध और आदेश कभी भी विवेक और तर्क के साधन नहीं हो सकते। विधान सभा की गरिमा के अनुकूल तो यह होगा कि हम संयम तर्क और विवेक के साथ इस प्रकार के सुझाव पेश करें जिससे हम समाज और प्रदेश की तरक्की कर सकें। आज जो व्यक्ति यहां पर नहीं है उसके विरोध में बेसलेस चार्ज लगाना क्या भ्रष्टाचार को दूर कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, यदि कोई व्यक्ति हृदय से यह चाहता है कि सच्चे मानों में भ्रष्टाचार दूर हो तो उसका फोरम यह विधान सभा कभी नहीं हो सकती। कोर्ट में जाना चाहिये, चार्जशीट लिखकर देनी चाहिये, लेकिन यहां पर इस प्रकार से चार्ज लगाना, समाज के वातावरण को दूषित करना है। यहां चार्ज लगाने और उसका खंडन करने से सत्य का पता लगने वाला नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि क्या हम उन कंडीशन्स को पैदा करना चाहते हैं, जिससे इन सब चीजों का निराकरण हो सके, लेकिन इस प्रकार करने से तो केवल सेंस आफ जस्टिस में कमी हो जायगी, अगर इस प्रकार से कीचड़ उछाली जायगी तो ईमानदार व्यक्ति से भी विश्वास उठ जायगा। महात्मा गांधी कहते थे कि ईमानदार आदमी वह है जिसको किसी जमानत की जरूरत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की एक फेस वेल्यू होती है। जब तक उसके खिलाफ कोई चीज सिद्ध न हो जाय तब तक कहना ठीक नहीं होता। सामाजिक क्रांति लाने के लिये चार एजेंसी हैं, जिनको हमें लाना होगा, यातायात के साधन, बिजली का अधिक से अधिक उत्पादन, लोहे का अधिक से अधिक उत्पादन, और कोयले का उत्पादन। जब तक यह चारों चीजें हमारे यहां काफी मात्रा में नहीं होंगी उस वक्त तक हमारा उत्पादन नहीं बढ़ सकता। केवल एक डागमेटिक बात करना कि इसमें शुगर मिल्स के राष्ट्रीयकरण का संकेत नहीं है, बैंक्स के राष्ट्रीयकरण का संकेत नहीं है, यह भी नहीं समझना कि किस चीज का सम्बन्ध विधान सभा से है या केन्द्र से है, इस तरह की बातों को म्युनिसिपल बोर्ड या जिला परिषद् की बैठकों में कहा जाय या ग्राम सभा में कहा जाय तो कहां तक उचित होगा, कोई लाइन होनी चाहिये, कहां तक हमारी परिधि है क्या हम कर सकते हैं, क्या ग्राम सभा कर सकती है। हम भी चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बढ़े। हमने इस प्रदेश में बिजली के कार्य को पूरे तरीके से अपने हाथ में लिया है जिसके द्वारा उद्योग चल सकते हैं और बिजली का वितरण ठीक से हो रहा है। जैसे बिजली कम्पनियों के कान्ट्रैक्ट्स खत्म होते जाते हैं सरकार उन को अपने हाथ में लेती जाती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम बिजली के निर्धारित टारगेट से आगे बढ़े हैं, एक हजार देहात में १९६३-६४ में बिजली पहुंचा दी गई है और आगे ५०० ग्रामों में और पहुंचा दी जायगी। बिजली का उत्पादन बराबर

बढ़ा है। असल सवाल यह है जैसा कि माननीय जेड० ए० अहमद ने कहा, दो परस्पर विरोधी बातें कही जाती हैं एक ओर तो कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण करो और दूसरी ओर यह कहना कि ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो रही है और बार बार दबी जबान से यह कहा कि अलग एक केडर पैदा करना होगा, और तीसरी तरफ यह कहना कि मंत्री और एगजिक्यूटिव के लोग अपने विश्वासपात्र लोगों को नियुक्त करेंगे और अपने पार्टीएन्ड्ज को पूरा करेंगे। इस सब से यह जाहिर है कि हमारे दिमाग में वस्तुस्थिति साफ नहीं है। अगर राष्ट्रीयकरण होगा तो अलग से एक केडर बना होगा तो कौन उस का सेलेक्शन करेगा, क्या उनकी सोशल फिलासफी होगी, वह किस व्यक्ति की होगी ? मान लीजिये कि यह काम सरकार को करना हो, क्या उसका फैसला होगा, वह किसी कम्युनिस्ट को किसी जनसंघी को न लेकर या किसी स्वतंत्र पार्टी की नहीं होगी, क्योंकि उनका यकीन तो प्लानिंग में ही नहीं है और फिर उनकी तरफ से चार्ज लगाया जायगा कि यह सरकार तो टोटेलीटेरियनिज्म की ओर जा रही है। एक तरफ तो आप टारगेट्स को पूरा करने की मांग करें और दूसरी तरफ कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी खराब है और अगर हम अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को रखें तो कहा जायगा कि सम्पूर्णानन्द जी की या गुप्ता जी की या नेहरू जी की कुनबापरस्ती चल रही है। मुझे बड़ा दुख है कि जो व्यक्ति अपने को क्रान्तिकारी कहने का दावा करते हैं उनकी निगाह में वह व्यक्ति भी जिन्होंने पचासों साल देश की सेवा में लगाये हैं और जिसके गुणों की संसार ने सराहना की है वह भी उन के सन्देह से ऊपर नहीं हो सकते। उन पर भी कुनबापरस्ती का आरोप लगाया जाता है और अगर ऐसी बात है तो उनसे कौन इस देश में ईमानदारी का प्रमाणपत्र पा सकता है। जो व्यक्ति आज यह आरोप लगाते हैं कि पं० नेहरू पर २५ हजार रुपया दैनिक व्यय होता है। उनको यह समझना चाहिये कि अमरीका में केनेडी का बध हुआ, लोहिया जी ने यह कह दिया कि उनके पहरेदार हटा दिये जायं, लेकिन वह क्या उन की सीक्योरिटी की गारन्टी लेंगे और कैनेडी के बध के बाद जो आरोप सामने आये हैं उस तरह के आरोप नहीं लगाये जायेंगे ?

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

गांधी जी को आप नहीं बचा पाये तो नेहरू जी को क्या बचा पायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें और सुनें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

गांधी जी मारे जायेंगे लोहिया जी ने पहले ही कह दिया था।

श्री बनारसीदास—

गांधी जी का बध हुआ, जय प्रकाश नारायण ने सरदार पटेल पर आरोप लगाया कि उन्होंने उपेक्षा से काम लिया, लापरवाही से काम लिया। ऐवरी मैन बिकम्स वाइज आफ्टर दि फैक्ट्स। अगर यहां भी कैनेडी की तरह दुर्घटना हो जाय तो मैं समझता हूं सारी जनता यहां के होम मिनिस्टर को, सेक्योरिटी विभाग को दोषी ठहरायेगी कि वह राष्ट्र की निधि की रक्षा नहीं कर पाये। इसलिये यह कहना कि २५ हजार रु० खर्च होता है तो वह व्यक्ति जिसने करांची कांग्रेस में समाजवाद का बिगुल बजाया, उस तरफ देश का ध्यान आकर्षित किया, आज उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाना निन्दनीय है और विश्वासघात है तथा समाजवाद को पीछे ले जाने वाला है। तुलसीदास जी ने जैसा कहा है कि जिस तरह से पानी पड़ने से पता नहीं चलता, आज जैसा सिद्धांत है मनोविज्ञान का, जो आदमी जितना गिरा हुआ होता है वह उतना जोर से चिल्लाता है कि दुनिया पतित है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो आदमी जितना महान होता है उसमें उदारता होती है, अपने को बड़े पैमाने से नापता है और दूसरे लोगों के प्रति उदारता से काम लेता है। सवाल यह है कि किस प्रकार से हम समाजवाद को लायें। कांग्रेस या सरकार इस बात का दावा नहीं कर सकती कि एक साल में या एक योजना काल में

[श्री बनासीदास]

समाजवाद की स्थापना कर देंगे। हमारा दावा नहीं है कि १५ साल में पूरा विकसित समाजवाद होगा बारबार कहना कि हमारी आय कम हो गई, उत्पादन कम हो गया तो डेवलपिंग इकोनोमी का जहां सवाल होता है इनकम शुरू में कम होती है, जिससे कैपिटल फारमेशन कम होता है। जब कैपिटल फारमेशन नहीं होगा तो आय की वृद्धि नहीं हो सकती जब आय की वृद्धि नहीं हो सकती तो लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ सकती है और उत्पादन के लिये मार्केट नहीं हो सकता है। तो हम एक विशस सर्किल में पड़ जाते हैं। उसका एक मात्र इलाज डेमोक्रेटिक ढंग से यह हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर में जनता की ओनरशिप कोआपरेटिव ढंग से पैदा करें। जिनका समाजवाद के अन्दर विश्वास है उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी मारकेटिंग सोसायटीज को कामयाब बनाया? हम चाहते हैं कि सारे प्रदेश में मारकेटिंग सोसायटीज बनायें, सरकार उसमें मदद देती है, २५,००० रु० इमारत के लिये जिसमें ७५ फीसदी ऋण होता है और २५ फीसदी सबसिडी होती है। हम चाहते हैं फूड ग्रेन्स के ट्रेड को सरकार अपने हाथ में ले, लेकिन कितना लास होगा। इसलिये बेहतर तरीका यह है और हमने प्लान भी बनाया है, ५० हजार से ऊपर की आबादी के शहरों में एक उपभोक्ता भंडार होगा, सरकार १ लाख रु० के शेयर खरीदेगी, २ लाख रुपया ऋण की शकल में देगी और १०,००० रु० की मेनेजीरियल सबसिडी देगी, २७ नगरों में ऐसे भंडार बनाना चाहते हैं जो जनता की आवश्यकता की चीजें खरीद कर बिना किसी मुनाफे के जनता को सप्लाई कर सके। अगर व्यापार २,३ साल में कोआपरेटिव सेक्टर में ला सकें तो प्राफिट मेकिंग प्रवृत्ति पर नियंत्रण कर सकते हैं। केवल आलोचना से काम नहीं चलता। यह कहना कि प्राइसेज को हमने नहीं रोका। गवर्नमेंट कोई अध्यादेश जारी करे या कोई इन्जेक्शन एक साथ लगाये ताकि ये प्राइसेज कम हों?

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

दो भाव नहीं होने चाहिये एक चीज के।

श्री बनारसीदास—

मेरे दोस्त तजुर्बेकार हैं। वह जानते हैं किस तरह से एक भाव और दो भाव होते हैं? पहले कन्ट्रोल जारी किये गये। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीजों के दाम बहुत बढ़े हैं। कैसे उनको रोका जाय? सदन सर्वसम्मति से यह पास करे कि यहां पर पूरी तरह से कंट्रोल हो और सारे का सारा अनाज सरकार अपने हाथ में ले। लेकिन मैं जानता हूं कि १९४६ में जिस समय कन्ट्रोल था सत्याग्रह किया गया दूसरी पार्टीज के द्वारा और डिकंट्रोल का नारा लगाया गया और जब डिकन्ट्रोल हुआ तो लोगों ने इसकी बड़ी सराहना की। सन् १९५१ के अन्दर शुगर के कंट्रोल के खिलाफ विरोधी दल के नेता ने प्रस्ताव रखा कि शुगर का डिकंट्रोल होना चाहिये। वह भी समाजवादी नेता थे।

प्राइसेज को रोकने का एक ही तरीका है कि अगर आप शुरु से लेकर आखिर तक स्टेट ट्रेडिंग अपने हाथ में ले लें और पूरे तौर से कन्ट्रोल कायम करें तो कोई गवर्नमेंट उसे सफलतापूर्वक तब तक नहीं चला सकती जब तक सब दलों का पूरे तौर से उसे सहयोग न हो। इसका माध्यम मार्ग एक ही हो सकता है कि कोआपरेटिव्स के जरिये, होलसेल कंज्यूमर्स स्टोर्स के जरिये और उत्पादन स्टोर्स के जरिये ज्यादा से ज्यादा व्यापार सरकार अपने हाथ में ले ले। वह नीति अपनायी जा रही है और सबके सहयोग से उसमें सफलता प्राप्त हो सकेगी।

तो यह समस्या है। कोई हमारे प्रदेश के लिये अकेले यह समस्या नहीं है, देशव्यापी समस्या यह है। यह हमारे आर्थिक विकास की समस्या दलगत राजनीति से परे है। उसके लिये ज्यादा उचित यह है कि हम सब लोग मिल कर इस बात का प्रयास करें कैसे हम अपने प्रदेश का विकास करें। मैं कहूंगा यह मुश्किल नहीं है। जैसे कि लेबर के क्षेत्र में

जहां पर हंगर स्ट्राइक हुआ करता था, राज्य में सभी दल के लोगों का सहयोग मिला। चाहे वह यूनियन किसी भी दल से एफिलियेटेड हो सब ने हृदय से सहयोग दिया। जहां पर भी हंगर स्ट्राइक या स्ट्राइक हुआ वहां पर शान्ति के साथ खत्म किया गया और सब लोगों ने सन् १९६२ में इंडस्ट्रियल ट्रेड्स का जो रिजोल्यूलशन था उसके पालन में मदद दी। आज जो सवाल उठाया गया इंश्योरेंस या प्राविडेंट फंड का जो रुपया बाकी है उसके संबंध में हमारा पूर्ण प्रयास है कि हम शीघ्र उसे वसूल करें। इस सम्बन्ध में हम कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो प्रासीक्यूशन करेंगे और हम एक निश्चित अवधि के अन्दर जो प्राविडेंट फंड का रुपया है या जो इंश्योरेंस का पैसा है उसे वसूल करेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हम ज्यादा लम्बी बातें न कह कर एक समय के अन्दर जो हम कार्यान्वित कर सकते हैं उसी पर पूरे तरीके से अपने को केन्द्रित करें और केवल दर्शन की बात करना उचित नहीं है, उसके लिये अवसर होता है। जो इस छोटी सी अवधि में हमारा कार्यक्रम हो सकता है वह राज्यपाल महोदय के भाषण का विषय हो सकता है। इसलिये गवर्नर महोदय के भाषण में जो संकेत किया गया है वह रचनात्मक और व्यावहारिक प्रयत्नों की तरफ ही ध्यान दिया गया है। इसलिये वह बधाई के पात्र हैं और मैं माननीया सुशीला जी के बधाई के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल जी के भाषण के बारे में समाजवाद की व्याख्या मैंने बहुत सुनी। पहले तो हमारे समाजवाद के पंडित, गोविन्दसहाय जी ने बहुत कुछ व्याख्या की और उसके बाद माननीय बनारसीदासजी ने कुछ और थोड़ी व्याख्या की। मगर प्रश्न तो यह उठता है कि यह जो भ्रष्टाचार, मंहगाई या जो भी समाज विरोधी कार्य हो रहे हैं। उनको दूर करने के लिये क्या समाजवाद ही एक जादू की लकड़ी है जिससे वह दूर हो जाय तो शायद जिन देशों में समाजवादी अपनी चरम सीमा पर है वहां ये हरकतें न होंती। यह चीज दूर होगी निष्पक्ष राज्य से, वाद-विवाद से यह चीज दूर होने वाली नहीं है। जब तक निष्पक्ष राज्य की स्थापना नहीं होगी तब तक यह दूर होने से रही। निष्पक्ष राज्य स्थापित कैसे होगा? जब योग्य व्यक्ति योग्य स्थान पर रखा जायगा। पार्टी पालिटिक्स में फंस कर के कमी भी कोई योग्य व्यक्ति किसी स्थान पर पहुंच जाय यह बहुत असम्भव बात है, हालांकि इस समय जबकि पार्टी राज्य है यह कहना भी कुछ उचित नहीं लगता मगर असलियत यही है। समय बहुत कम है, बातें बहुत कहनी है मगर थोड़े में निवेदन करूंगा।

मैं और चीजों पर न जाकर एक विषय को लेता हूं, जैसे हिन्दी का विषय है। संविधान में हिन्दी के लिये यह रख दिया गया कि १९६५ तक हिन्दी पूर्ण रूप से राष्ट्र की भाषा हो जायगी। खैर, वह तो खटाई में पड़ गया। अपने प्रदेश में १९४७ में एक प्रस्ताव द्वारा हमने यह तय किया कि हमारे यहां हिन्दी पूर्ण रुप से राज्यभाषा होगी। उसमें कहीं कोई "इफ' और 'बट' नहीं लगाया गया था। वह यह था कि देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में होंगे। अपने यहां का प्रस्ताव इस किस्म का था। भाषा नीति पर एक श्वेत-पत्र सरकार की तरफ से प्रकाशित किया गया था उसी के आधार पर मैं यह निवेदन कर रहा हूं। मगर हुआ क्या उस प्रस्ताव में यह था कि जो विधेयक आदि होंगे उनका हिन्दी का अनुवाद अंग्रेजी में भी रखा जायगा। मगर हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा हो गया, श्रीमान् जी, उल्टा इस तरह से हो गया कि प्रस्ताव में था कि हिन्दी का अनुवाद अंग्रेजी में होगा लेकिन अंग्रेजी का अनुवाद हिन्दी में होने लगा है। क्यों हुआ? इसलिये हुआ कि एक मर्तबा जब तय कर लिया गया कि १९६५ तक एक स्थान पर पहुंच जायंगे, उस लक्ष्य को छोड़ दिया गया। उस तक पहुंचना तो दूर रहा, दूसरी तरफ से शुरू कर दिया यानी अब दर्जा ३ से अंग्रेजी पढ़नी शुरू कर दी है। पता नहीं कौन सी अड़चन पड़ गई जो इस तरह से किया गया? जैसा मैंने आपसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

निवेदन किया कि जब तक निष्पक्ष राज्य कायम नहीं होगा तब तक किसी वाद विवाद से यह चीज दूर होने वाली नहीं है।

एक चीज और श्रीमन्, बड़े जोर शोर से कही गई नौकरशाही के बारे में, जो सुनने में भी अच्छी लगती है और कहने में भी अच्छी लगती है। अपने सिर का बोझ किसी भी प्रकार से दूसरे के सिर पर यदि लादने का मौका मिल जाय तो बहुत अच्छा मालूम होता है। माननीय बनारसीदास जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से टेक इट किया, लेकिन एक चीज भूल गये कि यह कम्युनिस्टिक तरीका है कि मिल मालिक के खिलाफ मजदूर को उकसाने का, सरकार के खिलाफ कर्मचारियों को उसकाने का और क्रान्ति पैदा करके, सरकार को अपदस्थ करके अपनी पार्टी के अन्दर आदमियों को बिठा देना। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अपने अन्दर के प्रच्छन्न कम्युनिस्टों को जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। अगर आप को अपना भला करना है, पूज्य बापू जी के बताये हुये रास्ते पर चलना है, अगर गांधीवाद के आधार पर या सर्वोदय के आधार पर समाजवाद की रचना करना है तो अपने अन्दर छिपे हुये कम्युनिस्टों को निकालिये। तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पायेंगे अन्यथा आप इसी तरह से देखते रह जायेंगे और ये कम्युनिस्ट आपको कुर्सी से घसीट कर बाहर फेंक देंगे। उस समय कुछ होने वाला नहीं है। हम क्यों कह रहे हैं? इसलिये कह रहे हैं कि हम जानते है कि अगर देश में कम्युनिज्म आता है तो देश का सत्यानाश होगा। हमारे दुश्मन नम्बर १ कम्युनिस्ट हैं और नम्बर २ पर वे आते है पहले नम्बर के दुश्मन से निबटने के लिये हम चाहते है कि आप भी हमारी बगल में खड़े हों।

श्री बनारसीदास---

उग्रसेन जी कौन से नम्बर पर हैं?

कुंवर श्रीपालसिंह---

वह तो आपके हैं।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, ये दोनों हमारे स्कूल में आयें तो हम इनको पढ़ा सकते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह---

श्रीमन्, रूदौली, जिला बाराबंकी में २० साल से एक मैसन लैदर वर्किंग स्कूल चल रहा है जिस पर ५ हजार रुपये सालाना खर्च होता है और इसमें १९६१-६२ में १२ लड़के और १९६२-६३ में केवल ५ लड़के थे।

श्री बनारसीदास---

कौन सा स्कूल है?

कुंवर श्रीपालसिंह---

मैसन लैदर वर्किंग स्कूल, रुदौली, जिला बाराबंकी। अब जरा सुरक्षा के बारे में निवेदन कर दूं।

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतरये खून निकला।"

"कतरये खून" नहीं "कतरये खूं न "निकला यानी बिलकुल ही खून नहीं था।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

तो वह चलता कैसे था ?

कुंवर श्रीपालसिंह---

कैसे चलता था ? भगवान् की कृपा पर, लेकिन कब तक चलेगा यह देखना है। बड़ा ढ़ोल पीटा गया सुरक्षा का, पुलिस बढ़ायी गयी, पी० ए० सी० बढ़ाई गई। पता नहीं क्या क्या बढ़ाया गया, मगर आज हमारे प्रदेश के अन्दर ९ हजार, एक दो नहीं, पाकिस्तानी बिला परमिट मौजूद हैं। यहीं घूम रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं पी रहे हैं, हमारी और महंगाई बढ़ा रहे हैं, हमारी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं और नित्यप्रति रात को मसजिदों में मीटिंगें करके जो देश भक्त मुसलमान हैं उनके दिमाग को खराब कर रहे हैं। और यह पुलिस बढ़ाई किसके लिये जा रही है यह हमारे और आपके लिये भी, बनारसीदास जी, आप भी छूटे नहीं है, क्योंकि आपके अन्दर भी जो गड़बड़ है उस गड़बड़ में आप भी लपेटे जायेंगे, मगर इन देश-द्रोहियों के लिये जो हमारे यहां जमा हैं और हमारा इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये पता नहीं लगा पाती। भागी-भागी घूमती है, लेकिन पता नहीं लगा पाती। कुछ के खिलाफ वारन्ट भी कटे, लेकिन उसका टाइम भी लैप्स हो गया उनको आज तक यह पुलिस नहीं पकड़ पायी। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि जब तक निष्पक्ष राज्य नहीं कायम होगा तब तक यह सुरक्षा का तरीका रहेगा ?

श्री भगवानसहाय---

आखिर वह कैसे होगा, यह तो बताइये ?

कुंवर श्रीपालसिंह---

जब आप बोलियेगा तो इसके विरुद्ध कह लीजियेगा। इस वक्त मुझे बोल लेने दीजिये बाद को अगर आप मुझसे मिल लेंगे तो बता दूंगा।

प्रत्येक जिले में जनता के कार्यों के लिये सीमेंट का एक कोटा होता है। जौनपुर जिले में जिला परिषद् के इंजीनियर को ४९० बोरी सीमेंट मिल गया। यह यहीं से एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

अब आप छोटी बात पर आ गये, कुंवर साहब।

कुंवर श्रीपालसिंह---

आप इसे छोटी बात समझ सकते है मगर है यह बहुत बड़ी बात, इसलिये कि ४९० बोरा तो इंजीनियर साहब ले गये और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन साहब को ४५० बोरा यानी ९०० से ऊपर बोरे तो यों ही खत्म। मिश्र जी ही सबेरे कह रहे थे कि सीमेंट की उनको जरूरत थी, लेकिन नहीं मिली तो फिर हमारी जौनपुर की जनता की क्या हालत होगी वे समझ सकते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। खेती का काम करने वाले आदमी को अगर कुंये के लिये सिंचाई के वास्ते सीमेंट की जरूरत हो तो वह बी० डी० ओ० साहब की सिफारिशें करता घूमे। और यहां ९ सौ बोरी यों ही गायब !

अब दो बातें निवेदन करके मैं समाप्त करूंगा। पहली बात तो यह कि आश्वासन समिति की कार्यवाही के सिलसिले में मुझे यह मालूम पड़ा कि सरकार की तरफ से आश्वासन दिये जाते हैं, मंत्री जी आश्वासन कुछ देते हैं, सेक्रेटेरियट में कुछ रहता है और नीचे जिले में कुछ रहता है। मौके पर जाकर देखा जाय तो कुछ मिलता है। मैंने स्वयं इसका अनुभव किया। श्रीमन्, समिति के सदस्य लोगों ने कई बार कहा कि कुंवर साहब क्यों नहीं बाहर चलते हैं ? मैंने सोचा कि यहां रह कर सेक्रेटेरियट में सारी चीजें उपलब्ध होंगी। यहीं करना चाहिये।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

परन्तु नानकसागर जाना पड़ा, वहां जाकर देखा कि वहां से एक चिट्ठी कलेक्टर साहब की आयी थी, यहां वह गायब हो गयी। उस पर तो श्रीमान् जी बड़ी मजे की चीज का पता लगा है। हमारी सरकार का एक डिपार्टमेंट है कुइक के केस्पोजल का। सचिव के पास है, मंत्री के पास है, कलेक्टर के पास है, जितने विभाग है उन बगल के कमरे में वह विभाग है। वह क्या करते हैं कि जहां अप्लीकेशंस आयीं, चिट्ठियां आयीं, तार आये, उस कमरे में रखे गये कुइक डिस्पोजल वाले में। उन्होंने मुंह उधर किया, हाथ डाला, जितनी हाथ में आ गयीं, फाड़ कर फेंक दीं। कुइक डिस्पोजल हो गया। वह चिट्ठी कलेक्टर साहब की कुइक डिस्पोजल में निकल गयी। रसद विभाग में दिल्ली से एक तार आया। तार कुइक डिस्पोजल में चला गया। महीने भर के बाद जब दिल्ली से रिमांइडर आया तो सेक्रेटरिएट में सब परेशान कि कहां गया तार। पूछा गया तो जो साहब कुइक डिस्पोजल वाले थे, उन्होंने कहा मालूम होता है कि वह कुइक डिस्पोजल में निकल गया। फैजाबाद हम एक आश्वासन के सिलसिले में गये वहां क्या देखते हैं? हमारे यहां विभाग से लिख कर आ गया कि आश्वासन की पूर्ति हो गयी। हमने आश्वासन की पूर्ति मान ली। उसके बाद वहां के ग्राम सभा का रुक्का आया कि यहां काम कुछ नहीं हुआ, आपने आश्वासन पूरा मान लिया। हमने कहा यह क्या बात है, इतनी ऊंची दूकान और इतना फीका पकवान। वहां जाकर देखते हैं कि वहां भी यही तमाशा। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर साहब ने लिख कर भेज दिया काम हो गया। सिंचाई विभाग ने हमें उसी बिना पर लिख दिया कि काम हो गया। वहां एक झौरी मिट्टी नहीं खुदी। विभागों में इस समय तालमेल नहीं है। जब तक हर विभाग में तालमेल नहीं होगा, योग्य व्यक्ति को योग्य स्थानों पर नहीं रखा जायगा तब तक उद्धार होने का नहीं, समाजवाद नहीं, दस समाजवाद आ जायं, कुछ नहीं हो सकता।

*गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

श्रीमन्, मैं आज दो रोज से जो महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर विवाद हो रहा है उसमें उपस्थित न रह सका, लेकिन इतना तो समझ ही सकता हूं कि इस विवाद के दौरान में हमारे और सहयोगी मित्रों को विरोधी दल द्वारा जो भी उपहार मिले हों, न उपस्थित होते हुए भी मैं सहज में ही यह समझ सकता हूं कि मुझे गृह मंत्री होने के कारण सिवा गालियों के और कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन यह जानते हुए भी श्रीमन्, मैं यह कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि हमारे प्रान्त में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था बहुत संतोषजनक है, उस पर हमको गर्व करना चाहिए, यह कहने के लिए भी नहीं खड़ा हुआ हूं कि प्रान्त में और देश में भ्रष्टाचार अपनी एक ऐसी सीमा तक नहीं पहुंच चुका है, जिससे यह आशंका हो कि हमारी यह सम्पूर्ण राज्य की व्यवस्था ही कहीं उसमें डूब न जाय। यह भी कहने के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ हूं कि हमारा पुलिस का विभाग इतना सन्तोषजनक है कि हमें उसके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए और उसमें सभी लोग दूध के धोये हैं। यह इतना स्वीकार करते हुए भी श्रीमन्, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी सरकारी विभाग हों वह इस समाज का एक अंग ही है। अभी-अभी थोड़े दिन हुए एक अखबार में मैंने पढ़ा और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था कि इन सब चीजों पर टिप्पणी करते समय हम इस बात को भूल जाते है कि हम लोग एक पोटेंशियल ला ब्रेकर्स हैं। यह उनके शब्द मैं बता रहा हूं। तो इस पृष्ठभूमि में यदि आप चीजों को देखें तो शायद सही नतीजे पर आ सकते हैं। यह अक्सर कहा जाता है, क्रिमिनालाजी पर थोड़ा पुलिस विभाग मिलने पर पढ़ने का मौका मिला, तो उसमें यह देखा कि बड़ी पुष्ट मान्यता हो गई है इस बात की कि क्राइम या अपराधों की संख्या इस कारण बढ़ जाती है कि उसका इतना घनिष्ट संबंध है आर्थिक स्थिति से कि जिस देश की आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होगी वहां अनिवार्य है क्राइम की संख्या में वृद्धि। एक ऐसी मान्यता तो बन गई है, लेकिन अभी थोड़े दिन हुए अमेरिका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को लैंड आफ दि फ्री कहा जाता है, इंगलैंड भी लैंड आफ दि फ्री कहा जाता है, लेकिन विगत वर्ष की उनकी क्राइम पोजीशन जो देखी तो प्रत्येक साल वह करीब-करीब ६ प्रतिशत बढ़ती जाती है। जितनी जनसंख्या बढ़ती जाती है उसकी चौगुनी क्राइम संख्या बढ़ती जाती है (व्यवधान) हमारे यहां ३.२ है। उसको जरा पढ़िये। तो यह चीज भी, इतने दिनों की मान्यता जिस पर कि एक साइंस का आधार बन गया था और यह कहा जाता था कि यदि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो क्राइम का बढ़ना अनिवार्य है, यह चीज भी गलत हो गई और अब एक दूसरी दिशा में अध्ययन किया जा रहा है कि सचमुच में इसका स्रोत कहां है। कहां से यह क्राइम की दरिया बढ़ती है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे यहां जो अवस्था है वह बड़ी संतोषजनक है गोकि जैसा मैंने कहा कि ३.२ वृद्धि है। आर्थिक अवस्था, आर्थिक दशा सारे देश की अमेरिका के सामने आप जानते हैं कैसी है, इंगलैंड के सामने आप जानते हैं कैसी है, लेकिन फिर भी वृद्धि ३.२ की इसमें हुई जबकि अमेरिका में ६ और इंग्लैंड में भी पांच के करीब हुई है। इसलिए इसका संबंध उससे भी नहीं लगता। अब समाजवादी जो है वह यह ठीक कहते हैं कि यह एक सामाजिक दोष है। समाज का दोष है और जब समाज में यह दोष व्याप्त है समाज में इसका स्रोत है तो सचमुच में समाज द्वारा ही इससे छुटकारा भी मिल सकता है, इसीलिये भ्रष्टाचार की बात भी लीजिये। हमारे भाई गोविन्दसहाय जी ने ठीक ही कहा था कि कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हम इसको नष्ट कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि यह एक गलत दावा होगा कोई अगर दूसरी तरह से इसको कहे। यह हो नहीं सकता जब तक कि समाज की व्यवस्था वैसी नहीं होगी, जब तक समाज का संगठन वैसा नहीं होगा, जब तक कि समाज में ऐसी प्रवृतियां रहेंगी। मैं उनसे सहमत होते हुये भी यह नहीं समझ सका कि कोई पूंजीवादी समाज में यह अवगुण नहीं होते हैं। उसमें भ्रष्टाचार अवश्य होगा। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि मैं यह कहता हूं कि यह समाज का दुर्गुण है। इसका किसी वाद से संबंध नहीं है। अगर वाद से इसका संबंध होता तो जैसा कहा गया कि अभी थोड़े दिन हुये १२, १४ आदमियों को फार्म प्रड्यूस चुराने पर रूस के अन्दर गोलियों का शिकार बना दिया गया। यह एक समाज का पैदा हुआ दोष है। समाज ही इसको ठीक कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इस ओर हमको कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिये। इस ओर प्रयत्न करना चाहिये, लेकिन यह जानकर प्रयत्न करना चाहिये कि उसकी एक सीमा है। जहां तक यह प्रयत्न सफल हो सकता है उस सीमा के उपरान्त, उसके बाहर यह प्रयत्न सफल नहीं हो सकता है। तो हम एक समाज में रहते हैं। एक प्रकार से हम सब अन्योन्याश्रित हैं। हर एक दूसरे से प्रभावित होता है। हर एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो हमारी प्रवृत्ति बदलनी चाहिये। हमारा देखने का तरीका बदलना चाहिये और हमको यह समझना चाहिये कि हम इस समाज के एक अंग हैं और इस समाज में रहने के लिये और यहां पर सुखद जीवन व्यतीत करने के लिये यह आवश्यक है कि क्राइम्स बन्द हों। कम से कम उसकी जितनी संख्या हो सकती है उतनी हो। इंगलैंड में तो चोर ताले में कुंजी लगाता है और पुलिस वाले के पास कोई हथियार नहीं है। पुलिस वाला अगर सामने दिखाई पड़ता है और जहां पुलिसवाला कहता है कि हैंड अप तो वहां वह चोर ताले में कुंजी को छोड़ कर हाथ ऊपर कर देता है। यह वहां का समाज है। यह समाज की प्रवृत्ति वहां पर बन गई है। हर एक आदमी रूल आफ ला के अन्तर्गत अपने को बंधा हुआ समझता है। वह इस बात की हिम्मत नहीं करता कि वह यह समझे कि इसके पास कोई हथियार नहीं है और इसको मैं मार सकता हूं। हमारे यहां हो सकता है। हमारे यहाँ भाग सकते हैं और मार सकते हैं, लेकिन वहां पर वह नहीं करते। इसलिये क्राइम्स की कमी के लिये आवश्यक है कि हम इस बात का वातावरण देश में फैलायें, लेकिन फैलायें कैसे। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं कल यहां पर नहीं था। हमारे राजा साहब जौनपुर हैं। वह भी हमारे देश के नागरिक हैं और मैं भी इस देश का नागरिक हूं, लेकिन बदकिस्तमी यह हुई कि हम दोनों जौनपुर में पैदा हो गये। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जितने गुण हैं वह महाराजा साहब में हैं और जितने अवगुण हैं वह हरगोबिन्द सिंह में हैं। इसके कहने में मुझे कुछ भी संकोच नहीं है, लेकिन उनके कहने में और मेरे कहने में

[श्री हरगोविन्दसिंह]

अन्तर है, इसलिये कि वह उधर बैठते हैं और उस नाते जो चाहें वह कह सकते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ यह समझा है कि यहां पर कहने की कोई सीमा नहीं है, जो चाहो कहो। मैंने यहां पर कहने की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं समझा है मैंने उसका वही अर्थ समझा है जो उसका वास्तविक अर्थ है। मैं तो समझता हूं कि हमको वही बात कहनी चाहिये जो कि एक सीमा के अन्दर हो। एक लेखक ने बहुत अच्छा कहा था। उसने वह डेमोक्रेसी परिभाषा पर कहा था और वैसी परिभाषा मुझे कहीं और मिली नहीं। वह है कि डेमोक्रेसी हमेव एक मर्ज से पीड़ित रहती है और वह मर्ज है कि उस पर एक लिमिटेशन रहती है। वह एक सीमा के अन्तर्गत रहती है और तभी तक वह जिन्दा भी रहती है जब तक वह उस मर्ज से चिपकी रहती है। जिस रोज वह मर्ज उससे हटा, वह सीमा वाला मर्ज, उसी रोज डेमोक्रेसी मर जाती है। तो उन महाराजा साहब की नीति डेमोक्रेसी को खत्म करने की है ही और इसीलिये उन्होंने उसका प्रयोग भी शुरू कर दिया है। मैं उस बात में जाना नहीं चाहता और मैं समझता हूं कि वह मेरे स्तर से नीचे की बात होगी, लेकिन चूंकि व्यक्तिगत मेरे प्रति आक्षेप है, अखबारों में छप गया है और अखबारों की हालत यह है कि अगर आज छप जाय कि विधान सभा के सदस्य ८ फुट के हैं तो कोई यह नहीं कहेगा कि मैं तो देख आया हूं, वे ५ फुट ६ इंच के हैं, ८ फुट के नहीं, इसलिये मैं उसका जवाब दे रहा हूं। धर्मापुर एक गांव है राजा साहब का। उनका अपना मकान शहर में है और सभी कुछ धर्मपुर है। वहां चोरियों की संख्या बहुत बढ़ती गयी। मुझे मालूम यह हुआ कि शहर के दो एक मील के अन्दर चोरियों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है मैंने एक रोज कोतवाल को बुलाया, कप्तान को बुलाया कि चोरियां बढ़ती जायं और उनका पता न लगे यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है। राजा साहब जिस बात में पूर्णतया दक्ष हैं उन गुणों का मुझ में अभाव है, इसलिये मैंने उनसे कहा कि अगर यह आक्षेप मैं लगाऊं कि आप मिल कर चोरियां कराते हो तो गलत न होगा। मेरे एक साथी ने भी मुझ में कहा कि इतनी चोरियां हुई, लेकिन एक भी तलाशी नहीं ली गई। उन्होंने दो, तीन बार कहा कि फलां-फलां चोरियों के लिये तलाशी लो, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने कप्तान से कहा कि आज होम मिनिस्टर यहां मोजूद हैं, अगर आप चोरी की तलाशी नहीं लेंगे तो मैं उनसे कहूंगा। इस पर चोरी की तलाशी ली गयी और सात जगह माल निकला। ९, १० चोरियों का माल निकला। मेरा ख्याल है कि १०, १५ रोज पहले ही ६०-६५ हजार रुपये की एक चोरी हुयी थी, उसका भी माल मिला तो हुआ यह कि धर्मापुर के प्रधान से जाकर मैंने कहा कि चोरियां होती हैं इसका मतलब यह है कि आप इन्एफीशियेंट हैं। इतने नजदीक चोरियां हों और आप कुछ न कर पायें यह क्या है। इस पर कोतवाल आदि ने धर्मापुर के लोगों को बतलाया कि अगर आप यह करें तो चोर पकड़े जा सकते हैं। वैसा करने पर दो चोर पकड़े गये, जिनके नाम राजा साहब जानते थे और उन्होंने उनका कल जिक्र भी किया। चोरी वह करते थे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वह मामला अदालत में चल रहा है और उस संबंध में कुछ कहना ठीक न होगा, लेकिन उनको पकड़ा गया। यह भी सही है कि उनको मारा भी गया। किसने मारा इसके लिये मैजिस्टीरियल इंक्वायरी हुई है। वह जेल में ले जाये गये और जेल में मर गये या हवालात में मर गये यह मैं नहीं कह सकता। शायद वे जेल में मर गये। फिर उनके लिये मैजिस्टीरियल इंक्वायरी हुई। उसमें जो लोग चोरों को पकड़ कर कोतवाली में ले गये थे वह भी पकड़ लिये गये और उसके तीन या चार रोज बाद वह प्रधान भी उस धर्मापुर गांव का पकड़ा गया। और मैं कहना नहीं चाहता था और कहूंगा भी नहीं। राय साहब जब अलग मिलेंगे तब उनसे कह दूंगा। मैं तो बड़ा बदनाम हूं, लेकिन उनसे बता दूंगा कि यह उनकी निस्बत कहा जाता है, लेकिन संतोष तभी होता है जब प्रधान पकड़ लिया जाता है। वह भी पकड़ कर आ गया। मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुई। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि गांव के प्रधान का कोई हाथ नहीं है, सिवाय इसके कि जब गांव वाले दोनों चोरों को पकड़ कर प्रधान के पास ले गये तो प्रधान ने लिख करके उनको कोतवाली भिजवा दिया। उन लोगों के साथ। इतना

ही दोष उसका पाया गया । लिहाजा छोड़ दिया गया । इस पर राजा साहब ने न जाने मेरे निस्बत क्या क्या कह दिया । प्रधान करीब ५५–६० के होगा। रात को आ नहीं सकता था। उसके खिलाफ कोई चार्ज साबित नहीं हो सका, लेकिन राजा साहब को खटक है कि क्यों छोड़ दिया गया । मैं पुलिस मंत्री होने के नाते केस डायरी मंगवा लेता हूं और शक होता तो पूछता हूं कि कैसे हुआ। एक केस में मैंने देखा कि हमारे कुछ एम० एल०ए० भाईयों ने, जिसकी इधर उधर से चर्चा की गयी क़त्ल के मुक़दमें के सिलसिले में जिस दिन दारोगा जी गये उन्होंने पहले रिपोर्ट लिख दी कि गांव में बड़ा शोर है । सब मुल्जिमान जिनके नाम एफ० आई०आर० में लिखे हैं सब झूठे हैं। मैंने समझा कि यह मुकदमा नहीं चल सकता तो उनके एक्शन लिया और मुझे मालूम हुआ कि यह निर्दोष है । वैसे तो मैंने कहा नहीं, लेकिन अगर कहा भी है, निर्दोष है, गांव का प्रधान है, मैं मानता हूं कि पुलिस का सम्पर्क जब तक गांव वालों से नहीं होगा तब तक इसमें कमी नहीं हो सकती। यह कहा क्या कि एक आदमी को झूठा फंसा दिया । ४ रोज पहले बताना नहीं चाहता था, लेकिन राजा साहब समझ गये होंगे कि क्यों वह प्रधान पकड़ा गया । मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्या राजा साहब यही काम करते हैं कि हमारे दोस्तों की आमदनी देखा करे कि कितनी हो रही है । राजा साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि २–३ वर्ष पहले जब जौनपुर पर आप राज्य करते थे तब कितनी आमदनी होती थी। कितनी परमिट बांटी थी आपने? मुझे अभी मालूम हुआ कि आपको कार्य–प्रणाली क्या है । पीछे जो आपके साथी बैठे हैं उनसे पूछ लीजिये। जब गये पार्लियामेंटरी बाई इलेक्शन में तो सब लोग जानते हैं और कई लोगों ने कहा कि आपके कार्य की प्रणाली क्या है, लेकिन यह एक सदन है हम लोग यहां जन सेवा के भाव से आये हैं, चाहे करें या न करें।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। वह क्या महामहिम के अभिभाषण पर बोल रहे हैं या पर्सनल आरोप लगा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

उनके खिलाफ जो इल्जाम लगाये गये हैं वह उनके जवाब दे रहे हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मान्यवर यह क्या मौक़ा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

लांछन लगाने के बाद उसका जवाब सुनना पड़ेगा। आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)–

माननीय मंत्री जी ने राजा साहब के पीछे वाले सदस्यों का जिक्र किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका नाम नहीं लिया है । आप कृपया बैठ जाइये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरे सामने मंत्री जी ने गुप्ता जी से काठगोदाम के स्टेशन पर कहा कि मैंने चुनाव में राजा साहब के खिलाफ गुण्डों का इन्तजाम कर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक बोलने वाला बैठ न जाये तब तक इस प्रकार से आप बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिये आप बैठ जाइये।

श्री हरगोबिन्दसिंह—

राजा साहब कम से कम मुझ से पूछ तो लेते, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वह मुझसे बोलते न हों, लेकिन कल मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने चीजों को वगैर जाने यहां पर कह दिया । पोलिटिकल प्रेशर की आप बात कहते हैं। मैंने एक सरक्युलर इशू कर रखा है । मैं जहां भी जाता हूं वहां बुला कर अपने अफसरों से कहता हूं कि किसी तरह से पोलिटिकल प्रेशर हमारे काम में नहीं आना चाहिये। ऐसी स्थिति में यह कहा कि मने उसको छुड़वा दिया, यह जानते हुए कि वह कातिल है, यह उनको शोभा नहीं देता और इसी कारण उसका जवाब देना भी मुझे शोभा नहीं देता। हर एक केस में यथासंभव इन्क्वायरी हो रही है और उसके बाद उसमें उचित कार्यवाही होगी। यह मैं आपको और सवन को विश्वास दिलाता हूं, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो वाद विवाद हो वह ऐसे स्तर पर हो जिसमें सबका और इस सदन का गौरव बढ़े।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

माननीय गृह मंत्री ने कुछ आरोप लगाये हैं। मेरा नाम लिया है तो मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे माफी चाहता हूं। कृपया आप बैठ जाइये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

आप मेरी बात सुन लें, पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का मुझे राइट है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक मिनट में अपनी बात कह लें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

हमारे गृह मंत्री जी ने बताया कि प्रधान कैसे एरेस्ट हुआ, क्या और किसकी साजिश थी और उनके कहने का अर्थ मैं जहां तक समझा यह भी था कि पुलिस से मेरी भी साजिश थी, किन्तु दुर्भाग्य से मैं पुलिस मंत्री नहीं हूं जो मेरी साजिश होती। माननीया सुचेता जी जौनपुर जा रही हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कल मैंने आरोप लगाये हैं वह सब न्यायालय में जो कागजात पेश हैं उनके आधार पर हैं और व उनकी जांच करें। उन्होंने कहा कि मैं चोरों का सरदार हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह उन्होंने नहीं कहा है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

उन्होंने कहा मैंने परमिट बांटे, मुझे कोई अधिकार परमिट बांटने का नहीं था। तो मैं यही कहना चाहता था कि वे जौनपुर जा रही हैं, स्वयं इन सारी बातों की जांच करें।

श्री उग्रसेन—

मेरे पास भी कुछ कागजात है, सुचेता जी उनकी भी जांच करें।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज २५ साल के बाद इस सदन में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है । आज उस समय जैसी तो चीजें यहां नहीं दिखाई देती, स्वर्गीय पंत जी व

स्वर्गीय रफी साहब आदि बड़ी बड़ी विभूतियां भी आज यहां दिखलाई नहीं देतीं। इस समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार हो रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहता था कि कुछ बातों के संबंध में मैं अपने कुछ विचार कहूं। मैंने लाइब्रेरी वगैरह में जाकर प्रयत्न किया विभिन्न विभागों के संबंध में कुछ रिपोर्ट निकलवाकर उन विभागों में किये गये कार्य का अध्ययन करूं और यह जानने की कोशिश करूं कि पिछले सालों में विभागों में क्या क्या कार्य हुये हैं। मेरा ख्याल था कि संसद् में जो परिपाटी है वही परिपाटी यहां पर भी होगी और गवर्नर महोदय के एड्रेस से पूर्व हर विभाग की रिपोर्ट पेश हुई होगी, मगर मुझे कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो बजट के समय पेश होती है।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना—

कुछ रिपोर्ट पिछले सालों की मिलीं, मगर १९६३-६४ की कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। परिवहन विभाग को छोड़कर किसी विभाग की १९६२-६३ की भी कोई रिपोर्ट अब तक नहीं छपी है। मैंने यह भी देखा कि सन् १९६२ व १९६३ में छपी जो रिपोर्ट मुझे मिली, जो मेरे सामने है, वह सन् १९५७ की है। कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग का १९५७-५८ की यह रिपोर्ट सन् १९६३ में छपी है। यह कितने शर्म की बात है। पशुपालन विभाग की यह रिपोर्ट है, यह सन् १९५७ की है और सन् १९६२ में छपी है। इसी तरह और भी कई विभागों की रिपोर्टें हैं जो कई साल बात छपी हैं। मैं समझता हूं कि यह सदन का अपमान है कि जब हम राज्यपाल के अभिभाषण या बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विवाद करें, हमारे सामने कोई इन्फारमेशन न हो। मैं संसद् का उदाहरण देता हूं। वहां पर Mid-term Appraisal of the Third Five Year Plan की यह रिपोर्ट पेश हुई, यह मेरे पास है, इस पर ८-९ नवम्बर, १९६३ को नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में विचार किया गया इस रिपोर्ट के शुरू में लिखा है :

"....The report describes progress in carrying out the programmes and policies embodied in the plan during the three years, 1961-62 to 1963-64"

यह रिपोर्ट नवम्बर में छपी है और उसमें १९६३-६४ तक की रिपोर्ट मौजूद है। १९६३ की रिपोर्ट वास्तविक है और मार्च, १९६४ तक की आनुमानिक। अब यह हमारे पास आने से हम उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश की कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है। मालूम हुआ कि एक रिपोर्ट थर्ड प्लान के पहले साल की है दूसरे साल की रिपोर्ट आधी प्रेस में है और आधी विभाग से प्रेस में नहीं पहुंची। हमें तो बहस करने के लिये इस साल के कामों की रिपोर्ट चाहिये थी। इतने बड़े हाउस की बैठकों पर लाखों रुपया हर माह खर्च किया जा रहा है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहस करते समय भी सदन के सदस्य जानते नहीं हैं कि आपकी सरकार ने इस साल पिछले नौ माह में क्या क्या काम किये। मुझे ताज्जुब तब होता है जब सेंटर की रिपोर्ट में यहां का भी जिक्र है। उसमें दिया हुआ है कि यू०पी० की तीसरी प्लान की कुल प्लान की पूर्ति पर ४९७ करोड़ रुपया खर्च होना है। जिसमें से २४१ करोड़ रुपया १९६१-६२ तक खर्च किया गया है। ७६.१ करोड़ रुपये पहले योजना वर्ष में और दूसरे वर्ष में रिवाइज्ड स्टेटमेंट के अनुसार ८१.५ करोड़ और तीसरे वर्ष ८९.४ करोड़ खर्च होना है। इस प्रकार कुल रुपया २४१ करोड़ प्लान के पहले तीन वर्ष में खर्च हुआ। यह कुल खर्चा कुल प्लान के स्वीकृत खर्च का ४८.५ प्रतिशत हुआ जब कि सारे प्रदेश में सब प्रदेशों के खर्च का ५३.४ प्रतिशत खर्च पहिले तीन सालों में हुआ है। हमारे यहां इस प्रकार से ५ प्रतिशत खर्च देश की औसत से कम है। हमारे यहां से अधिकांश स्टेट्स में भी खर्चा ज्यादा हुआ है-मैसूर में ६०.३ प्रतिशत, मद्रास में ५८.४ प्रतिशत, आसाम में

[श्री शिब्बनलाल सक्सेना]

६१ प्रतिशत । केवल दो सूबों ने हमसे कम खर्च किया है—बिहार ने ४६.८ प्रतिशत और राजस्थान ने ४५.३ प्रतिशत।

इन आंकड़ों से यह मालूम होता है कि यहां से आंकड़े १९६३–६४ के खर्च के व रिपोर्ट दिल्ली सरकार को गई, लेकिन फिर भी हमारे सदन के सदस्यों को वह रिपोर्टें और वह आंकड़े छाप कर बांटे नहीं गये और हमसे वह छिपाये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे साथ यह मखौल क्यों की जाती है ? मैं चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्री गवर्नमेंट के हर विभाग को यह हिदायत कर दें कि बजट के पहले वह मेटीरियल हम लोगों को मिल जाय। मुझे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि प्लान के दूसरे साल की आधी रिपोर्ट अभी विभाग में ही है और केवल आधी ही अभी प्रेस में गई है । हमें यह मालूम हो जाना चाहिये कि पिछले ९–१० महीनों में इस सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों ने क्या किया है, ताकि हम सरकार को कुछ रचनात्मक सुझाव दे सकें।

राज्यपाल महोदय के भाषण में पहली चर्चा हमारी सीमा पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की है । उनका तात्पर्य उस आक्रमण से है जो चीन ने १९६२ में देश पर किया है । इसको उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है, मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है । हम इस तरह से आक्रमण को दुर्घटना बनाकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस आक्रमण के मुकाबिले की तैयारी के लिये उसमें कहा गया है कि पी०ए०सी० का दल रखा गया है, होम गार्ड्स अधिनियम बनाया गया है तथा उत्तराखंड में कुछ सड़कें बनायी गयी हैं। बस मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चीन के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार को इतना ही करना चाहिये था ? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं अभी हाल में केन्द्रीय सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके हवाई जहाज का फौजी अड्डा बनाया है। गोरखपुर एक फौजी छावनी है, लेकिन अगर आज हम चाहें कि गोरखपुर से अपनी फौज तिब्बत या नैपाल की सरहद पर भेज दें तो कोई सड़क उसके लिये नहीं है । मेरे ख्याल से सीमा के जिले केवल उत्तराखंड के तीन ही जिले हैं, बल्कि नैपाल व तिब्बत की सीमा से लगे हुए जो भी १५ जिले हैं वे भी सीमा के जिले हैं।

तिब्बत में ल्हासा से काठमांडू तक सड़क बन रही है और तिब्बत क्षेत्र में ल्हासा से कोडारी तक सड़क चीन पूरी कर चुका है । अब चीन ने काठमांडू से कोडारी तक १०४ किलोमीटर सड़क में से ५४ किलोमीटर सड़क ४ माह में तैयार कर ली है । अगले ४ मास में बाकी ५० किलोमीटर सड़क भी बनकर बिलकुल तैयार हो जायगी। दुनिया की यह सब से मुश्किल सड़क जिसमें सबसे ज्यादा कठिनाइयां हैं तैयार हो गई, लेकिन हमारे यहां गोरखपुर से नैपाल सरहद तक की सड़कें नहीं बनतीं। हम किसी तरह भी गोरखपुर से नैपाल सरहद पर झंडानगर नहीं जा सकते, क्योंकि फरेंदा के बाद सड़क गायब है और उसके आगे वृजमनगंज तक और फिर शाहरतगढ़ से बढ़नी तक नहीं है । त्रिवेनी स्नान के मुकाम पर भी जाना चाहें तो वहां सड़क से नहीं जा सकते, रास्ते में शिकारपुर चौराहे से सेंदुरिया तक सड़क गायब है। गोरखपुर जिला जो कि फौजों की एक बड़ी छावनी है और जहां से किसी भी लड़ाई के समय फौज भेजी जा सकती है वहां से सब जगह सड़कों का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तक वहां इस दृष्टि से कोई सड़कें नहीं बनाई गई हैं । हमले के मुकाबले के वक्त के लिये यह बहुत जरूरी है कि वहां भी सड़कों का जाल बिछा दिया जाय। उत्तर प्रदेश में तिब्बत व नैपाल की सरहद से लगी हुई देहरादून से लेकर उत्तरकाशी, गढ़वाल, अलमोड़ा, पीलीभीत, बहराइच, बस्ती होते हुये गोरखपुर तक सड़क का बनना फौजी दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। चीन ने तिब्बत में नैपाल सरहद के समानान्तर ल्हासा से पूरब-पश्चिम हजारों मील की सड़क बना रखी है। हिमालय में ५० दर्रे हैं और सब पचासों दर्रों तक इस सड़क के भिन्न-भिन्न स्थानों से सड़कें निकाली गई हैं। इस प्रकार हर दर्रे तक फौज पहुंचाने के लिये चीन जिसके खतरे की हम मुकाबिले की बात करते हैं उसके यातायात के साधन मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहां नैपाल

सरहद तक जाने का भी कोई साधन नहीं हैं । इस दृष्टि से गोरखपुर, नैपाल सरहद पर खनुआ से बहुआर तक की २५ मील सड़क बहुत जरूरी है । गोरखपुर से बस्ती, देवरिया इत्यादि की नैपाल सरहद तक फौजें ले जाने के लिये सड़कों का बनाना बहुत ही जरूरी है । हमारे जिन जिलों से नैपाल का बार्डर मिलता है वहां से हमारी फौजी छावनियों तक अच्छी सड़कों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोरखपुर एक फौजी छावनी हो गई है । इसलिए गोरखपुर से पूर्वी जिलों का नैपाल सरहद तक सड़कों का एक जाल बिछा देना बहुत जरूरी है । चीन की ल्हासा से काठमांडू तक सड़क हो जाने से अब हमें खतरा बहुत बढ़ गया है । केवल होमगार्ड्स और पी०ए०सी० से ही अब काम नहीं चल सकता । हमें सुरक्षा के प्रबन्ध के लिये अपने यहां हर तरह से तैयारी करनी होगी और सबसे पहले अच्छी सड़कों से उस बार्डर के इलाके को फौजी छावनियों से जोड़ना बहुत जरूरी है और उसी हालत में वक्त पड़ने पर हमारी फौजें बहुत जल्द वहां पहुंच सकती हैं। इस तरफ सरकार को खास ध्यान देना चाहिये। केवल उत्तराखंड में सड़कें बनाने से काम नहीं चलेगा। उपरोक्त सड़कों को बनाने की बिना समय खोये कोशिश होनी चाहिये, क्योंकि उनका अब बहुत महत्व बढ़ गया है । ल्हासा काठमांडू सड़क बन जाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सरकार को इस तरफ फौरन ध्यान देना चाहिये ।

इस के अलावा माननीय राज्यपाल जी ने.... (समय समाप्त) ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को ध्यान से सुना । जैसे प्लेटफार्म और परमट के भाषण हुआ करते हैं वैसे भाषण यहां परसों से सुनने को मिले या जिस तरह से क्लास रूम में विद्यार्थियों को लेक्चर पिलाया जाता है वैसे ही लेक्चर हमने सदन में सुने। मैं माननीय राज्यपाल को हार्दिक बधाई इसलिये देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार के इतिहास में गवर्नर महोदय ने सच्ची और सही बात को सदन में रखने का प्रयास किया है। लोग समझते हैं कि ऊंची कल्पनाओं की उड़ान उड़ कर बजट भाषण में स्थान देकर वह मुल्क को ऊंचा बढ़ा सकते हैं । मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया था वह ठीक ही था, उससे इत्तफ़ाक करता हूं । इसलिये नहीं कि मुझे कोई कृपा का अवसर प्राप्त करना है। जो व्यक्ति भी सच्ची बात सदन में नहीं रखता है वह देश को धोखा देता है। अंग्रेजी के एक कवि ने कहा था—

"The common problem, yours, mine, every one's is not to fancy what were fair in life : Provided it could be, First finding what may be then find how to make it fair up to your means a very different thing. No abstract intellectual plan of life, quite irrespective of life's plainest laws. But one a man who is man and nothing more may lead within this world."

राज्यपाल के अभिभाषण में हमें उन्हीं बातों का चित्र मिलता है जो प्रान्त में हो रही हैं। जो आदमी अपने कोट को कपड़े के मुताबिक नहीं काटता वह मुल्क को धोखा देता है । अगर सुन्दर तस्वीर गवर्नर साहब के भाषण में खींची जाती और वास्तव में कुछ न होता तो जनता का विश्वास खो जाता और जनता समझती कि सरकार आदर्शों की बौछार करती है, लेकिन काम कुछ नहीं होता, परन्तु इसके माने यह भी नहीं कि सारे काम सरकार की तरफ से पूरे-पूरे हो रहे हैं। जहां तक करप्शन की बात है, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यहां बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन किसी ने यह सुझाव नहीं दिया कि किसी प्रकार उसको दूर किया जाय। अगर कोई सोचे कि यहां की जनता अपने आप खुदाई बन जाय यह हरगिज नहीं हो सकता । जिन लोगों के हाथ में शासन है उनको हमने पत्र लिखे, लेकिन वह इस बात से इत्तफ़ाक नहीं करते हैं, उनको अपनी कुर्सियों का डर है, लेकिन यह नहीं सोचते कि अगर देश ही नहीं रहेगा तो कुर्सी भी अपने आप खत्म हो जायगी । हमें देश को सर्वप्रथम स्थान देना चाहिये और अपने स्वार्थों को नहीं । आज देश के सामने गम्भीर परिस्थितियां हैं और अगर उनसे देश की हिफ़ाजत नहीं की गयी तो वह मुल्क को धोखा देना है। मेरा सुझाव है कि हर व्यक्ति जो करप्शन करता है चाहे आफ़िस में हो या फैक्ट्रीज में हो, चाहे हमारे सदस्यगण हों, कोई भी हो जो भी

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

करेप्ट है उसको सजा होनी चाहिये और उसके साथ दो दर्जन कोड़े की सजा उसको होनी चाहिये। जब तक देश में कोड़े की सजा नहीं होगी दो दर्जन तब तक यह मुल्क दुरुस्त नहीं हो सकता। खुदा भी आयें तब भी भारत से करप्शन दूर नहीं कर सकते, यह मेरा दावा है। अगर इन बुराइयों को दूर करना है तो उनके लिये आदर्शवाद से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिये सजा ही उचित काम कर सकती है। जो ऊंचे व्यक्ति बनते हैं, लेकिन मुल्क से करप्शन दूर नहीं करना चाहते वे मुल्क के शत्रु हैं। हमें इस सम्बन्ध में सख्ती से काम करना होगा।

मेरे साथी कहते हैं कि अनाज की कमी है, सरकार क्या कर सकती है? मैं बतलाना चाहता हूं कि दो रुपये सेर चीनी जितनी चाहो ब्लैक से बाजार में मिल सकती है और राशन कार्ड पर १८ आने सेर के हिसाब से एक किलो पर यूनिट ही मिलेगी जो कि हमारे बच्चों के लिये नाकाफी है। तो देश में बाजार में दो रुपये सेर चीनी ब्लैक में मिले तो क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि वह एक नियंत्रण भी देश में कायम नहीं रख सकती? क्या एक बाट, एक तराजू, और एक भाव बाजार में नहीं किया जा सकता? यह किस की कमजोरी है? नेगी जी की कमजोरी नहीं है। यह सेंट्रल गवर्नमेन्ट की कमजोरी है। उस कमी को दूर किया जायगा। अगर इस तरह की व्यवस्था इस मुल्क में चलती रही तो याद रखिये कि चायना में जापान २० साल तक बमबारी करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हो सका, लेकिन बाजार के भाव ने च्यांगकाई शेख को चायना से विदा कर दिया। आज न वहां च्यांगकाई शेक हैं और न उनकी सरकार है। आज वहां कम्युनिस्टों का कब्जा है। तो जो सरकार जनता के जीवन के साथ इस प्रकार का बर्ताव करती है वह मुल्क में विप्लव के बीज बो रही है। वह विप्लव आयेगा। याद रखिये जंगल में जब आग लगेगी तो हर पौधा खाक में मिल जायगा। इसका मुझे बड़ा अफसोस है कि जो जनता के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं और जो इस मुल्क के भाग्य का फैसला करने वाले हैं चाहे वह एम० एल० ए० हों या मिनिस्टर और इस तरफ के बैठने वाले हों या उस तरफ के बैठने वाले हों वे इस चीज से भाग नहीं सकते, मुल्क उनको बख्श नहीं सकता। क्या यही ईमानदारी का नमूना है कि डिफेन्स के लिये चन्दा जमा किया जाता है २ रुपये और रसीद दी जाती है एक रुपये की? क्या यह करप्शन नहीं है और डिप्टी मिनिटर साहब से मैं जानना चाहता हूं कि क्या ४२० व ४०९ ता० हि० का जुर्म आयद नहीं होता और क्यों ४२० व ४०९ का मुकदमा नहीं चलाया जाता? मैं बतलाता हूं कि यह मुल्क का सवाल है। इस मुल्क को बनाने में और बिगाड़ने में आप सबकी और हमारी जिम्मेदारी है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर दिया। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जिन नीतियों का उल्लेख किया है मैं समझता हूं कि वह प्रदेश के हित में हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले कदम हैं। उन्होंने जिन नीतियों का उल्लेख किया है प्रश्न यह है कि हमारी सरकार उनको कार्यरूप में किस तरह से परिणत करने जा रही है। जिन नीतियों का उन्होंने उल्लेख किया है उनमें मुख्य नीतियां यह हैं कि कृषि का उत्पादन इस प्रदेश में बढ़ाना चाहिये। उद्योग, जिसमें हमारा प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है, उसमें प्रगति करनी चाहिये। तीसरे उसमें भ्रष्टाचार की शिकायत है और उसको दूर करने के लिये विजिलेन्स कमेटी नियुक्त करने की बात कही है। इन बातों का तो उल्लेख किया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ बातें इस प्रदेश में ऐसी हैं जिनका उल्लेख करना आवश्यक था जैसे इस प्रदेश में जो आज बेरोजगारी है, जो कीमतें खाद्यान्न की और अन्य चीजों की बढ़ती जा रही हैं, आज इस प्रदेश में जो अविकसित क्षेत्र है उसकी तरफ उनके अभिभाषण में कोई सुझाव नहीं दिया गया है। हमारे प्रदेश में पूर्वी अंचल के केवल चार जिले पटेल आयोग ने लिये हैं। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने आप के माध्यम से हमारे मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था कि

फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, बहराइच, इन जिलों की भी आर्थिक स्थिति वैसी ही है जैसी कि आजमगढ़, गोरखपुर और देवरिया की है। हमें आश्वासन दिया गया था कि ये जिले भी उन्हीं आर्थिक विकास सुविधाओं को प्राप्त करेंगे जो पटेल आयोग में लिये गये जिलों को मिलेंगी, परन्तु राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इन जिलों के बारे में कोई भी आश्वासन नहीं दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन जिलों की भी आर्थिक स्थिति वैसी ही है जैसी कि पटेल आयोग में लिये गये जिलों की है। फैजाबाद जिले के पूर्वी अंचल में जलालपुर से लेकर टांडा तक सड़क न होने के कारण उस जिले के चार इंडस्ट्रियल स्थान एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण वहां की आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

शोर बहुत हो रहा है, लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

हमारी मुख्य मंत्री, माननीया सुचेता जी जब फैजाबाद के दौरे पर गयी थीं तो वहां के विधायकों ने उनको इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था कि आप फैजाबाद के पूर्वी अंचल को मिलाने वाली सड़कों की तरफ ध्यान दीजिये और इस सम्बन्ध में हम लोगों ने करीब दो साल से इस सरकार से इस बात की मांग की है कि जलालपुर से लेकर टांडा तक इस सड़क को मिला दिया जाय। लेकिन सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे जिले की उन्नति के लिये यह बड़ी आवश्यक है और इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उस समय तक दूर नहीं हो सकता जब तक मंत्रि परिषद् के नौकरशाही के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के लिये तैयार न हो। मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस समय वे दौरे पर गई थीं तो जलालपुर थाने में १८–१९ नवम्बर की रात को डकैती पड़ी और मुलजिम नामजद हुआ और थानेदार ने उससे १,५०० रुपया लेकर छोड़ दिया और कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सी० आई० डी० से इंक्वायरी कराने का आदेश दिया। लेकिन २/३ महीने हो गये और अभी तक वे आदेश खटाई में पड़े हुये हैं आज भी मुलजिमान और डकैत उसको धमकी दे रहे हैं कि तुम नामजद रिपोर्ट कराकर भी हमारा कुछ नहीं करा सके। यह प्रशासन का तरीका है। मैं समझता हूं कि जैसा हमारे मिश्रा जी ने सुझाव दिया था कि जब तक पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्ज का कांफीडेंस प्राप्त नहीं करेंगे और पब्लिक के जो नुमाइन्दे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक आपके विजिलेंस कमीशन से भी जो नौकरशाही का अंग है, भ्रष्टाचार दूर होने की सम्भावना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी ने जो भाषण दिया है, उसके लिये धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव माननीया सुशीला जी रोहतगी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं यहां खड़ी हुई हूं। मैं दो दिन

(इस समय ४ बज कर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

से सब भाषणों को सुनती रही हूं जहां तक मैं सुन सकी हूं, बाकी पढ़कर मैंने आपको परिचित किया है उससे जो माननीय सदस्यों का इस राज्य को चलाने के सम्बन्ध में मत है। राज्यपाल जी ने भाषण रखा है, उसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि भाषण में कोई बात नहीं मिलीं। कोई नई प्रेरणा नहीं मिली। मैं यह समझती हूं कि पंचवर्षीय योजना के मध्यस्थल पर हम पहुंचे हुये हैं, इस समय जो भाषण हो उसमें राज्यपाल जी कोई बड़ी भारी नीति नहीं बता सकते, जिससे लोगों में बड़ा भारी उत्साह पैदा हो जाय या लोग समझें कि कोई नई चीज हमारे सामने आई, क्योंकि हम प्रदेश की आर्थिक प्रगति और सर्वांग विकास अपनी पंचवर्षीय

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

योजनाओं के द्वारा कर रहे हैं। इसलिये हर पांचवें साल नये प्रोग्राम रखे जाते हैं, नई पालिसीज रखी जाती हैं, इसलिये बीच में कोई नई नीति परिचालित करना कठिन है।

माननीय राज्यपाल जी ने ईमानदारी के नाते बातें आपके सामने रखी हैं। रंग चढ़ाकर कोई बात नहीं रखी हैं, बातों को फैलाकर नहीं बताया है। वह विनम्र स्वभाव के हैं और सच्चे व्यक्ति हैं और सच्चाई के साथ बातों को रखना पसन्द करते हैं। चाहते तो वे इस भाषण में राज काज के काम का विवरण कुछ अतिरंजित रूप से दे सकते थे लेकिन यह न उनको पसन्द है और न मुझे पसन्द है। इसलिये उन्होंने सीधे सादे ढंग से जो पिछले साल बातें हुई हैं और जो हम करना चाहते हैं या अगले साल जो नीति रखना चाहते है, वह आपके सामने रखी गयी है। अहमद साहब ने शिकायत की कि भुवनेश्वर कांग्रेस प्रस्ताव के बाद वह उम्मीद रखते थे कि किसी बड़े भारी कदम का एलान होगा सोशलिज्म के बारे में, लेकिन वह नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहती हूं कि सोशलिज्म कांग्रेस हमारे समाजवादी उद्देश्यों के अनुसार औद्योगिक नीति विषयक संकल्प में यह घोषित किया गया है कि कतिपय वर्गों के उद्योगों का विकास केवल सरकारी क्षेत्र में ही किया जायगा। हमने भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण बैंकों में से कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया है और हमने और भी कोई ऐसी कार्यवाहियां की हैं जिनसे यह प्रकट होगा कि हम इस देश में समाजवादी ढंग से समाजवाद का धीरे-धीरे विकास कर रहे हैं।

भुवनेश्वर में हमने अपनी स्थिति और अधिक स्पष्ट की तथा समाजवाद को स्पष्टरूप से अपना उद्देश्य घोषित किया था। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम समाजवाद की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। अब हमें सिर्फ उसकी ओर बढ़ने की रफ्तार को तेज करना है। मैं नहीं समझती हूं कि भुवनेश्वर में इस संकल्प के पारित होने के एक महीने के समय के भीतर हमारे लिये इस सम्बन्ध में कोई आकर्षक घोषणा कर सकना सम्भव था।

बहुत शिकायत हुई कि इस प्रदेश की प्रगति १०, १२ सालों में नहीं हुई। मैं भी झूठ नहीं बोलना चाहती। जितनी प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। हमारी सरकार के हर एक माननीय सदस्य यह समझते हैं। कौन नहीं चाहता है कि प्रदेश आगे बढ़े मगर बहुत-सी दिक्कतें हैं। बड़ा भारी प्रदेश है उसकी बड़ी भारी आबादी है, अनवील्डी स्टेट है। सब से बड़ा प्रान्त, साढ़े सात करोड़ की आबादी, बहुत कोशिश के बावजूद भी वह बढ़ती जा रही है; नया दृष्टिकोण लोगों के अन्दर लाने में समय लगता है। सिर्फ प्लैटफार्म पर कह देने से तो सोशलिज्म आता नहीं है। लोगों में माडर्निस्टिक और प्रोग्रेसिव दृष्टिकोण लाने में समय तो लगता ही है। कुछ लोग प्रदेश में अवश्य हैं, अगर काफी लोग उसी विचारधारा के हो जायं तो काम बहुत तेजी से हो सकता है। सरकार के काम में जरूर कुछ काफी कमियां हैं। मैं कैसे कहूं कि सरकार ने कोई गलती नहीं की है। मैं जानती हूं और कहती हूं कि जितनी स्ट्रीमलाइनिंग ऐडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिये थी और जितना तेजी से काम होना चाहिए था, नहीं हुआ है, क्योंकि जितना अनवील्डी ऐडमिनिस्ट्रेशन होता है उतना ही उसकी प्रगति में धक्का पहुंचता है। उसमें कम्प्लीकेशन बढ़ता है तो फिर काम की प्रगति धीरे होती है। इसलिये हमें हमेशा रिव्यू करना पड़ता है कि किस तरह से ऐडिमिनिस्ट्रेशन को टोन अप किया जाय।

यह एक ऐसी समस्या है जो केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण विश्व की सरकारों को इस समस्या का काफी हद तक सामना करना पड़ रहा है। पारकिनसन ने प्रशासन इस मूल समस्या की ओर ठीक ही हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, जो कि अपने क्षेत्राधिकार में बहुत से विभागों को लाना चाहता है और आधुनिक प्रकार के राज्य में ऐसा होना अनिवार्य है, क्योंकि ऐस राज्य में प्रशासन का कार्य केवल शांति और सुव्यवस्था बनाये रखना ही नहीं है बल्कि उसके लिये विकास तथा कल्याणकारी कार्यों को भी करना आवश्यक है।

अब मैं दो मुख्य चीजें लेती हूं। एक तो खेती की प्रगति और दूसरी औद्योगिक प्रगति। खेती की प्रगति के बारे में जितनी समालोचना हुई, सही हुई। खेती की प्रगति जितनी होनी

चाहिये थी उतनी नहीं हुई। सन् १९६०–६१ में हमारे यहां खेती का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ और हम लोग आशा करते थ कि उसी रफ्तार से प्रगति होती जायगी और हम काफी आगे बढ़ते जायेंग मगर हम नहीं कर पाये। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दो सालों में वर्षा के फल्योर स हमारी प्रगति नहीं हो पायी और प्रकृति के दूसरे प्रकोप आये, जिससे हमारा काम नहीं हो पाया। इस समय केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे भारतवर्ष में जो अनुमान लगाया गया है तो जितनी प्रगति की आशा की गयी थी सारे देश की वह नहीं हुई। इसलिये बहुत सोच विचार भारतीय स्तर पर हो रही है कि क्या ऐडमिनिस्ट्रेटिव सुधार लाया जाय, ताकि हम कृषि की प्रगति उसी ढंग से कर सकें जैसा हम चाहते हैं। पिछले साल जब लड़ाई का वक्त आया था उस वक्त काफी सोचकर कि कैसे हम अपने कामों में प्रगति लायें कुछ फैसले लिये गये थे। एक कैबिनेट सब कमेटी प्रोडक्शन क काम को दखने के लिये बनाई गई थी। मुझ खेद है कि उस सब कमेटी ने जितनी चुस्ती से काम करना चाहिये था, नहीं किया। मगर केन्द्र के स्तर पर उस पर सोच विचार हुआ है। हम लोग भी बुलाये गये थे। रामसुभगसिंह कमेटी बैठी थी, कि कैसे कोआर्डिनेशन किया जाय उन विभागों को जो कृषि उत्पादन से सम्बन्धित हैं। हम लोगों ने फैसला किया एक इंटिग्रेटेड डिपार्टमेन्ट हो, जो ऐग्रीकल्चर से सम्बन्धित हो। हमने ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला किया है, जो कमिश्नर कम सेक्रेटरी हैं। उनके मातहत कृषि, कोआपरेटिव, पंचायती राज केन डिपार्टमेन्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऐनिमल हस्बैंडरी, यह सारे मुहकमें रहेंगे। इन सबका कोर्डिनेशन करेंगे। इसके ऊपर कैबिनेट सब कमेटी सुपरवाइज करेगी। जैसा समन्वय प्रान्त स्तर पर किया है वैसा ही समन्वय जोनल, जिला और ब्लाक स्तर पर, तीनों में लायेंगे।

हम लोगों ने विचार किया कि किसानों को कृषि उत्पादन के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनको कैसे मुहइया किया जाय। जो कोआपरेटिव के मेम्बर थे उनको फर्टिलाइजर वगैरह मिल जाता था मगर करीब ६० फीसदी किसान जो उनके मेम्बर नहीं हैं उनके पास तक नहीं पहुंच पाता था। उसके लिए ऐग्रीकल्चरल सप्लाई आर्गेनाइजेशन बनाया है जिसके मातहत फर्टिलाइजर वगैरह पिछले सालों से इस साल काफी तेजी से बाटा है। करीब दूना हो गया। अगले साल और भी दूना बढ़ा देंगे। फिर यह फैसला किया है कि पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट में सारा काम था। अब हम चाहते हैं कि सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान दें, जैसे उर्वरक बाटना, बीज बाटना, माइनर इर्रीगेशन पर ज्यादा ध्यान देना। फिर वी० एल० डब्लू० मल्टी-परपज आफिसर था। अब वह केवल ऐग्रीकल्चर एक्सटेंशन आफिसर के नाते अपने यहां काम करेगा, सिर्फ कृषि का काम करेगा लेकिन सिंचाई का प्रबन्ध पूरा न हो तो जो नतीजा चाहते हैं वह नहीं आ सकता। इसलिए उसके सम्बन्ध में यह फैसला किया है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है, डेलिगेशन आफ पावर, कि बिजली का सैंशन करें प्राइवेट ट्यूबवेल्स के लिए ताकि उसमें ज्यादा देर न हो। फिर हमने कैनाल ड्रेनेज ऐक्ट को अमेंड करके एक मील के स्थान पर तीन मील तक चैनेल बनाया जा सकेगा सरकार की तरफ से। ट्यूबवेल आपरेटर्स को इंसेंटिव देने के लिये यह किया गया है कि जितने कमांड एरिया में पानी देते थे, उससे ज्यादा अगर दें तो उनको बोनस दिया जायगा ताकि अच्छी तरह से काम करे। हमने ट्यूबवेल के कमांड एरिया को घटा कर ९ सौ एकड़ से ६ सौ एकड़ कर दिया है। प्राइवेट ट्यूबवेल्स को २५ फीसदी सब्सिडी देने का फसला किया है। तकावी जो पम्पिग सेट और परशियन ब्लीस के लिए देते थे वह भी बढ़ा दी। इन सब चीजों का फैसला किया है ताकि उत्पादन बढ़े। एक फैसला और किया है। वह यह है कि सीमेंट की कमी है। पिछले साल सीमेंट और ईंट दोनों की कमी थी, लेकिन कोयला की पोजीशन अच्छी होने से ईंट मिल रही है। सीमेंट के बिना काम करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि प्राथमिकता ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को देनी है इसलिये यह फैसला किया है जिले के स्तर पर ७५ फीसदी सीमेंट डेलवपमेंट के काम में जायगा। उसमें प्राथमिकता इर्रीगेशन के काम के लिये है। यह सब फैसला करने के बाद मैं आशा करती हूं कि कृषि के काम में जरूर कुछ सुधार आ जायगा थोड़ा बहुत ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी चुस्ती लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ईश्वर चाहता है और उसमें हम कामयाब हुए तो शायद ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी हम कुछ अच्छा नतीजा दिखा

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

सकेंगे। इंडस्ट्री के बारे में कहा गया है कि हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नाकाफी है, असन्तोष-जनक है। सही बात है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट जैसा कि प्रांत का होना चाहिये था वैसा नहीं हुआ। उसके भी बहुत से कारण हैं। उन कारणों में एक बहुत बड़ा कारण है परकैपिटा इन्वेस्टमेंट दूसरे प्रान्तों से हमारे प्रान्त में कम हुआ है। बड़े-बड़े कारखाने सेंट्रल गवर्नमेन्ट दूसरें प्रान्तों को देती थी और उत्तर प्रदेश को नहीं देती थी। पिछले दो साल से झगड़ा करने के बाद कुछ-कुछ कारखाने अब हम लोगों को मिल रहे हैं। आशा है कि जल्दी ही हमारा डेवलपमेंट उस तरफ भी होगा, बड़े बड़े कारखाने भी डेवलप करेंगे और केवल वहीं डेवलप करेंगे ऐसी बात नहीं है। जब यह बड़े-बड़े कारखाने बन जायेंगे, प्रोडक्शन में आ जायेंगे तो उसके साथ-साथ बहुत सी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज भी डेवलप करेंगी। इन बड़े कारखानों का एक एरिया बन जायगा जहां काफी उद्योग और विकसित होगा। मगर उसमें समय लगेगा। ऐसी बात नहीं है कि एक दिन में यह सब काम हो जाय। कुछ आज पैसे की कमी है, कुछ सरकार के ऐडमिनिस्ट्रेशन में कमी है, और कुछ यहां के लोगों में कमी है। पंजाब में जाइये, छोटी छोटी पूंजी लेकर वहां लोग उद्योग में लग जाते हैं, हरएक आदमी ऐसा करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश होने के कारण यहां के लोगों में वह बात नहीं है। ज्यों-ज्यों यहां भी उद्योग बढ़ेंगे, उनका आर्गेनाइजेशन बढ़ेगा त्यों-त्यों आशा की जाती है कि यह चीज भी यहां के लोगों के अन्दर बढ़ेगी। डाक्टर अहमद साहब ने बड़ा मजाक उड़ाया। वही चुर्क सीमेंट फैक्टरी, वही प्रेसीजन इंस्टूमेंट फैक्टरी। सही बात है कि पब्लिक सेक्टर में ज्यादा फैक्टरीज नहीं खुलीं हैं, लेकिन मैं थोड़ा उनसे विनती करूंगी कि चुर्क की फैक्टरी तो एक ही है। मगर उसका प्रोडक्शन जहां ७०० टन था उसकी जगह अब १४ सौ टन रोजाना हो गया है। और चुर्क के पास चोपान फैक्टरी भी लगने वाली है। उसका भी प्रोजेक्ट वगैरह बन गया है और तैयारी हो रही है जल्दी से जल्दी खोलने की। फिर प्रेसीजन इंस्टूमेन्ट्स फैक्टरी भी एक ही है, लेकिन उसके प्रोडक्शन में भी तिगुने का लाइसेंस हमको मिल गया है और पांच गुने का लाइसेंस लेने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसी कारखाने को थोड़ा एक्सपेंड करके पांच गुना प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा वहां आप्टिकल इंस्टूमेन्ट्स बनाने के लिये भी हम इंतजाम कर रहे हैं। इसके लिये कार्लजाइस (carlzice) जर्मनी की एक फर्म है। उसके लोग आये थे उनसे हमसे कालेबोरेशन की बात भी हुई थी और आशा की जाती है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है, वह यह कार्य यहां शुरू करेंगे। यह पब्लिक सेक्टर में धीरे-धीरे एक्सपेंशन हो रहा है। बड़े-बड़े कारखाने तो सेंट्रल गवर्नमेन्ट की स्कीम से खुल ही रहे हैं। एथटर्न मिल कानपुर में है, और विभूति ग्लास वर्क्स ये पब्लिक सेक्टर में हैं।

पब्लिक सेक्टर के अलावा कोआपरेटिव भी सोशलिस्ट पैटर्न में माना जाता है। उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें तीन शुगर मिल्स थीं। चौथी मिल की तैयारी हो रही है। और आशा की जाती है कि दो और शुगर मिल्स का थोड़े दिन में उसके अन्दर प्रबंध कर सकेंगे। इसमें एक स्पिनिंग मिल इटावा में वर्क कर रही है। एक और स्पिनिंग मिल शाहगंज में कोआपरेटिव सेक्टर में हम बढ़ाने की सोच रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे हम पब्लिक सेक्टर को बढ़ा रहे हैं।

प्राइवेट सेक्टर में उत्पादन १२ परसेंट बढ़ गया है पहले से। एक सवाल यह किया गया कि शुगर मिलों का हम नेशनलाइजेशन क्यों नहीं करते हैं और यह कहा गया कि मिल मालिकों की तरफदारी की वजह से यह हम नहीं करना चाहते हैं।

श्री उग्रसेन—

सही बात है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुझे मालूम नहीं। उग्रसेन जी का सम्पर्क शुगर मिल वालों से काफी ज्यादा होगा मेरी बनिस्बत। मेरा तो यहां के किसी मिल मालिक से कोई सम्पर्क है ही नहीं। बना भी नहीं पायी

दो साल तक लेबर मिनिस्टर होने की बावजूद से। तो नेशनलाइजेशन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि जो हमारी पालिसी है पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने की उस पालिसी के अन्दर जो भी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज होने को होंगी वह आयेंगी जरूर। मगर शुगर मिलों के सम्बन्ध में मैं बताना चाहती हूं कि चूंकि यह यू० पी० में ही नहीं हैं, सारे भारत में फैली हुई है और यहां की शुगर इंडस्ट्री क्राइसिस में चल रही है, तो जो कुछ पालिसी निर्णय करनी है वह आल इंडिया लेवेल पर करनी पड़ेगी और फिर जो शुगर की मिलें पूर्वी जिलों में हैं आप सब जानते हैं, सब से पहले यू० पी० में ही शुगर मिलें लगी थीं और इसलिए बड़ी पुरानी मिल्स हैं, इन सारी मिलों को मार्डनाइज करने की जरूरत है। आज अगर हम उनको ले लें तो उनके मार्डनाइज करने में इतना पैसा लगेगा कि जिसके लिये हमारे पास साधन नहीं हैं। सब से बड़ी इंडस्ट्री यहां पर शुगर की है। यहां पर शुगर के ७१ कारखाने हैं। हमारे पास इतने वेल ट्रेन्ड टेक्निकल परसोनेल भी नहीं हैं कि अगर हम उनको अपने हाथ में लेते तो उनको चला लें। अगर हम प्रोडेक्शन नहीं कर पाये और उनको चला नहीं पाये तो इससे प्रान्त का फायदा नहीं होगा। गोकि हमारी पालिसी नेशनलाइजेशन की है, लेकिन हमको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की जो इस सम्बन्ध में पालिसी होगी उसके साथ ही चलना होगा। इस सम्बन्ध में जो सेंट्रल गवर्नमेन्ट तय करेगी वही हम करेंगे। पब्लिक सेक्टर में जो पालिसी हमने अपनाने की कोशिश की है उसके अनुसार हम कर रहे हैं। जिनका हम एक्सपेंशन कर सकते हैं उनका एक्सपेंशन कर रहे हैं। तीन शुगर मिल हम कोआपरेटिव सेक्टर में खोल रहे हैं। धीरे-धीरे हम इसको भी बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिये काम हो रहा है।

यह कहा गया कि हमारी हमदर्दी कारखानेदार के साथ हैं और उनके ऊपर जो एरियर बाकी है उनको वसूल नहीं किया जाता है। मैं समझती हूं इस बात को इस सदन में बहुत दफा कहा गया गया है, इसलिये इसका आज कुछ खुलासा हो जाय तो बड़ी अच्छी बात है जो बड़ी-बड़ी मिलों ने हमसे कर्जा लिया है वह है न्यू सेन्ट्रल जूट मिल कम्पनी, जे० के० काटन मिल और लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग कम्पनी। इनके ऊपर बकाया था और इनसे बकाया को वसूल करने के लिये काफी प्रयत्न पिछले साल किया गया है। अब यह हो सकता है कि इन कारखानों को या तो बन्द कर दिया जाय वसूली न होने के कारण या इनसे समझौता करके बकाया को धीरे-धीरे वसूल करने का कोई रास्ता निकाला जाय। अगर कारखानों को बन्द कर दिया जायगा तो इनमें जो हमारे हजारों मजदूर काम करते हैं वह बेकार हो जायंगे। हमने उनसे समझौता करके वसूल करने की कोशिश की है उसका नतीजा यह हुआ है कि न्यू सेंट्रल मिल ने हमसे १.४५ करोड़ लिया था उसमें से उसने ४३.५४ लाख दे दिया है। २४ लाख का उसने गवर्नमेंट को फरटीलाइजर सप्लाई किया है तो वह जो उन पर बकाया रह गया है उसमें एडजस्ट हो जायगा। इनके ऊपर दबाव डालकर यह रुपया वसूल किया गया है। जे० के० काटन मिल पर हमारा ६० लाख रुपया था जो उन्होंने लिखा था। उसमें से उन्होंने १-१-६४ तक ३८.२९ लाख डिपोजिट कर दिया है। जितना हो सकता है वह महीने में कुछ दे रहे हैं। लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग ने ५० लाख रुपया कर्जा लिया था। इसमें से २८.६३ लाख डिपोजिट हो गया है। ये लोग छूट नहीं पाये हैं। काफी सख्ती करके यह रुपया वसूल किया जा रहा है। इसी तरह से शुगर मिलों के ऊपर भी जो सेस का एरियर था उसको भी हम वसूल कर रहे हैं। १९६२-६३ में इन लोगों से ८.१८ करोड़ रुपया वसूल किया गया है। ८.१८ करोड़ रुपये की रकम जो है वह कोई छोटी रकम नहीं है। १-४-६३ तक पिछले हिसाब में उनके ऊपर ५.१८ करोड़ रुपय बकाया था पिछले दिसम्बर, ६३ तक उनके ऊपर जो कुछ due था वह ७.८६ करोड़ बाकी था जिसमें से उन्होंने ४.३२ करोड़ रुपया पे कर दिया है। बाकी जो रह गया है उसके लिये भी कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें १.६३ करोड़ रुपया ऐसा है जिसके लिये लिटीगेशन चल रही है। तो अब आप देख सकते हैं ये लोग छूटे नहीं हैं। इनसे जबर्दस्ती पैसा वसूल किया जा रहा है और नोटिस देकर पैसा वसूल किया जा रहा है। इससे यह मालूम होता है कि हमारी उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। हम उनको भी छोड़ते नहीं हैं। यह देखने की बात है कि उन कारखानों को बन्द किया जाय या इनसे समझौता करके पैसा वसूल किया जाय। हम चाहते हैं कि कारखाने भी चलते रहें और हमारा पैसा भी वसूल हो जाय। यहां पर यह पहले प्राइवेट

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

सेक्टर में ही इंडस्ट्री पनपी थी तो हम यह नहीं चाहते कि उनको समाप्त किया जाय। हम पब्लिक सेक्टर के लिये कोशिश कर रहे हैं और उसका एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत मजदूर हमारे काम करते हैं। उनको हम बन्द नहीं कर सकते हैं। यह हमारी पालिसी है और इस पर हम चल रहे हैं। उनके ऊपर दबाव डालकर हम पैसा वसूल कर रहे हैं। उनके साथ कोई मेहरबानी हम नहीं कर रहे हैं। उनसे सख्ती के साथ पैसा वसूल किया जा रहा है। (व्यवधान) सारे फीगर्स तो मैंने बतला दिये हैं। मैंने कहा कि सेल्स का रुपया ८.१८ करोड़ उन्होंने पे कर दिया। और पिछले दिसम्बर में ७.८६ करोड़ रुपया उन पर सेल्स का बना था जिसमें से ४.३२ करोड़ रुपया उन्होंने पे कर दिया। अब बकाया कितना रहा इसका हिसाब आप लगा लें। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी पालिसी मिल मालिकों को बेजा प्रोत्साहन देने की नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य यह भी नहीं है कि चलते हुये किसी कारखाने को हम समाप्त कर दें। हमारी सेंट्रल पालिसी यह है कि हम मिल मालिकों पर टैक्स लगा कर उनको कंट्रोल में रखें और लेबर लाज ऐसे बनाये कि जिससे लेबर पर वे जुल्म न कर सकें। हम प्राइवेट सेक्टर को कम करके पब्लिक सेक्टर को बढ़ा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को एक साथ समाप्त करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट धीरे-धीरे करना है। दिशा है हमारे पास पब्लिक सेक्टर की तरफ जाना।

फिर पी०डब्ल्यू०डी० के बारे में बड़ी आलोचना हुई। श्रीराम जी ने कहा कि लोगों की सलाह लेकर जिले में पुलों तथा सड़कों के निर्माण के बारे में निर्णय किया जाना चाहिय। सही बात है और मैंने देखा कि १९५९ का एक सर्कुलर है जिसके मातहत जब पंचवर्षीय योजना बने उस समय जिले के एम०एल०एज० तथा दूसरे लोगों को बुलाकर, उनसे सलाह लेकर प्रोग्राम बनना चाहिये। मैं आशा करती हूं कि उनसे सलाह उस समय अवश्य ली गयी होगी.....

(व्यवधान)

मैं समझती हूं कि उस मीटिंग में उग्रसेन जी चूक गये होंगे, लेकिन और लोगों ने उसे जरूर अटेंड किया होगा। सुदामा जी ने कुछ अपने व्यक्तिगत जिलों के बारे में कहा। यह ठीक है कि वहां सड़कों की कमी है, लेकिन स्टार और ग्रिड फारमूले के अनुसार उनके जिले में ५४८ मील सड़कें होनी चाहिये। दूसरे प्लान में जो सड़कें मंजूर थीं उनमें से बहुत कुछ पूरी हो गयी हैं, जो बाकी हैं वह शीघ्र ही पूरी हो जायेंगी। तो उस समय वहां ४५८ मील सड़कें हो जायेंगी और बहुत हद तक उनकी मांग पूरी हो जायगी। तीसरे प्लान में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पैसे की कमी के कारण काम नहीं हो सकेगा, लेकिन जो डिफीशियेन्सी है उसे २० परसेंट हम मीट कर सकेंगे। यह झांसी के लिये ही नहीं है, बल्कि सारे जिलो के लिए है। एक भाई फैजाबाद के बारे में कह रहे थे। यह ठीक है कि जिलों में सड़कों की बहुत कमी है। बस्ती में भी कमी है और सभी चाहते हैं कि उनके यहां सड़क बन जाय। हम कोशिश करते हैं कि पी०डब्ल्यू०डी० से काम करा दें, जिले में जो पैसा है उससे करा दें या मेन पावर यूटिलाइजेशन स्कीम में कुछ काम करवा दे या टेरट रिलीफ से कुछ काम पूरा करा दे, लेकिन सड़कों की इतनी ज्यादा मांग है कि उसके लिये काफी रुपये की जरूरत है और हमदर्दी होने पर भी एक साथ सबकी मांग पूरी नहीं की जा सकती।

मिश्र जी ने करप्शन के बारे में बड़ी शिकायत की। एक स्पेसिफिक केस भी दिया। डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर बंसल जी की शिकायत उन्होंने की। उनके बारे में दो बार जांच हो चुकी है। एक बार चीफ टेक्निकल इक्जामिनर मिस्टर मिर्जा द्वारा और दूसरी बार सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर द्वारा। उसमें ठेकेदार आदि भी बुलाये गये थे और उनकी जो रिपोर्ट है उससे कोई वैसी बात साबित नहीं होती। सम्भव है इससे मिश्र जी के मन में दुख हो, लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि जब तक वे किसी बात को प्रूफ न कर सकें, हमें किसी अधिकारी के विरुद्ध ऐक्शन लेना मुश्किल होता है।

श्री जे० पी० मिश्र—

मुझे कुछ कहने की इजाजत है ?

श्री अध्यक्ष---

अभी नहीं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

कोई जांच से भी तसल्ली न हो तो बड़ी मुश्किल है । बड़े-बड़े रेस्पांसिबिल आदमियों से अच्छी तरीके से बातचीत की है । फिर भी सी० आई० डी० इन्क्वायरी करें इसमें मुसीबत होती है, लेकिन वे मुझसे बातें करें फिर बाद में देखा जायगा ।

पी० डब्लू० डिपार्टमेन्ट में करप्शन ज्यादा है । अगर कोई कहे कि नहीं है तो झूठ बात है । इंजीनियर एसोसियेशन को मुझे एड्रेस करने का मौका मिला तो उसकी तरफ मैंने उनका ध्यान दिलाया कि जिम्मेदार लोगों को करप्शन की टेन्डेन्सी को सख्ती के साथ दबाना चाहिये और डिपार्टमेन्ट का नाम बचाने के लिये कोई बात नहीं छुपाना चाहिये, बल्कि एक्सपोज करना चाहिये । और सब को औनेस्टली फंक्शन करना चाहिये । यह बीमारी बहुत पुरानी है । हटाना तो मुश्किल है, लेकिन जहां तक हो सकेगा कोशिश की जायगी ।

फिर कुछ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के बारे में बातें कही गयीं । मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी । एक मिनिस्टर साहब के ऊपर आक्रमण हुआ । मैंने डिपार्टमेन्ट से पूछा । मेरे पास जो बयान दिया गया उससे मालूम हुआ कि हुर्मजी बेगम के पास परमिट जरूर है रोड में गाड़ी चलाने का मगर आज नहीं दिया गया । यह पुराना है । एक हमारे पुराने राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे अली अहमद सिद्दीकी जिनको मांडले कान्सपिरेसी केस में फांसी की सजा हुई, बाद में अन्डमन्स में यावत जीवन रूपान्तर हुआ था । जब वे छूट कर आये तो उनकी अर्जी पर उनको जीवन निर्वाह में मदद देने के लिये उनको परमिट दिया गया और एक उनकी विधवा भावज थी । जो उनकी अश्रित (deperndent) रहती थी, हर्मुजी बेगम, एक उनको दिया गया । हमारे मिनिस्टर साहब उस समय ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर नहीं थे, उनसे कोई सम्बन्ध नहीं था । फिर मलाका संग्राम रूट जब नेश्नेलाइज किया गया तो वहां के डिस्प्लेस्ड औपरेटर्स को टैम्पोरेरी लाइसेंस दिये गये । तो और लोगों के साथ ये भी एक आदमी थे, जिनको लाइसेंस दिया गया । अब इनका क्या खास कसूर है, यह समझ में नहीं आया ।

एक सदस्य---

यह सूचना आपको गलत दी गयी ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

लाइसेंस देती है आपकी रीजनल ट्रान्सपोर्ट कमेटी । उसमें बहुत से लोग भी हैं । वह एक quasi जुडिशियल बाडी है । जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं नहीं समझती हूं कि इनके ऊपर कोई आरोप लगाया जाय । यह मिनिस्टर साहब विचार कर रहे हैं कि जो अखबारों में इसकी चर्चा चलाई जा रही है उसके जिम्मेवार लोगों पर कोई कानूनी कार्यवाई चलानी चाहिये या नहीं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

इस तरह से परमिट देकर भ्रष्टाचार फैलाने के बजाय अगर सरकार की तरफ से पेंशन दे दी जाती तो ज्यादा अच्छा होता ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

हिन्दी पौलिसी के बारे में भी कुछ कहा गया । हिन्दी उत्तर प्रदेश की डिक्लेयर्ड स्टेट लैन्गुएज है और वह सन् १९४७ से है । फिर यू० पी० लैंगुएज ऐक्ट सन् १९५१ में पास हुआ था । उसके बाद से जितने कानून, आर्डिनेन्सेज, जी० ओ० जितने हैं सब हिन्दी में हैं । एसेम्बली में, कौंसिल में रोटीन वर्क और प्रोसीडिंग्स का सारा काम और फार्म्स और मैन्युअल सब हिन्दी में होते हैं और उसको प्रोत्साहन देने के लिये जो लोग हिन्दी में नोटिंग ड्राफ्टिंग करते हैं, उनको मदद दी जाती है । हिन्दी शार्टहैन्ड व टाइपिंग का भी बहुत इंतजाम किया गया है ।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

इसके बावजूद भी कहूंगी कि शायद और ज्यादा प्रगति होनी चाहिये थी, लेकिन उसमें एक मुसीबत है। अभी श्री शिब्बनलाल और मैं दोनों लिफ्ट में आ रहे थे, वे मुझे माफ करेंगे, उन्होंने कहा कि जो आपने कहा कि हिन्दी में बोलना पड़ेगा हमको दिक्कत होगी, क्योंकि पार्लियामेंट में अंग्रेजी में बोलने के आदी रहे। तो हम पुराने गुलामी के बच्चे हैं। आदत पड़ी हुई है, छूटने में देरी हो रही है। बात ऐसी है कि अगर हमारे पास एक तेज तलवार हो और एक ब्लन्ट हो तो जरूरत पड़ने पर जब जल्दी होती है तो तेज को पहले उठा लेते हैं। तो जब जरूरत पड़ती है तो जो अंग्रेजी में बोलने के आदी हैं उनके मुंह से अंग्रेजी निकलती है। मैं आपसे विनती करूंगी कि हम सब आप इस रट से निकलने की कोशिश करें। ३ साल से मेरा भी हिन्दी का ज्ञान कुछ बढ़ गया है। कम से कम हिन्दी टाइप तो मैं पढ़ लेती हूं। यह मैं मजाक से नहीं कह रही हूं। अगर इस प्रदेश में तरक्की नहीं हुई तो हिन्दी की प्रगति और किस प्रदेश में हो सकती है। इसलिए हम सबको पूरा प्रयास करना है कि हिन्दी को हम पूरा बढ़ावा दें।

फिर करप्शन के बारे में एक आम हमेशा समालोचना होती है। सिर्फ यहां नहीं काश्मीर से लेकर केप कैमोरिन तक और कच्छ से लेकर आसाम तक सभी एसेम्बलियों में बात होती है। इसमें बहुत सच्चाइयां भी हैं। इसका एक कारण गरीबी भी है। वैसे तो बहुत से कारण हैं। एक सोशल कांशन्स जितनी बड़ी होनी चाहिये, उतनी नहीं बढ़ी है। हम लोगों को समाज में मर्यादा भी बनानी चाहिये थीं वह नहीं बन पाई। हमारी कमजोरियां हैं। जो लीडर यहां बन कर बैठे हैं अगर हम सब ऐसी मर्यादा उठा लेते तो समाज की हालत अच्छी हो जाती। यह सभी के लिये चिन्तनीय विषय है। जो हमारे समाज के छोटे-बड़े नेता बन सकते हैं यह सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोगों को देख कर देश बनता है। तो इस परम्परा को हमें कायम करना चाहिये। इसमें केवल यही ही नहीं केन्द्रीय सरकार भी चर्चा चला रही है। होम मिनिस्टर ने हम लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी और एक योजना रखी थी जिसको हम लागू करेंगे। उसमें एक विजिलेंस कमीशन यहां चालू करेंगे और उसकी देखरेख में ऐसा काम होगा ताकि करप्शन जिस हद तक हो सके वहां तक रोका जा सके। मगर चाहे जितनी कमेटी बैठें और लोगों को सजा दें उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैंने सी० आई० डी० की इन्क्वायरी कई बार लगायी मगर काम नहीं होता। कुछ न कुछ काम बनता होगा मगर पूरा काम नहीं बनता। अगर सब लोग कोशिश करें अपनी-अपनी जगह तो करप्शन जायेगा। पूरा तो तब भी नहीं जायेगा। इंगलैन्ड में भी नहीं गया, अमेरिका में भी नहीं गया मगर कम से कम मर्यादा में रहे तो कुछ समाज का काम हो सकता है। कोई जगह ऐसी नहीं है, रूस और चीन में भी नहीं, जहां करप्शन न हो। इसलिये मैं सब लोगों से कहूंगी कि जरा अर्न्तदृष्टि डालिये। मैं यह नहीं कहती कि सब लोग बेईमान हैं मगर हम लोग भी छोटी-मोटी बेईमानी करते रहते हैं। हम लोगों को अपना स्टैन्डर्ड ऊंचा रखना चाहिये और बहुत फूक-फूक कर चलना चाहिये और अगर हम ४००–५०० आदमी कोशिश करें तो इसका इम्पैक्ट जरूर प्रान्त में होगा और सरकारी ढंग से जो कोशिश होगी। वह मैं जरूर करती रहूंगी।

भाषण खत्म करने से पहले एक दो बातें और कहना चाहती हूं। अनाज का भाव, सामान का भाव सारे भारतवर्ष में बढ़ रहा है। यह एक बहुत गंभीर चिन्ता का विषय है और जब भाव बढ़ा तो नीचे के लोगों की मांग होती है तनख्वाह बढ़ाने की। उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, मगर तनख्वाह बढ़ा कर यह मसला हल नहीं होने वाला है। इसलिये सामान्य रूप में प्रयास करना है कि कैसे भावों को घटायें। कल परसों नेगी जी ने बताया था कि पिछले सालों से ज्यादा सस्ते गल्ले की दुकानें खुलीं हैं। कीमतों को नीचे लाने के लिये हम सब को मिल कर प्रयास करना है। मैं स्वयं इससे बहुत चिंतित हूं। विरोधी दल की तरफ से इसके लिये अगर कोई उचित सुझाव आयेगा तो मैं उसे वेलकम करूंगी। मैंने नेगी जी से भी कहा है कि वे एक मीटिंग बुलायें, जिसमें सभी विरोधी दल के नेता भी हों, जिसमें इस प्रश्न पर विचार किया जाय कि इस बीमारी को कैसे रोका जाय।

इस साल पाले से भी बहुत भारी नुकसान हुआ है और बहुत काफी फसल बरबाद हो गयी है। इसकी भी जांच हो रही है। मैं इसके लिये भी बहुत चिंतित हूं कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाय, क्योंकि एक तो पहले से ही यह प्रान्त बहुत गरीब है, बहुत दुखी है, और उस पर यह ऊपर से और मुसीबत आ पड़ी है। यह एक स्टेट प्राब्लम है, इस पर मैं आप सब का सहयोग चाहूंगी।

बहुत-सी और बातें हैं जिनको मैं बजट के समय कहूंगी। बहुत से अच्छे सुझाव आये, बहुत से अच्छे नहीं आये, जो अच्छे सुझाव हैं उन पर सरकार गौर करेगी। पुलिस के बारे में कुछ बातें कही गयीं, उनका जवाब माननीय हरगोविन्दसिंह ने दे दिया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। मगर जैसा मैंने कहा, करप्शन है, और उसको रोकने का हम सब को प्रयास करना चाहिये। मुझे अभी थोड़े ही दिन कार्यभार सम्भाले हुये हुयें हैं, मैं चाहती हूं कि हमारे यहां कुछ सुधार हो जाय, क्योंकि यह बहुत ही पिछड़ा हुआ और दुखी प्रदेश है। अगर यह प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे हो जाय तो यह बड़ी खुशी की बात होगी। मैं आशा करती हूं कि इस काम में आप सब का सहयोग हमारे साथ होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, बहुत इंतजार करने के बाद आप की दया दृष्टि मेरे ऊपर हुई है। असल में जैसा कि माननीया मुख्य मंत्री जी ने कहा, हमारे यहां समस्या एक नहीं है, अनेकों हैं और उनका इलाज कोई साधारण काम नहीं है। यहां पर गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, करप्शन आदि तमाम बातें हैं, और हर एक का इलाज होना कोई आसान काम नहीं है। मगर फिर भी उनमें प्रायरिटी तो हमको देनी ही होगी। जो काम ऐसे हैं जिनके बगैर हम जिन्दा नहीं रह सकते, उनको पहले करना होगा। अगर मुझे भोजन नहीं मिलता, हालांकि वह जीवन के लिये बहुत आवश्यक है, तो भी मैं कुछ दिन जिन्दा रह सकता हूं, मगर अगर मैं एक डकैत के हाथ में पड़ जाऊं तो एक दिन भी जिन्दा रहना मेरे लिये मुश्किल हो जायेगा। तो आज असुरक्षा की भावना सारे प्रान्त में व्याप्त है। बिना सुरक्षा के कैसे हमारा जीवन सुचारुरूप से चलेगा। माननीय गृह मंत्री, राजा जौनपुर के आक्षेपों का उत्तर देकर चले गये, वे होते तो बहुत-सी और बातें सुनते। पुलिस भ्रष्टाचार का गढ़ है। आप उस भ्रष्टाचार के निवारण के लिये क्या उपाय कर रहे हैं? लेकिन हमारे गृह मंत्री महोदय के कार्यों से अगर उसकी वृद्धि होती है तो हमारी परेशानी और बढ़ जाती है और अगर शमन होता है तो हमें संतोष मिलेगा। आज कल गृह मंत्री महोदय का काम और व्यवहार एक मुगल सम्राट् की तरह से चल रहा है। आपके चन्द नवरत्न हैं जिनकी सलाह के बिना आप एक कदम भी इधर-उधर नहीं हिलते। अगर वह नवरत्न किसी गुण के आगर हैं तब तो ठीक ही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो किसी व्यक्ति विशेष या अपने किसी अभिन्न मित्र की सलाह मानने से वह भले ही तृप्त हो जायं, लेकिन प्रान्त के जन-साधारण की तृप्ति नहीं हो सकती। अगर उन मित्रों के संतोष के लिये किसी निरपराधी की हत्या कर दी जाय या उसको फांसी पर लटका दिया जाय तो वह कार्य बहुत ही खतरनाक है, बहुत खराब स्थिति वह होगी।

शाहगंज थाने का एक सब-इंसपेक्टर है। उसने एक आदमी का कत्ल में चालान किया। वह था एक बीमा इंसपेक्टर जिसने एक हलवाहे का बीमा ८ हजार का किया था। भला बताइये वह ८ हजार के बीमे की किस्त कैसे देता होगा और उसका वारिस एक दूसरा हलवाहा चमार बताया गया था। बाईचांस उसका कत्ल हुआ और उसकी लाश को रेल की पटरी पर डाल दिया गया, लेकिन जब यह शुबहा हुआ कि यह कत्ल हुआ है तो उसकी इंक्वायरी शुरू हुई। कुछ दिनों के बाद बीमा कम्पनी से यह लिख कर आया कि यह वही कत्ल तो नहीं जिसका बीमा ८ हजार का किया हुआ है और जब देखा गया तो वही आदमी निकला। अब

[श्री सत्यदेव]

संदेह यह हुआ कि कोई ऐसी आदमी तो नहीं है जिसने बीमा की रकम को हड़पने के लिये ही यह कत्ल किया हो। इंक्वायरी में यह पता चला कि बीमा इंस्पेक्टर ने उसकी मृत्यु के बाद भी यह कंपनी को लिखकर भेजा था कि वह जिन्दा है। इन सब कारणों से पुलिस कप्तान ने बीमा इंसपेक्टर का चालान करने की आज्ञा दी, लेकिन उसके चालान के बाद ठाकुर साहब के एक नवरत्न आपे से बाहर हो गये और कहा कि सब-इंसपेक्टर को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। सौभाग्य की बात है कि वह सब-इंपेक्टर ऐसा निकला जिसको दाग लगाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है—योगेन्द्रनाथ सिंह। यह बनारस के कई थानों और मिर्जापुर तथा बलिया की कोतवाली में रह चुका है। कई डी० आई० जी० और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के नीचे वह काम कर चुका है। यहां के सिटी कोतवाल के मातहत भी रह चुका है। पता लगाया जाय तो मालूम होगा कि उसके समान भारत में इने-गिने लोग ही होंगे। लेकिन चूंकि होम मिनिस्टर के नवरत्न के एक लाडले को उसने फंसा दिया वह भी एस० पी० के आर्डर से इसलिए वह होम मिनिस्टर का कोप भाजन बन गया। उस वक्त वे होम मिनिस्टर नहीं थे। इसलिये एस० पी० को दबा न सके। तब तक यह डिपार्टमेंट उनको ही मिल गया और उसके बाद यह नतीजा हुआ कि अधूरी तफतीश के बाद ही केस कोर्ट में भेज दिया गया और शायद अब वह कामयाब भी न हो, क्योंकि तफतीश ही अधूरी रही है, लेकिन उससे उनका रुख मालूम हो गया। वह २६–२७ जनवरी को गणतन्त्र दिवस के सम्बन्ध में जौनपुर गये थे। यह तो एक केस था मैं एक और दूसरा केस आप को बता दूं। एक इन के खास दोस्त हैं जिनके यहां ये रहते हैं, जिनसे इनका चोली-दामन का ताल्लुक है वह हैं राम लगन सिंह। उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, उनके एक रिश्तेदार एक डकैती के सम्बन्ध में गिरफ्तार हुये। उनको एक सब-इंसपेक्टर ने गिरफ्तार किया उनका नाम था जिनको कि गिरफ्तार किया गया रामसूरत सिंह, यह उस डकैती के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये जिसमें ११ आदमी घायल हुये थे। १ गिरफ्तारी इस मामले में हुई और उसने १६ आदमियों को नामजद किया। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने गिरफ्तारी कराई और पुलिस सब-इंसपेक्टर के साथ की गई। रामसूरतसिंह को भी नामजद किया गया डकैती में। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो ठाकुर साहब मौजूद थे। जब उनको मालूम हुआ तो वह अपना सन्तुलन खो बैठे और उन्होंने आम दरबार में कहा कि जिसने गिरफ्तार किया है उसको सस्पेंड करो, लेकिन किसी कारण से एस० पी० का हुक्म नहीं पहुंचा या डी० एस० पी० का हुक्म नहीं पहुंचा और कुछ दिक्कत हो गई और वह सस्पेंड नहीं किया जा सका, लेकिन हिटलर का आदेश हुआ था। उसका पालन नहीं हुआ और नतीजा यह हुआ कि ठाकुर साहब इंतजार करते रहे और किसी तरह से कल ४ बजे सस्पेंशन का आर्डर उसको दे दिया गया। मैं कहूंगा कि सुचेता जी आप देवी स्वरूप हैं और शक्ति की अवतार हैं और अगर आप इस प्रदेश का कल्याण चाहती हैं तो इसको किसी से खतरा नहीं है, लेकिन जिनके हाथ में आपने सत्ता दे रखी है, पावर दे रखी है उनका संतुलन खराब हो चुका है और उनके हाथ में सत्ता का रहना बहुत खतरनाक साबित होगा, उनके प्रति आप सतर्क रहें। ईमानदारी से काम करने वालों को आप अवसर दें और बेईमानों की रक्षा आप न करें। इससे देश का कल्याण नहीं होगा। अपने सूबे का दुर्भाग्य तो उसी दिन हो गया जबकि यहां के सत्ताधारी गुट के दो टुकड़े हो गये और गुट में बैलेंस बनाये रखने के लिये गलत आदमियों को ही पावर और वजन दिया जाने लगा। यदि मेरी बात झूठ हो तो मेरे खिलाफ जो भी आप उचित समझें करें। उस सजा को मैं बरदाश्त करूंगा। आप एक बुलन्द केरेक्टर की महिला हैं और एक ऐसे महान् पुरुष की स्त्री हैं जिसको कभी पद का लोभ नहीं हो सकता। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने कुटुम्ब के सदस्यों के कारनामों पर ज्यादा ध्यान दें बनिस्बत और चीजों के और इसकी जांच इत्मीनान से कीजिये और सेन्ट्रल सी० आई० डी० से इसकी इंक्वायरी कराइये और अगर हमारी बात गलत हो तो जो सजा आप उचित समझें वह हमें दिलाइये और गलत होने पर मैं आप से क्षमा याचना करूंगा वर्ना इस सफाई से आप संतुष्ट न हों।

*श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इसलिये भी आप का आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बधाई देने और माननीया सुशीला जी के प्रस्ताव का समर्थन करने का अवसर प्रदान किया है। जो अभिभाषण राज्यपाल जी ने दिया है उसमें उन्होंने कहा है जैसा कि आप को विदित है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया, इन ४ जिलों की आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं का न्यादर्श अध्ययन करने के लिये पिछले वर्ष योजना आयोग द्वारा नियुक्त संयुक्त अध्ययन दल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। आशा की जाती है कि उसका प्रतिवेदन राज्य के पूर्वी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। इन चार जिलों में बलिया छूट गया जिससे हमको तकलीफ है। अभी बलिया में मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री गये थे, लोगों ने कहा इस सम्बन्ध में, पर राज्यपाल के भाषण में उसका जिक्र नहीं। हम सब जानते है बलिया दोनों तरफ गंगा और घाघरा से घिरा है, बीच में टोंस नदी बहती है, वहां हर साल बाढ़ और कटान का प्रकोप रहता है, आये दिन सूखा तो रहता ही है, जमीन भी अच्छी न होने से पैदावार अच्छी नहीं होगी इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार से कहूंगा कि बलिया पर विशेष ध्यान दिया जाय और जिस प्रकार चार जिले रखे गये हैं वैसे ही बलिया भी उसमें जोड़ा जाय। आप जानते हैं बलिया स्वतंत्रता संग्राम में सब से आगे रहा, १९४२ में १ सप्ताह तक हमारा राज्य रहा अंग्रेजों के समय में, ऐसे जिले को आप भूल जाते हैं इसके लिये बलिया के लोगों को खेद है।

सरकार का विचार है कि खाद्यान्न के विषय में प्रदेश आत्मनिर्भर बनाया जाय। ठीक है इसके लिये नहरें बनीं, ट्यूबवेल बने, बांध भी बने। लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, सिकन्दरपुर से, उसमें १५ साल में नवानगर ब्लाक के अन्दर एक भी ट्यूबवेल नहीं लगा....।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में भी विचार व्यक्त करें। आप केवल बलिया की ही बात करना चाहें तो बजट पर बोलियेगा।

श्री जगन्नाथ चौधरी—

उस पर तो बोल ही रहा हूं, साथ ही कुछ अपनी बातें भी कहना मुनासिब समझता हूं, क्योंकि मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं। तो मैं कह रहा था कि नवानगर ब्लाक में एक भी ट्यूबवेल नहीं लगा। किसी देश, प्रदेश या गांव की तरक्की के लिये यातायात के साधनों का होना बहुत जरूरी है, राज्यपाल जी ने कहा है काफी सड़कें बनी हैं। जैसे नहरें बनायी हैं उनके बगल में जो सड़कें बनी हैं उनका इस्तेमाल राज्य कर्मचारी ही करते हैं। मेरा विचार है कि अगर उनको पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा पक्की करा दिया जाय और आम जनता भी आ जा सके तो बहुत अच्छा हो जाय।

पुलिस में भ्रष्टाचार की बात कही गई। हमारे भूतपूर्व होम मिनिस्टर ने पुलिस के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ायी अच्छा किया, क्योंकि उनको २४ घंटे हर मौसम में काम करना पड़ता है उनको सुविधायें होनी चाहिये, लेकिन यह भी सही है कि जितनी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा वह नहीं निभा पाते हैं।

शिक्षा का जहां तक सवाल है सरकार ने उसको प्रगति देने के लिये जगह-जगह प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, और हाई स्कूल की भरमार कर दी, लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी मुझे जानकारी है कि हरिजन भाइयों के लिये सरकार ने हायर सेकेंडरी एजूकेशन तक निःशुल्क शिक्षा कर दी है तो पिछड़े वर्ग तथा निर्धन वर्ग के भी बहुत से लोग ऐसे है जिनकी हालत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ चौधरी]

बड़ी दयनीय है उनकी भी फीस माफी के लिये सरकार को विचार करना चाहिये और कम से कम ८वीं कक्षा तक फीस माफ कर देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं सुशीला जी के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शारदा भक्त सिंह जी के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। मुझे बड़ा दुख है कि इस देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी है और इतने बड़े प्रान्त में, जो हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त है और जिस पर बड़ा दायित्व है कि अपना कदम इस प्रकार रखे जो देश भर के लिये एक सबक हो कि यह प्रान्त हिन्दी के लिये कितना आगे बढ़ रहा है। पारसाल भी राज्यपाल महोदय के सामने यही प्रश्न रखा गया और साल भर बाद यह जानते हुए भी फिर यह प्रश्न उठेगा और समाचार-पत्रों में भी निकला कि हिन्दी में अभिभाषण होगा जिसे पढ़ कर बड़ी खुशी हुई कि वह दिक्कत इस बार पैदा नहीं होगी, इसके बावजूद भी उन्होंने किसी कारण वश अंग्रेजी में ही अपना भाषण पढ़ा। एक मित्र हैं बी० बी० शरण। यह अंग्रेजी की देन है कि वह पुरुष हैं, लेकिन नाम है बीबी। १७ साल की आजादी के बाद भी वह भाषा के गुलाम बने हुए हैं। यह भाषा गुलामी सिखाती है, लेकिन १७ साल के बाद भी उस लाश को आप छाती से चिपकाये हुए हैं। हमारे राज्यपाल महोदय संस्कृत तथा कई भाषाओं के विद्वान हैं। उनको हिन्दी में भाषण देने में कठिनाई नहीं हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जवाहरलाल जी के आदेश से राज्यपाल महोदय ने अंग्रेजी में भाषण पढ़ा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

यह बात बालकों को समझाने की होगी कि जो शख्स कई भाषाओं का विद्वान हो वह हिन्दी न पढ़ सके। संस्कृत जानने वाला व्यक्ति हिन्दी न पढ़ सके यह आश्चर्य की बात है।

भाषण को पढ़ने से भी बड़ी मुझे निराशा हुई। मृतक स्वरूप वह भाषण मुझे प्रतीत हुआ जिसमें हर स्थान पर इंजेक्शन लगाने का प्रयत्न किया गया है कि आगे ऐसा होगा। यह कुछ नहीं कहा कि हमने कितनी प्रगति की और कितनी करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा-थोड़ा रेफरेन्स इस अभिभाषण का देना चाहता हूं। इसका पहला पैरा है जिसके बारे में माननीय लखीसिंह और माननीय हरीसिंह ने कहा भी कि हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा लेकिन जहां तक शब्दों का सवाल है उसमें कहा है "The situation though seemingly improved" यह क्या माने रखता है। दो साल हुये आक्रमण हुये। उस आक्रमण को आक्रमण नहीं कहा बल्कि कहा है "The unfortunate event" तो दिखावे के लिये मालूम पड़ता है कि सिचुएशन इम्प्रूव हुई, वैसे इम्प्रूवमेंट कोई हुआ नहीं। फिर आगे कहा है: "But with a view to keeping the morale of our people high."

श्री अध्यक्ष—

आप अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं, हिन्दी का पढ़िये।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

यह तो हमको मिला है। हम तो उसका सिर्फ पोर्शन पढ़ रहे हैं। "Only for keeping the morale of the people high"। एक पी० ए० सी० का फोर्स बनाया है। यह नहीं कहा कि दुश्मन आंख दिखायेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे, सिर्फ पीपुल के मोरेल को ऊंचा करने के लिये है। इसी तरह से हर पैरा में सिवाय निराशा के आशा की कहीं झलक नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार के सामने दो, तीन बहुत मौलिक प्रश्न होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, शासन चलाने की बात है। तो एग्रीकल्चर के लिये दो प्लान बीत गये मगर कुछ नहीं कर पाये, अब तीसरा चरण चल रहा है। उसमें भी कुछ नहीं किया। सिर्फ इतना कहते हैं कि हम आगे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे।

तीसरी बात करप्शन की आती है। करप्शन दूर करने के लिये सोर्स देखने की जरूरत है कि उसका सोर्स क्या है। उधर के बैठने वाले जब एलेक्शन लड़ने लगते हैं तो कहां से रुपया लाते हैं। यहीं से सोर्स शुरू होता है उसका दूसरा पहलू है व्योरोक्रेसी जिसे गोविन्द सहाय जी ने घोड़ा कहा और कहा कि उसे लगाम लगानी चाहिये। मैं कहता हूं कि कोड़े लगाने चाहिये, केवल लगाम से क्या होता है। अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो उस मामले को उसी डिपार्टमेंट वालों को नहीं सौंपना चाहिये, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को सौंपना चाहिये जांच के लिये। उसी डिपार्टमेंट वाला साल भर मामले को लटकाये रहेगा और फिर कहेगा कि बहाल कर दिया।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

इन शब्दों के साथ जो संशोधन पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सुशीला जी ने राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद के लिए रखा है मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सब से पहले तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक कमी थी जो इस प्रस्ताव से पूरी हो गयी। यानी पहले इस प्रान्त में एक महिला मन्त्री बनी उसके बाद गवर्नर। अब हमारी मुख्य मंत्री तो लेडी मेम्बर हैं ही, अब यह प्रस्ताव भी एक लेडी मेम्बर की तरफ से आ गया तो वह कमी भी पूरी हो गयी।

दूसरी चीज यह अर्ज करना चाहता हूं कि राज्यपाल जी ने जो अपना भाषण अंग्रेजी में पढ़ा, उन्होंने कोशिश इस बात की की कि वे हिन्दी में कुछ कहें लेकिन चूंकि हिन्दी उनकी जबान नहीं, तलफ्फुज उनका सही नहीं हो सका इसलिये मजबूरन उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ा। इस पर भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हिन्दी में बोलने की कोशिश तो की, लेकिन इसी के साथ-साथ मुझे अफसोस है उस दल के ऊपर जिसने असेम्बली से इस बात पर वाक आउट किया। उन्होंने वाक आउट करके हिन्दी के हक में कदम नहीं उठाया बल्कि उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब किसी आदमी की जो हिन्दी सीखने की कोशिश करता है जिसकी जुबान हिन्दी नहीं है उसकी तारीफ नहीं की जाती है तो उसको मायूसी होती है। हिन्दी की सहायता हिन्दी जानने वालों को करना चाहिये। जब हिन्दी हमारे सूबे की, हमारे प्रदेश की जुबान हो गई है तो लोगों को हिन्दी का प्रचार करना चाहिये। लोगों को कोशिश करनी चाहिये कि अपने बालकों को स्कूलों में हिन्दी पढ़ायें। इसके अलावा नाइट स्कूल खोलें जायं और जो लोग हिन्दी नहीं जानते हैं उनको हिन्दी सिखाई जाय। बिना प्रचार के कोई काम नहीं हो सकता है। इस तरह से वाक आउट करके हिन्दी की तरक्की नहीं कर सकते हैं। मुझे अफसोस है कि यह परम्परा और तहजीब के भी खिलाफ है।

हम जब पब्लिक से चुन कर आते हैं तो हमें अपना स्टेटस भी मेन्टेन करना चाहिये और ऐसे काम करने चाहिये जिससे लोग हमारे जीवन से सबक सीखें और आयन्दा आने वाली हमारी नस्लें देखें कि हमारे बुजुर्ग क्या कर गये हैं और वे हमारे कदमों पर चलने की कोशिश करें।

मैं एक चीज यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि जहां तक करप्शन का सवाल है, इसकी चर्चा बहुत ज्यादा की गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि क्या तरीका अख्तियार किया जाय जिससे यह खत्म हो। गवर्नमेंट के लोग भी इंसान हैं और वे किसी भी तरह से हम लोगों

[श्री अहमद बख्श]

से अलग नहीं है। जहां तक करप्शन का सवाल माननीया मुख्य मंत्री जी ने खुद तस्लीम किया है कि अपने यहां करप्शन है, लेकिन इसको दूर करने का क्या तरीका होना चाहिये, इसको बहुत कम लोगों ने बताने की कोशिश की है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे यहां करप्शन का हाल यह है कि बगैर नजर किये कोई काम नहीं हो सकता है। एक आदमी जब तक फाइल के पीछे-पीछे न चले तब तक उसका काम नहीं हो सकता है। जिसका सहारा लगाने वाले नहीं होंगे उसका काम नहीं हो सकता है। जब लोगों की ऐसी जहनियत हो जाती है तो मायूसी पैदा होती है। इसके लिये मैं एक सुझाव मुख्य मंत्री जी को यह देना चाहता हूं कि कभी-कभी वे एम० एल० एज० को, जिसमें हर पार्टी के लोग शामिल हों, बुला कर पूछा करें कि जो सरकारी मशीनरी आपके जिले में है, वह कैसा काम कर रही है। पब्लिक रैपूटेशन भी हर आदमी की होती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय बंशीधर जी इस तरह से सदन में फ्रंट बेंच पर बात हो, गलत चीज है।

श्री अहमद बख्श—

कोई कितना ही काबिल हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होगा। मैं आपकी तवज्जुह दिलाऊंगा कि मैंने लाइब्रेरी में एक किताब देखी। उसमें यह था कि ब्रिटिश रिजीम में यह था कि कितने साल के एक्सपीरियन्स का कलेक्टर किस जिले में होगा। देहरादून में इतने साल के एक्सपीरियन्स का, सहारनपुर में इतने साल के एक्सपीरियन्स का और बलिया में इतने साल के एक्सपीरियन्स का कलेक्टर रखा जाय। इस तरह से एक पूरा नक्शा बना हुआ था, लेकिन वह चीज आजकल हमारे सामने नहीं है। पब्लिक रैपुटेशन भी आदमी की काउन्ट करती है। अगर एक दफा ढील दे देंगे तो ढील पड़ जायगी। आदेश देने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है कि उसका पालन हुआ या नहीं। एक तरफ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर ट्यूबवेल के एप्लाई करते हैं तो ३ महीने में नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट मिलता है और फिर एस्टीमेट वगैरह में समय लग जाता है यानी ट्यूबवैल लगाने में कम से कम साल भर लग जाता है। जिसके माने यह हुये कि किसानों की दो फसल खराब हुई। तो कोई एकटाइम लिमिट होनी चाहिये कि ट्यूबवेल की मंजूरी हो जाने के बाद कितने टाइम में लाइन खिंच जाना चाहिये और अगर वह नहीं होता है तो जवाब तलब हो जाना चाहिये और जो दोषी ठहराया जाय जिसकी वजह से नेशनल लास होता है उसको सजा मिलनी चाहिये, लेकिन वाकया यह है कि उनसे कहा जाता है तो वह कहते हैं कि सामान नहीं है। अगर ट्यूबवेल का कोई पुरजा खराब हो गया तो ६ महीने तक नहीं लग पाया इसलिये नेशनल इन्कम नहीं बढ़ पाती। तो हमें इन तमाम चीजों पर गौर करना चाहिये कि आया यह तमाम सुस्ती और कमजोरी किस कोने में है।

एक चीज मैं और गुजारिश करना चाहता हूं कि आम तौर पर यह बात है कि पैसे के लेन-देन का नाम करप्शन रख लिया गया है लेकिन जहां अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं और नाजायज सिफारिशें करके काम करा लेते हैं उसको करप्शन नहीं मानते हैं। अगर हम सब एम० एल० ए० तहइया कर लें कि हम किसी अफसर के बारे में नहीं कहेंगे कि वह अच्छा है या बुरा है और उसको रोको या जाने दो तो बहुत हद तक करप्शन दूर हो सकता है। एक कहता है कि फलां का ट्रांसफर कर दो, दूसरा जाकर कहता है कि उसका ट्रांसफर रोक दो। यही सारे करप्शन की जड़ है। जो आयेगा और जो जायेगा उसे काम करने दें। जो आये उसका स्वागत करो और जो जाये उसको बिदाई दो तो काम करने में उनको आसानी हो और करप्शन दूर हो, क्योंकि अगर हम किसी का ट्रांसफर रोकते हैं या कराते हैं तो वह हमारा अहसानमन्द हो जाता है और जब वह ओब्लाइज होगा तो गलत काम भी आप उससे करा सकेंगे। यह सब एक तरह का करप्शन है। तो हमें इस तरह का करप्शन रोकना चाहिये और अगर

कोई मिनिस्टर साहब पर ट्रांसफर रुकवाने के लिये या कराने के लिये जाता है तो मिनिस्टर कन्सर्न्ड को उस जिले के सब माननीय सदस्यों को बुलवा लेना चाहिये और उनसे मालूम कर लेना चाहिये कि आया यह करना कहां तक मुनासिब है ।

दूसरी चीज जो मैं अर्ज करूंगा वह यह है कि जो सजा किसी करप्ट को मिलती है वह यह होती है कि एक जिले से दूसरे जिले में उसका तबादिला कर दिया । तो तबादिला कोई सजा नहीं हुई । उसने ६ महीने तक तो एक जगह बेईमानी की और ६ महीने के बाद उसे नया मैदान मिल गया, जिसमें वह गुलछर्रे उड़ावे और मनमाने तरीके से करप्शन करे । तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का इस सिलसिले में अहसास करना चाहिये और अगर हम यह करने लगे तो मैं कह सकता हूं कि अगर करप्शन १० वर्ष में खत्म हो सकता है तो वह ढाई वर्ष में खत्म हो जावेगा । करप्शन के सोर्स हम खुद है और हमें अपने गुनाहों पर निगाह डालनी चाहिये बनिस्बत इसके कि दूसरों को दोषी ठहरावें ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप खत्म करें । १ मिनट आप का बाकी है ।

श्री अहमद बख्श —

तीसरी चीज यह है कि गवर्नर महोदय ने मेरठ मेडिकल कालेज का जिक्र किया है । मैं इसके लिये उनको मुबारकबाद देता हूं । पच्छिमी जिलों में कोई मेडिकल कालेज नहीं था, लेकिन एक बात है कि आगरा, कानपुर और लखनऊ मेडिकल कालेजों में जो खामियां हैं उन तमाम खामियों की जगह मेरठ कालेज में न बनने पावे । इस कालेज में जहां सवा सौ लड़के पढ़ते थे वहां अब २०० लड़के पढ़ते हैं । जगह वही है, सामान वही है तो लड़के अच्छी किस्म के नहीं निकल पाते चूंकि अच्छी तालीम उनको नहीं हो पाती और ऐसे लोग जब डाक्टर्स निकलेंगे तो उन की चिकित्सा किस तरह की होगी । इन शब्दों के साथ मैं बहन सुशीला जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिये आभार प्रदर्शित करने का जो मूल प्रस्ताव है उसके उपस्थित करने का सौभाग्य मुझे इस वर्ष प्राप्त हुआ । आज ३ दिनों से जो बहस इस सदन में चल रही है उसमें जितने भी हमारे माननीय सदस्यों, पक्ष या विपक्ष के, ने भाग लिया है उन सब के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करती हूं । जैसे कि महामहिम राज्यपाल सरकार के प्रतीक है उसी प्रकार हमारे विरोधी दल के नेता भी विरोध के प्रतीक हैं । जैसे वे हमारे सरकार की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं उसी प्रकार वे भी विरोधी दल के लोगों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं । तो मैंने बड़े ध्यान से उनके भाषण को सुना और मैं आशा करती थी कि विरोधी दल के हरएक माननीय सदस्य के हृदय में उल्लास है, वे उनका प्रतीक बनकर उनकी बातों को सरकार के सामने रखेंगे किन्तु मुझे अफसोस है कि जितनी आशा मैं करती थी वह आशा मेरी पूरी नहीं हो सकी । यह हो सकता है कि उन्होंने यह चीज अपने मन में महसूस न की होगी और थोड़ी-बहुत बात उन्होंने अपने मन में दबा ली । खैर ! मैं उनके प्रति अपना आभार प्रदर्शित करती हूं । एक बात के लिये मैं माननीय सदस्यों का खास तौर से आभार प्रदर्शित करती हूं कि जो उन्होंने चर्चा की बड़े अच्छे भाव से, शान्तिपूर्वक, बगैर किसी रोष के सहृदयता से की है, क्योंकि मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि जो चीज वह रखें एक तो यह कि सरकार के जितने सीमित साधन हैं उनको ध्यान में रखें और हमारी योजना के स्वरूप को ध्यान में रखें । उन्होंने कहां तक ठोस सुझाव दिये यह सदन के सामने है । प्रेमसिंह साहब जो इस सदन के खास सदस्यों में से हैं और मेरे छोटे भाई के बराबर हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया महंगाई के विषय में जो कि इतना गंभीर विषय है जिसके लिए हर एक चिंतित है । उसके लिये हमारे प्रेमसिंह साहब ने यह कहा कि जो हमारे यहां सिपाही हैं उन के पास अगर कोट गरम है तो पतलून ठंडा है । उन्होंने कहा कि उनको दस्तानें और टोपी मिलनी चाहिए । अगर हमारी सरकार के पास इतना पैसा

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

होता तो दस्तानें और मफलर क्या हैं, बड़े-बड़े ओवरकोट का भी प्रबन्ध करते, परन्तु जबकि सरकार के पास पैसा नहीं है कि अपने प्रदेश के सारे नागरिकों के लिए किसी प्रकार अन्न और कपड़े का प्रबन्ध कर सके, उन के लिये शिक्षा का प्रबन्ध कर सके तो वह मफलर और दस्तानों का प्रबंध कैसे कर सकती है? विरोधी दल के नेता की तरफ से भी सुझाव आया हमारी बहन जिन्होंने चैलेंज स्वीकार किया है और मुख्य मंत्रिणी का पद ग्रहण किया है उनको सहयोग दें कि जिससे वह जनता को राहत दें सकें। महंगाई ऐसी चीज है जो सिर्फ हमारे प्रदेश में ही नहीं सारे देश में है, मैंने अभी अखबारों में पढ़ा कि महारानी गायत्री देवी ने स्त्रियों का आवाहन किया है कि महंगाई के विरुद्ध आवाज उठायें। मैं इसको बिलकुल मानने के लिये तैयार नहीं हूं। हमारे देश में स्त्रियों का बड़ा पवित्र स्थान है। वह लक्ष्मी और शक्ति का अवतार मानी जाती हैं। हम लोगों ने हर तरह की लड़ाई लड़ी, लेकिन स्त्रियों ने कभी प्रदर्शन नहीं किया। ईरान और पश्चिमी देशों में स्त्रियों ने आन्दोलन किये। अपने सिविक राइट्स के लिये वे लड़ीं, परन्तु हमारे देश में स्त्रियां वैसे ही देवी स्वरूप में मानी जाती हैं। जिन बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांध कर और पत्नियों ने अपने पति का आलिंगन कर के नेफा की चोटी पर भेज दिया वह किस प्रकार महंगाई के लिये जलूस निकालेंगी यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमारी बहनें महंगाई को व्यावहारिक दृष्टि से देखेंगी। घर में अल्प-बचत कर के सरकार को सुरक्षा के कार्य के लिये अपना सहयोग प्रदान करेंगी। दूसरी बात, जेड० ए० अहमद साहब ने कही। वह बहुत अच्छे वक्ता हैं, बुजुर्ग हैं, ज्ञानी और विद्वान् हैं। उन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई नयी चीज नहीं है, कोई नया परस्पेक्टिव नहीं था, कोई नया दृष्टिकोण नहीं था। परिस्पेक्टिव शब्द बहुत अच्छा है, कहने में भी अच्छा लगता है, परन्तु मैं उनसे कहूंगी कि परस्पेक्टिव क्या चीज है। पहले कांग्रेस के परिस्पेक्टिव को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस का इतिहास क्या है। कोई आज-कल-परसों का इतिहास नहीं है। ८० वर्ष की संस्था है। ऐतिहासिक संस्था है। उसका इतिहास कुर्बानी से भरा हुआ है। हजारों की आकांक्षायें मिटमिट के आज वह संस्था यहां पर तैयार हुई और इस संस्था को कोई अपनी नीति आज या कल में पुरानी अथवा नयी नहीं निर्धारित करनी है। यह १५ वर्ष की पुरानी निर्धारित नीति पर चली आ रही है, एक कड़ी, एक पंचवर्षीय योजना के आधार पर जैसा कि बहन सुचेता जी ने कहा था कि एक कड़ी के अनुसार, एक योजना के अनुसार वह अपनी रफ्तार से चली जा रही है और अपना एक लक्ष्य बना कर एक आब्जेटिक्व बना कर, एक परिस्पेक्टिव रख कर उसी परिस्पेक्टिव की तरफ चली जा रही है। अगर डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब यह चाहते हैं कि एक रबर बाल की तरह, प्लास्टिक की तरह कोई चीज मोल्ड कर दी जाय, कोई चीज इधर करो, कोई उधर करो तो वह कांग्रेस नहीं कर सकती है। कांग्रेस एक फर्म चीज है। उसने जो अपना रास्ता तय किया है कोई भी आये, तूफान आये, बवंडर आये उससे वह डिगेगी नहीं। इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि जो प्रतिज्ञा हम लोगों ने की है आम जनता के सामने और घोषणा-पत्र के रूप में जो नीति हमने अपनी निर्धारित की थी, जिस नीति पर विश्वास करके आम जनता के सामने कांग्रेस जीतकर यहां आयी है, तो उस जनता के साथ विश्वासघात करने केलिए कभी भी वह तैयार नहीं होगी। इसलिए मैं कहूंगी कि कांग्रेस की नीति का मखौल न उड़ाया जाय, वह बच्चों का खेल नहीं है, एक अडिग चीज है। भुवनेश्वर में कोई नयी चीज नहीं आयी है। जयपुर और अबाड़ी की ही चीज है, लेकिन एक नक्शा साफ होता जाता है, झिलमिलाहट दूर होती जाती है। क्लीयरनेस केरिटी सामने आती जाती है, बुद्धि हमारी साफ होती जाती है। जब तक हमारे साथ, कांग्रेस के साथ सुमति है बढ़ता है तब तक हमारी नीति नहीं बदलेगी। इसी तरह सुधार होता जायगा और जो लक्ष्य हमने बनाये हैं उस लक्ष्य पर हम लोग पहुंचेंगे। तो मैं डाक्टर अहमद साहब से बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगी कि कांग्रेस का परस्पेक्टिव बहुत क्लीयर है। यह हो सकता है कि हम लोग जो समझने वाले हैं उनको उसे समझने में कुछ देर लगे।

दूसरी बात भ्रष्टाचार के संबंध में बहुत कुछ कहा गया। इस भ्रष्टाचार के संबंध में आज नहीं, जिस दिन सदन में पहला भाषण मैंने दिया था, जिस दिन मुझे पहले पहल बोलने का

सौभाग्य मिला था, उसी दिन मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार महापाप है और मेरे शब्दों को लेकर विरोधीदल के नेता ने मेरे ही शब्दों को कोट करते हुए कहा था कि बहन सुशीला रोहतगी, उन्होंने रस्तोगी ही कहा था, रोहतगी नहीं कहा था, यह मुझे याद है भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है। मैं आज भी स्वीकार करती हूं और जो हमारे बीच में पाप है उसको बराबर स्वीकार करना चाहिये, यह बहुत बड़ा अभिशाप है और बड़े अफसोस की बात है कि जो भ्रष्टाचार आज हो रहा है इसमें दोनों तरफ के लोग उसके लिये गुनाह करने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट में और चाहूंगी। कल जैसा कि हमारे सदन में हमारे परिवहन मंत्री के सम्बन्ध में हमारे एक भाई ने बहुत कुछ कहा, उसके लिये मैं अपने उन भाई को मुबारकवाद देती हूं। कम से कम वेग चार्ज न लगाकर के उन्होंने एक स्पेसिफिक चार्ज लगाने का साहस किया, बाकायदा परमिट नम्बर दिये और उसके लिये मैं अपनी मुख्य मंत्री बहन सुचेता कृपालानी को बधाई देती हूं कि उन चार्जेज के लगाने के साथही किस तत्परता से उसकी जांच करके उन्होंने उसका जवाब आज प्रस्तुत किया, इसके लिये मैं उन्हें बधाई देती हूं, लेकिन मैं उनसे चाहूंगी कि अगर हम लोग भ्रष्टाचार नहीं हटाते तो हम रसातल की तरफ अवश्य जा रहे हैं। अगर हटाना है तो यह बहुत आवश्यक है कि जो ऊंचे से ऊंचे पद पर हों, चाहें मंत्री हों, मुख्य मंत्री हों, चाहे गवर्नर हों, कोई हों, कोई व्यक्ति विशेष से इसका मतलब नहीं है, हर एक का आचरण ऐसा होना चाहिये कि उसके प्रति जनता अपना विश्वास प्रकट कर सके। इसलिये मैं चाहूंगी कि हमारी मुख्य मंत्रिणी यह विजिलेंस कमेटीज जो बनाये उसमें ऐसे लोगों की नियुक्ति करें जिनके प्रति जनता को विश्वास हो। इन शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने सब भाइयों से निवेदन करूंगी और भाई लखपत राम से कहूंगी, उन्होंने परसों झांसी का वर्णन करते हुए मुझे आमंत्रित किया कि मैं विरोधी दल को शोभायमान करूं, मैं उनकी बड़ी आभारी हूं, परन्तु मैं यह सोचती हूं कि आपके दल में आने के लिये जो कुछ विशेषतायें चाहिए वे मेरे में नहीं है, मेरे में वह कमी है, इसलिये मैं आपसे क्षमा मांगती हूं और मैं आप सब से यह निवेदन करूंगी जितने सदस्य इधर या उधर बैठे है उन सबसे कि हमारे इस धन्यवाद के प्रस्ताव को स्वीकार करें और अपने संशोधन के प्रस्तावों को वापस लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। अगर वह पास हो गया तो संशोधन अपने आप गिर जायेंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन महामहिम राज्यपाल महोदय का उनके अभिभाषण के लिये आभारी है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृति हुआ—

पक्ष में—११७,

विपक्ष में—२६।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल १०।। बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३२ मिनट पर अगले दिन के १०।। बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
६ फरवरी, १९६४ ई०

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर)

बदायूं जिले में शुगर प्लाण्ट के लिये ऋण यू० पी० फाइनेन्शियल कारपोरेशन, कानपुर द्वारा स्वीकार किये गये ऋण का विवरण

क्रम-सं०	फर्म का नाम तथा पता	स्वीकृत धनराशि	दी गई अग्रिम धनराशि	वसूल की गई धनराशि	माफी की गई धनराशि	वसूलयाबी के लिये बाकी धनराशि
			१९५६–५७			
			१९५७–५८			
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	सर्वश्री श्याम-लाल, राममूर्ति-लाल, मऊ मार्केट, पो० उझानी, बदायूं।	२०,०००	२०,०००	८,०००	..	१२,०००
२	सर्वश्री क्राइस्टल शुगर वर्क्स, बिसौली, बदायूं।	४०,०००	४०,०००	२०,०००	..	२०,०००
			१९५९–६०			
३	श्री साहू विश्वनाथ सिंह सोल प्रोप्राइटर, सर्व श्री साहू सूगर वर्क्स, उझानी, बदायूं	५०,०००	१२,७५०	१०,०००	..	३७,२५०
		..	१९६२–६३			
		..	३४,५०००	..	..	..
		१,१०,०००	१,०७,२५०	३८,०००	..	६९,२५०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर)

विवरण तालिका

विकास योजनाकाल	संस्था का नाम व पता जिसे छात्रावास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई	स्वीकृत धन-राशि
		रु०
प्रथम पंचवर्षीय योजना	१—बी० एन० वी० हरिजन होस्टल, राठ, हमीरपुर	३,३००
	२—रविदास मंदिर, राठ, हमीरपुर ..	२,६००
	३—जनतंत्र हरिजन छात्रावास, कुलपहाड़, हमीरपुर	६,०००
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (वर्ष १९५६-५७)	१—जे० पी० आर० एन० अमर इन्टर कालेज, जाजमऊ, कानपुर	३,०००
(वर्ष १९५७-५८)		२,५००
	२—चित्रकूट इन्टर कालेज, कर्वी, जिला बांदा ..	५,०००
	३—बी० एन० बी० इन्टर कालेज, राठ, हमीरपुर	२,०००
तृतीय पंचवर्षीय योजना (वर्ष १९६१-६२)	१—ग्राम उद्योग इन्टर कालेज, पुखरायां, कानपुर	१०,०००
	२—अकबरपुर हायर सेकेण्डरी स्कूल, अकबरपुर, कानपुर	१०,०००
	३—पुरुषोत्तम हायर सेकेण्डरी स्कूल, खुजहा, फतेहपुर	१०,०००
	४—बवेरू हायर सेकेण्डरी स्कूल, मानिकपुर, बांदा	५,०००
तृतीय पंचवर्षीय योजना (वर्ष १९६२-६३)	१—जूनियर हायर सेकेण्डरी स्कूल, जौनापुर, कानपुर	१०,०००
	२—आस्तिक मुनि इन्टर कालेज, कोरियाना, कानपुर	१०,०००
	३—जूनियर हाई स्कूल, अतार्रा, जिला बांदा ..	१०,०००
	४—नेशनल इन्टर कालेज, मौदहा, हमीरपुर ..	१०,०००
	५—बवेरू हायर सेकेण्डरी स्कूल, मानिकपुर, बांदा	५,०००

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५–१६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७२ पर)

तालिका—१

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् स्थापित ट्रस्ट

क्रम सं०	ट्रस्ट का नाम	ट्रस्ट में निहित की गई संपत्ति	निहित संपत्ति से वार्षिक आय	वार्षिक व्यय
१	२	३	४	५
		रु०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१	रामावती देवी स्कालरशिप ट्रस्ट फन्ड, बलरामपुर, डिस्ट्रिक गोण्डा ..	५००	१४.७०	१४.७०
२	मिसेज मोहनी मोहन बोस स्कालरशिप इन्डाउमेन्ट ट्रस्ट, बलरामपुर, जिला गोन्डा ..	५००	१४.७०	१४.७०
३	राम लोचन लाल मेमोरियल इन्डाउमेन्ट ट्रस्ट फन्ड,			
४	बलरामपुर, डिस्ट्रिक गोण्डा महाराज पातेश्वरी प्रसाद सिंह ट्रस्ट	४००	११.७६	११.७६
५	आउट पेशन्ट क्लिनिक मिसेज ऐन्सन फिमेल हास्पिटल, बलरामपुर ..	जिला बहराइच के कैसरगंज तहसील के २४ गांव ..	१४,५१३.००	१९,८५७.००
६	वाफ एक्स-रे ऐन्ड लाइट ट्रीटमेन्ट क्लिनिक फिमेल हास्पिटल, बलरामपुर ..	जिला एवं तहसील गोंडा के २४ गांव ..	१४,५८१.००	२५,१६३.००
७	मेटर्निटी एन्ड चाइल्ड वेल–फेयर सेन्टर फिमेल हास्पिटल, बलरामपुर ..	तहसील तथा जिला गोंडा के १७ गांव ..	११,८९०.००	२०,२४८.००
८	एल० सी० जूनियर हाई स्कूल, बलरामपुर ..	तहसील तथा जिला गोंडा के १७ गांव	१०,०७५.००	८,६८१.००
९	महाराजा का हायर सेकेन्ड्री स्कूल, बलरामपुर ..	तहसील तथा जिला गोन्डा के २० गांव	११,२८४.००	९,७२१.००
१०	महाराजा बहादुर सर पी० पी० सिंह मेमोरियल हास्पिटल, बलरामपुर का सर्जिकल डिपार्टमेन्ट ..	तहसील तथा जिला गोंडा के २६ गांव	१५,२४०.००	१०,२६५.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	ट्रस्ट का नाम	ट्रस्ट में निहित की गई संपत्ति	निहित संपत्ति से वार्षिक आय	वार्षिक व्यय
१	२	३	४	५
		रु०	रु० न० पै०	रु०
११	महाराजा बहादुर सर पी० पी० सिंह मेमोरियल हास्पिटल बलरामपुर का इन पेशेन्ट डिपार्टमेन्ट ..	तहसील तथा जिला गोंन्डा के १७ गांव ..	१०,८०१.००	७,२७८.००
१२	महाराजा बहादुर सर पी० पी० सिंह मेमोरियल, हास्पिटल बलरामपुर का आउट पेशन्ट डिपार्टमेन्ट ..	तहसील तथा जिला जिला गोन्डा के १५ गांव ..	१२,२०५.००	८,२२४.००
१३	महारानी लाल कुंवर डिग्री कालेज, बलरामपुर ..	तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच के २२ गांव	१२,६२६.००	१२,०२६.००
१४	आर्फनेज धर्मशाला–बालिका विद्यालय तथा लाइब्रेरी सेक्शन, एल० सी० स्कूल, बलरामपुर ..	तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच के १७ गांव	१६,८८२.००	२३,२९३.००
१५	बलरामपुर गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल, बलरामपुर ..	तहसील तथा जिला गोन्डा के १६ गांव ..	१०,०११.००	९,२११.००
१६	डी० ए० बी० हायर सेकेन्डरी स्कूल तथा बलरामपुर गर्ल्स बेसिक प्राइमरी स्कूल	तहसील एवं जिला गोन्डा के १५ गांव	ट्रस्ट की मान्यता विचाराधीन है। ..	
१७	श्रीमती महारानी सरकार साहिबा आफ बलरामपुर चैरिटेबुल ट्रस्ट	पूर्णतया निजी है		
१८	कोर्ट ठाकुर द्वारा कला ट्रस्ट	६ गांव	.. जमींदारी उन्मूलन में ये गांव सरकार द्वारा ले लिये गए। अतः जो बान्ड मिलते हैं, वही इसकी आय है। अब तक कुल रु० १९,४६७.८९ नए पैसे अन्तरिम अन्युटी के रूप में और रु० ९,१२४.९९ नए पैसे ब्याज मिला है।	

तालिका २

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् स्थापित ट्रस्ट

क्रम सं०	ट्रस्ट का नाम	ट्रस्ट में निहित की गई सम्पत्ति	निहित सम्पत्ति से वार्षिक आय	वार्षिक व्यय
१	२	३	४	५
१	महाराज पाटेश्वरीप्रसाद आफ बलराम पुर निधि अथवा बलरामपुर धर्म कार्य निधि।	सम्पत्ति — आंका गया मूल्य	रु० न० पै०	रु० न० पै०
		रु०		
		१—इमारत ७,५०,०००		६,७९,४१७.८७
		२—बाग २,००,०००	..	..
		३—ट्यूबवेल ३,००,०००	६,६६,५८०.८७	
		४—फिक्सड डिपाजिट ५०,०००	..	..
		५—शेयर डिवेन्चर और लोन (पाइनियर लि० का) ३,७५,०००	..	..
		६,१०,००,००० रु० का कम्पेन्सेशन बान्ड ४,००,०००	..	..
		७—आउटस्टैन्डिग लोन ५,७५,०००	..	..
		कुल २६,५०,०००	..	..

नत्थी 'घ'

(देखये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७४ पर)

श्रीमान् पुलिस मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में सविनय निवेदन है कि हफीजुल्लाह वल्द जुमाली व शिवमंगल वल्द अर्जुन दोनों आदमी सार्वजनिक मार्ग को दीवाल बनाकर रोक रहे थे और ऐसा सार्वजनिक मार्ग जो लगभग ६० वर्षों से बैलगाड़ी, आदमी एवं ट्रक का रास्ता रहा है। हम लोगों ने रोका तथा उक्त दोनों व्यक्ति और हम लोगों ने प्रधान जी को फैसला करने के लिये पंचनामा बनाकर दे दिया है। अभी उसका फैसला बाकी ही है कि आज दिनांक २२-३-६३ को बवक्त ४ बजे शाम के लगभग नायब दरोगा, थाना मधुबन, तहसील घोसी के आकर अनायास ही हम लोगों के प्रति गालियों की झड़ी लगा दिया और कहने लगे जैसा भी रास्ता हो हम इसे बन्द करायेंगे। देखेगें कौन साला बोलता है? हम सबकी हुलिया ठीक कर देंगे। अतः हम लोगों को विश्वास है कि कोई नाजायज कार्यवाही दरोगा जी हम लोगों के विरुद्ध अवश्य करेंगे। हम प्रार्थी को इस बात का दुख है कि क्या भारतीय संविधान में दरोगा लोगों को किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिष्ठा भंग करने के लिये गाली को भी स्थान है?

उचित न्यायार्थ प्रार्थना-पत्र प्रेषित है, श्रीमान् जी अति शीघ्र प्रार्थना-पत्र पर ध्यान देकर उचित कार्यवाही करें।

दिनांक २२ मार्च, ६३

नोट—कापी श्रीमान जिलाधीश महोदय, एवं कप्तान साहब को प्रेषित।

हम हैं प्रार्थी,
ग्रा० पो० सिपाही इब्राहीमांवाल,
वाया घोसी (तहसील), जिला आजमगढ़।

ह० किशुन साहु, ह० जगदीश गुप्ता, ह० अपठनीय,
ह० भैरोराम, ह० लाल चन्द, ह० शिव पूजन।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५ पर)

वाराणसी जिले को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अब तक बीते वर्षों में हरिजनों, अनुसूचित जातियों को दिया गया अनुदान, व्यय तथा शेष धन का विवरण निम्न प्रकार है। बस्ती निर्माण कार्य गृह निर्माण हेतु स्वीकृति धनराशि में से ही किया जाता है। अलग से अनुदान नहीं दिया गया।

योजना	हरिजनों के लिये दिया गया धन	व्यय किया गया धन	शेष धन
१	२	३	४
१—गृह निर्माण	२,०४,०५०	१,७९,९३७	२४,११३
२—कूप निर्माण	२,२२,७५०	१,७९,२२८	४३,५२२
३—कृषि अनुदान	९१,१००	४४,६१३	४६,४८७
४—कुटीर उद्योग	९३,३५०	५४,३६७	३८,९८३
५—गृह एवं कार्य स्थल हेतु भूमि क्रय ..	५८,५००	१६,२७०	४२,२३०
६—क्षय रोगियों के सहायतार्थ ..	१,९००	१,९००	
७—सेनीटेशन	९,०००	२,७४०	६,२६०
८—छात्रावास भवन निर्माण ..	४०,०००	२७,४८४	१२,५१६
विमुक्त जातियों के लिये			
१—गृह निर्माण	८३,२००	५२,८७४	३०,३२६
२—कूप निर्माण	७,४३०	७,४३०	..
३—कृषि उत्थान	३५,६८०	१५,६१५	२०,०६५
४—कुटीर उद्योग	६९,९५०	३८,१९७	३१,७५३
५—सेनीटेशन	१२,०००	९,४२८	२,५७२
६—पुनर्वास योजना	१,६०,०००	८००	१,५९,२००

अनुसूचित (मुसहरों कंजड़ों) के नाम से कोई अनुदान सीधे स्वीकृत नहीं किया गया है। विमुक्त जाति एवं हरिजनों को स्वीकृत अनुदान में से ही मुसहर एवं कंजड़ों को निम्न अनुदान दिया गया जो खर्च हो चुका है।

योजना	मुसहरों कंजड़ों पर व्यय की गई धनराशि
१—गृह निर्माण	३२,३४२
२—कूप निर्माण	११,९४०
३—कृषि उत्थान	६,७२०
४—कुटीर उद्योग	१४,७४०
५—सेनीटेशन	९,८२८

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७६ पर)

कान्स्टेबिलों की सूची

सूची कर्मचारीगण सिविल पुलिस व आर्म्ड पुलिस जो लगातार २० वर्ष से लखनऊ शहर में तैनात हैं :—

१—सर्वश्री मुन्ने खां
२—मो० नाजिर
३—ओरीलाल
४—विक्टर विसकी
५—काजी मुहम्मद वसीम
६—मो० अख्तर
७—मो० उसमान
८—सरजू सिंह
९—रामअौतार सिंह
१०—जीत सिंह
११—कमालुद्दीन
१२—मुहम्मद इब्राहीम
१३—सिद्धसहाय
१४—समशाद हुसैन
१५—मो० अजीम
१६—करामत उल्ला
१७—मो० शफीउद्दीन
१८—शोभाराम
१९—अब्दुल गफ्फार
२०—करम हुसैन
२१—इकराम उद्दीन
२२—हुजब्बर खां
२३—मोहम्मद खां
२४—आशिक अली
२५—मो० इब्राहीम
२६—गनी मोहम्मद
२७—अली बहादुर खां
२८—मो० इदरीस खां
२९—बराती
३०—रामदेव सिंह
३१—रामेश्वर तिवारी
३२—केदार सिंह
३३—हयात अली
३४—मो० शफीक़ बेग
३५—कन्धैया सिंह
३६—फारूक अहमद
३७—हाशिम खां
३८—लतीफ खां
३९—राम अंजोर
४०—मोहर्रम अली
४१—निहाल राम
४२—अयोध्या प्रसाद
४३—अकबर अली
४४—मो० सिद्दीक
४५—सीताराम
४६—सिप्तेहसन
४७—रामानन्द
४८—माताप्रसाद
४९—अब्दुल मजीद
५०—सखावत अली
५१—बैजनाथ
५२—हरीसिंह
५३—मो० वसी
५४—शिव कुमार
५५—रामेश्वर सिंह
५६—रामपाल
५७—सगीर हुसैन
५८—छेदी सिंह
५९—विशुन नरायन
६०—सुखदेव सिंह
६१—झगरू सिंह
६२—शिव प्रसाद सिंह
६३—केदार सिंह
६४—बशीरुद्दीन
६५—जगजीवन सिंह
६६—चन्दीराम
६७—नसीरुद्दीन ।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७९ पर)

क्रम-संख्या	निलम्बित थानेदार का नाम	निलम्बित किए जाने की तिथि	थानेदार के विरुद्ध आरोप	कार्यवाही
१	श्री चिरौंजीलाल	६-४-६३	इनके विरुद्ध भा० दं० विधान की धारा १६१ (घूस लेने) तथा भ्रष्टाचार अधिनियम ५ (२) के अन्तर्गत आरोप है।	(१) न्यायालय में मुकदमा चलाया गया किन्तु दि० १६-१-६४ को न्यायालय द्वारा बरी हो गए।
२	श्री रूप सिंह ..	१२-११-६३	ड्यूटी के समय एक सम्मानित व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करने तथा धमकाने के आरोप हैं।	(२) इनके विरुद्ध पुलिस ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।
३	श्री छोटेलाल ..	१-१०-६३	जब यह सरकारी रेलवे पुलिस में थे तब कानपुर स्टेशन पर इन्होंने बारात में जा रहे एक सम्मानित व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया।	(३) इनके विरुद्ध आरोप पत्र देने की कार्यवाही की जा रही है।
४	श्री श्रीनाथ सिंह	२७-७-६३	इन्होंने एक नव विवाहित दम्पत्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया था।	मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार हो गई है। विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर आगे पृष्ठ २८० पर)

क्रम-संख्या	नाम	वितरित की गई धनराशि		बकाया धन	
		ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
१	२	३	४	५	६
		रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१	श्री हरी प्रसाद, मऊ	१,०००.००	..	..	..
२	श्री एजूकेशनल इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट, मुहम्मदनगर ..	८००.००	..	५५०	..
३	श्री नजीर हुसैन, शेखपुरा	५००.००	..	..	..
४	श्री विश्वनाथ प्रसाद सराय मीर ..	८,०००.००	..	४,०००.००	..
५	श्री सयेन्द्रनाथ, लालगंज	५,०००.००	..	२,०००.००	..
६	श्री रामचन्द्र, फूलपुर	५,०००.००	..	..	..
७	श्री भगवान पाठक, आजमगढ़ ..	१,०००.००	..	७००.००	..
८	श्री राधेश्याम अग्रवाल, आजमगढ़ ..	५,०००.००	..	४,५००.००	..
९	श्री लालतार्सिह, आजमगढ़ ..	७,०००.००	..	३,७००.००	..
१०	श्री आशिक अली ..	१,०००.००	..	७००.००	..
११	श्री कृष्णमुरारी लाल, आजमगढ़ ..	६,०००.००	..	५,५००.००	..
१२	श्री जाफर अली, आजमगढ़ ..	६,०००.००	..	५,६००.००	..
१३	श्री कैलाशनाथ गुप्ता, कैबा ..	५,०००.००	..	..	..
१४	श्री नूर अहमद, .. आजमगढ़ ..	४,०००.००	..	३,३००.००	..
१५	श्री सोनई राम, मिर्जीपुर	१,०००.००	..	७६३.३३	..
१६	श्रीमती अनवारी बेगम, मुहम्मदाबाद ..	५००.००	..	४१६.६६	..

१	२	३	४	५	६
१७	श्री बनारसीलाल, आजम-गढ़	२,०००.००	..	१,६६६.६६	..
१८	विजयबहादुर सिंह, आजमगढ़	७,५००.००	..	६,४२८.५७	..
१९	श्री शिवपूजन सिंह, अहरौला	१,५००.००	..	५८७.७५	..
२०	श्री साधूशरण विश्वकर्मा	२,०००.००	..	१,५००.००	..
२१	श्री एच० एम० अयूब सिद्दीकी, आजमगढ़	७,५००.००	..	६,४२८.५७	..
२२	श्री रघु राम बेनीमाधव प्रसाद, मऊ	२,०००.००	..	२,०००.००	..
२३	श्री काशीप्रसाद गुप्ता, कोपागंज	२००.००	..	२००.००	..
२४	श्री गिरधरराम सेठ	१,०००.००	..	१,०००.००.	..
२५	श्री एम० ए० रहमान, गौसपुरा	५००.००	..	५००.००	..
२६	श्री विश्वनाथ प्रसाद,अमिलो	५००.००	..	५००.००	..
२७	श्री संकठाप्रसाद, आजम-गढ़	५,०००.००	..	५,०००.००	..
२८	श्री श्रीनाथदास खन्ना, मऊ	२,०००.००	..	२,०००.००	..
२९	श्री महेश सेठ, बरहलगंज	१,०००.००	..	१,०००.००	..
३०	श्री शिवनाथ प्रसाद, आजमगढ़	२,०००.००	..	२,०००.००	..
३१	श्री जमालमहनी, आजम-गढ़	७,०००.००	..	७,०००.००	..
३२	श्री सुन्दरराम थिकारिया	१,०००.००	..	१,०००.००	..
३३	श्री गौरीशंकर, आजमगढ़	३,०००.००	..	३,०००.००	..
३४	श्री गंगाप्रसाद, गया. .	५,०००.००	..	५,०००.००	..
३५	श्री अनवरुल हुदा, फतेह-पुर	५,०००.००	..	५,०००.००	..
३६	श्री फूलचन्द गुप्ता, दोबरीघाट	३,०००.००	..	३,०००.००	..
३७	श्री नसरुल्ला खां, अलीपुर	१०,०००.००	..	१०,०००.००	..

१	२	३	४	५	६
३८	श्री राधेश्याम, सरायमीर	५,०००.००	..	५,०००.००	..
३९	श्री बैजनाथ, कोपागंज	५,०००.००	..	५,०००.००	..
४०	श्री विपिन बिहारी खन्ना, मऊ	.. ५,०००.००	..	५,०००.००	..
४१	श्री अब्दुल मुघनी, आजमगढ़	.. २,०००.००	..	२,०००.००	..
४२	श्री रामग्रौतार लाल, आजमगढ़	.. ५,०००.००	..	५,०००.००	..
४३	श्री केदारनाथ मिश्रा, आजमगढ़	.. ४,०००.००	..	४,०००.००	..
४४	श्री धीरेन्द्र कुमार, फूलपुर	.. ७,०००.००	..	७,०००.००	..
४५	श्री गुरुप्रसाद, आजमगढ़	८,०००.००	..	८,०००.००	..
४६	श्री सदानन्द, फूलपुर..	१,०००.००	५००.००	१,०००.००	४८.७५
४७	श्री लालजी मिश्रा, आजमगढ़	.. २,०००.००	..	२,०००.००	..
४८	श्री महबूबअली, बरिडीह	२,०००.००	..	२,०००.००	..
४९	श्री सुखदेव प्रसाद, रानी की सरांय	.. २,०००.००	..	१,५००.००	..
५०	श्री मोहनलाल, आजमगढ़	६,०००.००	..	६,०००.००	..
५१	श्री मंजूर अहमद, आजमगढ़	.. १२,०००.००	..	१२,०००.००	..
५२	श्री सैयद मुहम्मद खलील, आजमगढ़	.. ५,०००.००	..	५,०००.००	..
५३	श्री आनन्दप्रसाद, लालगंज	.. १२,०००.००	..	१२,०००.००	..
५४	मेसर्स ग्रोमोद्योग आश्रम, पहाड़पुर	.. ६,९००.००	३,२५०.००	६,९००.००	३,२५०.००
५५	,, ग्राम राज आश्रम, विनोबापुरी	.. ६,७५०.००	३,२५०.००	६,७५०.००	३,२५०.००
५६	,, तेलघानी उ० स० स० लि०, शाहगढ़	.. २,४९७.५०	७००.००	..	..
५७	,, तेल घानी उ० स० स० लि०, बांसगांव	.. ७,०७५.००	३,२००.००	..	..

१	२	३	४	५	६
५८	मेसर्स एच एल० वीवर कोआप० सोसाइटी लि० छतरपुरा	..	४,५३१.००	..	४,५३१.००
५९	,, एच० एल० वीवर कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, इब्राहिमपुर	..	८७०.००	..	८७०.००
६०	,, एच० एल० वीवर कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, भिरा. .	..	४३६.००	..	४३६.००
६१	,, एच० एल० वीवर कोआपरेटिव सोसाइटी लि० मोहम्मदाबाद, खाराबाद . .	..	८७२.००	..	८७२.००
६२	,, एच० एल० वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, कादीपुरा	..	४४१.००	..	४४१.००
६३	,, एच० एल० वीवर कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, सूरजपुर	२,५७६.२५	..	..	..
	योग ..	२,३४,२३८.७५	१८,०५०.००	१,९२,१९१.५४	१३,६९८.७५

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८१ पर)

जिला वाराणसी के अन्तर्गत हत्या, डकैती, व चोरी के मामलों और उनमें की गयी कार्यवाही का थानेवार विवरण (१–१–६२ से १५–१–६४ तक)

क्रम-संख्या	थाना	अपराध	रिपोर्ट	चालान	न्याया-लय में	सजा-याब	छूटे	लापता	जांच जारी	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	कोतवाली ..	हत्या ..	१	१	..	१	..	..	..	
		आत्महत्या ..	१	..	..	..	..	..	..	
		डकैती .	..	..	..	..	..	..	..	
		चोरी	४२८	९१	२३	४१	२७	२५६	२५	४३ मामलों में जांच नहीं हुई। १३ ऐक्सपंज हुए।
२	चौक ..	हत्या ..	२	२	२	..	..	..	..	
		आत्महत्या ..	..	..	..	..	..	..	..	
		डकैती ..	..	..	..	..	..	..	..	
		चोरी ..	२२४	८०	३२	४१	७	१०८	१४	२१ में जांच नहीं हुई। १ ऐक्सपंज हुआ।
३	दसाश्वमेध ..	हत्या ..	८	५	२	२	१	३	..	
		आत्महत्या ..	१	..	..	..	..	..	..	
		डकैती ..	..	..	..	..	..	..	..	
		चोरी ..	४४९	७१	१९	३५	१७	३०८	४१	२५ में जांच नहीं हुई। ४ ऐक्सपंज हुए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

४	भेलूपुरा	..	हत्या	..	३	१	..	१	..	२	..	
			आत्महत्या	..	..	..	..	..	..	..	..	
			डकैती	..	..	..	..	..	..	..	..	
			चोरी	..	५७३	९३	३४	३६	२३	४१५	४३	२२ में जांच नहीं हुई।
५	चेतगंज	..	हत्या	..	२	२	..	१	१	..	..	
			आत्महत्या	..	८	..	..	..	..	..	..	
			डकैती	..	१	..	..	..	..	१	..	मामला झूठा पाया गया। १८२ की रिपोर्ट की गई।
			चोरी	..	२९८	५४	२२	१९	१३	१७६	२९	३९ में जांच नहीं हुई।
६	आदमपुर	..	हत्या	..	३	१	१	..	..	२	..	
			आत्महत्या	..	२	..	..	..	..	..	..	
			डकैती	..	२	१	..	..	१	१	..	१ मामला झूठा पाया गया।
			चोरी	..	२१६	३१	११	१५	५	१४१	२१	२३ में जांच नहीं हुई।
७	कैण्ट	..	हत्या	..	४	१	१	..	..	..	३	
			आत्महत्या	..	८	..	..	..	..	..	..	
			डकैती	..	१	१	१	..	..	..	..	
			चोरी	..	४१९	७८	३६	३३	९	२६८	३८	३३ में जांच नहीं हुई। २ ऐक्सपंज हुए।
८	रामनगर	..	हत्या	..	१	..	..	..	..	१	..	
			आत्महत्या	..	..	..	..	..	..	..	..	
			डकैती	..	१	..	..	..	..	१	..	मामला झूठा पाया गया। १८२ की रिपोर्ट की गई।
			चोरी	..	९४	१९	१०	६	३	४६	७	१६ में जांच नहीं हुई। ६ ऐक्सपंज हुए।

अतिरिक्त सभा

क्रम-संख्या	थाना	अपराध	रिपोर्ट	बालान	न्याया-लय में	सजा-याब	छूटे	लापता	जांच जारी	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
९	मुगलसराय ..	हत्या ..	६	४	१	१	२	२	..	एक मामले में अभियुक्त स्त्री कुएं में डूब कर मर गई।
		आत्महत्या ..	५	..	..	..	..	..	..	
		डकैती ..	१	..	..	..	..	१		झूठा पाया गया। १८२ की रिपोर्ट की गई।
		चोरी ..	२४९	४०	१६	७	१०	१३३	२०	४९ में जांच नहीं हुई। ७ में सुलह हो गई। ७ ऐक्सपंज हुए।
१०	चन्दौली ..	हत्या ..	२	२	..	..	२	..	..	
		आत्महत्या ..	५	..	..	..	..	..	..	
		डकैती ..	..	..	..	..	..	..	..	
		चोरी ..	१०४	१६	७	८	..	६२	..	२४ में जांच नहीं हुई। १ में सुलह हुई। २ ऐक्सपंज हुए।
११	चकिया ..	हत्या ..	७	५	५	..	..	१	१	
		आत्महत्या ..	३	..	..	..	..	..	..	
		डकैती ..	२	..	..	..	..	२	..	एक मामला झूठा पाया गया।
		चोरी ..	१६१	२२	११	६	३	९३	१६	३० में जांच नहीं हुई। २ में सुलह हुई।
१२	सैयद राजा ..	हत्या ..	५	४	२	१	१	..	१	
		आत्महत्या ..	..	..	..	..	..	..	..	
		डकैती ..	२	२	२	..	..	..	..	
		चोरी ..	९०	१२	८	१	३	३४	३	३४ में जांच नहीं हुई। ७ ऐक्सपंज हुए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१३	धौलपुर	..	हत्या	..	६	५	..	३	२	१	..
			आत्महत्या	..	६	..	..	..	..	..	..
			डकैती	..	..	..	..	..	..	..	..
			चोरी	..	३७	५	१	२	१	१२	६
१४	बौबेपुर	..	हत्या	..	४	३	१	२	..	१	..
			आत्महत्या	..	४	..	..	..	..	..	..
			डकैती	..	४	४	३	१	..	..	..
			चोरी	..	८३	८	२	३	२	५१	४
१५	धानापुर	..	हत्या	..	४	४	१	१	२	..	..
			आत्महत्या	..	५	..	..	..	..	..	..
			डकैती	..	१	..	..	..	..	..	१
			चोरी	..	७४	१०	६	१	१	३३	१
१६	बलुआ	..	हत्या	..	४	३	१	..	२	..	१
			आत्महत्या	..	११	..	..	..	..	..	..
			डकैती	..	..	..	..	..	..	..	..
			चोरी	..	१२२	१२	५	३	४	४८	१४
१७	मिर्जामुराद	..	हत्या	..	६	३	१	१	१	३	..
			आत्महत्या	..	१४	..	..	..	..	..	..
			डकैती	..	..	..	..	..	..	..	..
			चोरी	..	४८	१०	३	४	३	३५	३

क्रम-संख्या	थाना	अपराध	रिपोर्ट	चालान	न्याया-लय में	सजा-याब	छूटे	लापता	जांच जारी	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१८	बड़ा गांव ..	हत्या ..	३	१	..	..	१	१	१	
		आत्म हत्या ..	५	..	..	..	..	..	..	
		डकैती ..	४	३	२	१	..	..	१	
		चोरी ..	१००	१७	६	८	३	६०	५	१६ में जांच नहीं हुई। २ ऐक्सपंज हुए।
१९	फूलपुर ..	हत्या ..	३	२	..	१	१	१	..	
		आत्महत्या ..	..	..	..	..	..	..	..	
		डकैती ..	१	१	१	..	..	..	..	
		चोरी ..	८७	१२	१०	..	२	४१	९	१६ में जांच नहीं हुई। ९ ऐक्सपंज हुए।
२०	रोहनिया ..	हत्या ..	२	१	१	..	..	१	..	
		आत्महत्या ..	१	..	..	..	..	..	..	
		डकैती ..	..	..	..	..	..	..	..	
		चोरी ..	७५	१४	४	८	१	४०	८	१३ में जांच नहीं हुई। १ में सुलह हुई।
२१	शाहपुर ..	हत्या ..	२	१	..	१	..	..	१	
		आत्महत्या ..	..	..	..	..	..	..	..	
		डकैती ..	२	..	..	..	..	२	..	मामले झूठे पाये गये।
		चोरी ..	७८	८	५	२	१	५८	५	६ में जांच नहीं हुई। १ ऐक्सपंज हुआ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२२	गोपीगंज	..	हत्या	..	४	४	३	..	१	..	..	
			आत्महत्या	..	३	..	..	..	..	..	..	
			डकैती	..	२	१	..	१	..	१	..	एक मामला झूठा पाया गया।
			चोरी	..	२०५	२४	१०	९	५	१२२	१५	४४ में जांच नहीं हुई।
२३	औराई	..	हत्या	..	१	..	..	..	..	१	..	
			आत्महत्या	..	७	..	..	..	..	..	..	
			डकैती	..	..	..	..	..	..	..	..	
			चोरी	..	१५४	२३	९	६	८	८६	१९	२६ में जांच नहीं हुई।
२४	भदोही	..	हत्या	..	२	२	१	१	..	..	..	
			आत्महत्या	..	१२	..	..	..	..	..	..	
			डकैती	..	..	..	..	..	..	..	..	
			चोरी	..	२०१	३५	१०	१३	१२	१२९	२४	१३ में जांच नहीं हुई।
२५	सुरियांवा	..	हत्या	..	४	२	..	..	२	१	१	
			आत्महत्या	..	८	..	..	..	..	..	..	
			डकैती	..	४	२	..	..	२	१	१	
			चोरी	..	१३९	१५	७	६	२	८३	५	३६ में जांच नहीं हुई।
२६	नौगढ़	..	हत्या	..	..	..	..	..	..	..	..	
			आत्महत्या	..	..	..	..	..	..	..	..	
			डकैती	..	२	१	..	..	१	..	१	
			चोरी	..	१३	६	३	२	१	४	१	२ में जांच नहीं हुई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८४ पर)

वर्ष १९६२–६३ में स्वीकृत धनराशि	गृहीताओं का नाम तथा पूरा पता जिन्हें धनराशि स्वीकृत की गई	गृहीताओं को स्वीकृत धनराशि
	विकास क्षेत्र कासिमाबाद	
७२०.००	१—श्री राम किशुन हरिजन, बांका	३६०.००
	२—श्री निर्मल हरिजन, रतूलपुर	३६०.००
	विकास क्षेत्र विरनो	
७२०.००	१—श्री झगरू राम, बद्दूपुर	२४०.००
	२—श्री जयकरन राम, धनेशपुर	२४०.००
	३—श्री बलिराम, बद्दूपुर	२४०.००
१,४४०.००		१,४४०.००

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८५ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	पद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	हरिजन कर्मचारियों की संख्या
१—चीफ फायर आफिसर		३	..
२—फायर स्टेशन आफिसर		१०	..
३—फायर स्टेशन सेकेंड आफिसर ..		७	..
४—ड्राइवर		३०	२
५—लीडिंग फायरमैन		२८	१
६—फायर मैन		१९७	१२

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर)

क्र० सं०	ग्राम सेविका का नाम	विकास खंड खजुहा में नियुक्ति की तिथि	न्याय पंचायत के नाम जहां २ ग्राम सेविका ने कार्य किया	न्याय पंचायत क्षेत्र में कार्य करने का समय
१	२	३	४	५
१—कु० ललिता आर्य		१८-८-६२	१—बाग बादशाही	१८-८-६२ से १३-४-६३ तक
			२—जुनिहा	१४-४-६३ से ३१-८-६३ तक
			२—बाग बादशाही	१-९-६३ से अब तक
२—श्रीमती शकुंतला अग्रवाल		७-८-६२	१—मंवरांव	७-८-६२ से अब तक
३—श्रीमती किशोरी देवी गुप्ता		७-५-६३	१—जुनिहां	७-५-६३ से २-१२-६३ तक

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८८ पर)

सूची

निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम	निरीक्षण का दिनांक
१—गृह सचिव ..	२७–१०–१९५५।
२—स्वास्थ्य सेवा निदेशक ..	२१–८–१९५१, १४–१२–१९६३, तथा अनौपचारिक रूप से २६–४–१९५३, १२–४–१९५५, १९–११–१९५५, ३–११–१९५७ तथा १२–२–१९६३ को।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ट २८९ पर)

परिशिष्ट 'क'

१९६३–६४ के अन्तर्गत बाराबंकी जिले में प्लान योजनाओं पर व्यय की जाने वाली धनराशि का विकास खंड वार ब्यौरा

योजना का नाम	१९६३–६४ के लिये निर्धारित धनराशि	विकास खण्डवार निर्धारित धनराशि							
		बंकी	सूरत गंज	त्रिवेदी गंज	देवा	फतेहपुर	हरख	निर्दूरा	सिद्धौर
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१—हथकरघा विकास योजना	६८,५५०	१०,५५०	१,८५०	..	..	३,८५०	..	..	..
२—ऋण तथा अनुदान योजना—									
(क) ऋण ..	९०,०००	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००
(ख) अनुदान ..	२,०००	१,५००	..	..	..	..	..	..	..
३—प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना ..	६३,३२२	२,०००	२,०००	२,०००	२,०००	२,०००	२,०००	२,०००	२,०००
४—औद्योगिक आस्थान ..	१,५०,०००	..	..	..	..	..	..	..	..
५—सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) योजना ..	३६,०००	३,१५०	२,७००	२,७००	२,७००	२,७००	३,१५०	२,७००	..
६—विद्युत् शक्ति अनुदान योजना ..	१,५००	..	..	..	..	..	..	..	..
७—ग्रामीण उद्योगों के लिये सहकारिता कर्मचारी ..	१,७३२	..	..	..	..	..	..	..	..
८—अन्य ग्रामीण उद्योग के लिये कर्मचारी	१,५२८								
	४,१४,६३२								

उत्तर प्रदेश विधान सभा

योजना का नाम	वानी-केदर	दरियाबाद	हैदरगढ़	मसौली	रुदौली	रामनगर	पूरे दलाई	मवाई	शहर	विवरण
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	
१—हथकरघा विकास योजना	५,०००	..	..	५,०००	१,८५०	१७,३७५	..	..	२३,०७५	
२—ऋण तथा अनुदान योजना										
(क) ऋण ..	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००	५,०००	१०,०००	
(ख) अनुदान ..	..	५००	..	..	..	..	..	..	..	
३—प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना ..	२,०००	१२,१२२	२,०००	२,०००	२,०००	२,०००	२,०००	२,०००	२१,२००	
४—औद्योगिक आस्थान ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	यह जिला योजना है।
५—सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) योजना ..	२,७००	२,७००	२,७००	२,७००	२,७००	२,७००	..	..	..	
६—विद्युत् शक्ति अनुदान योजना ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	यह योजना केवल शहर में ही चल रही है।
७—ग्रामीण उद्योगों के लिये सहकारिता कर्मचारी ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	यह योजना खादी एवं ग्रामीण उद्योगों को लागू करने के लिये कर्मचारियों से संबंधित है और जिले के मुख्यालय द्वारा नियंत्रित है। अतः विकास खण्डवार ब्यौरा नहीं दिया गया है।
८—अन्य ग्रामीण उद्योग के लिये कर्मचारी ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर)

विवरण

पुलिस कन्ट्रोल रूम, लखनऊ को मुन्नीलाल धर्मशाला, चारबाग के मैनेजर ने ८ अक्तूबर, १९६३ को लगभग २ १/२ बजे दिन के एक भगाई हुई लड़की के धर्मशाला में लाकर रखे जाने तथा उसके साथ अनैतिक कार्य किये जाने की सूचना दी। कंट्रोल रूम ने चौकी नाका हिंडोला को यह सूचना दी। चौकी पर उपस्थित सब-इन्स्पेक्टर कुछ अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ धर्मशाला पहुंचे जहां पर धर्मशाला के मैनेजर ने एक लिखित रिपोर्ट अपराधीगण राम नरेश व एक अज्ञात लड़की के विरुद्ध सब-इन्स्पेक्टर को वैधानिक कार्यवाही के लिये दी। अभियुक्तों को धारा २९४ भा० दं० विधान के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया और थाना आलमबाग पर उपरोक्त धारा के अन्तर्गत अपराध दर्ज किया गया। जांच से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त राम नरेश असल में प्रतापगढ़ का कांस्टेबिल दृगपाल सिंह है।

२—जांच से प्राप्त हुआ कि साक्ष्य मामले को अदालत भेजने के लिये काफी नहीं था, अतः मसले में २३-१-६४ को फाइनल रिपोर्ट लगाकर जांच समाप्त की गई।

———

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९० पर)

प्रत्येक जिले की कमेटियों द्वारा स्वीकृत किया ऋण धन के वितरण का विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	वितरित ऋण की धनराशि		विवरण
		१९६२–६३	१९६३–६४ (३०–११–६३ तक)	
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	
१—मेरठ	..	२,२६,०००	६१,७००	..
२—देहरादून	..	२,०८,५००	१,९३,०००	..
३—सहारनपुर	..	१,०९,०००	७०,०००	..
४—मुजफ्फरनगर	..	१,२५,०००	..	..
५—बुलन्दशहर	..	१,४०,०००	..	..
६—आगरा	..	१,५०,०००	..	..
७—अलीगढ़	..	१,५०,०००	..	..
८—मैनपुरी	..	१,००,०००	..	..
९—एटा	..	५०,०००	..	..
१०—मथुरा	..	१,००,०००	४९,०००	..
११—बरेली	..	१,२५,८००	..	..
१२—बिजनौर	..	३५,०००	२४,०००	..
१३—बदायूं	..	५९,८००	..	..
१४—मुरादाबाद	..	१,२०,७००	..	..
१५—शाहजहांपुर	..	४०,५००	४३,४००	..
१६—पीलीभीत	..	५०,०००	..	..
१७—रामपुर	..	१,१८,१००	१५,०००	..
१८—नैनीताल	..	१,७९,५००	६४,०००	..
१९—अल्मोड़ा	..	१,००,०००	२७,५००	..
२०— टिहरी–गढ़वाल	..	५०,०००	२०,०००	..
२१—टेहरी–गढ़वाल	..	४५,५००	२,०००	..
२२—लखनऊ	..	१,८१,५००	..	..
२३—सीतापुर	..	१,१०,०००	८२,०००	..
२४—रायबरेली	..	७५,०००	४४,०००	..
२५—उन्नाव	..	१,१५,०००	६०,०००	..
२६—हरदोई	..	५८,५००	५१,५००	..
२७—खीरी लखीमपुर	..	८५,०००	९,०००	..
२८—फैजाबाद	..	२,०६,०००	१९,९००	..
२९—गोंडा	..	९५,०००	६९,०००	..
३०—प्रतापगढ़	..	७५,०००	५९,८००	..
३१—सुल्तानपुर	..	७५,०००	२९,४००	..

क्रम सं०	जिले का नाम	वितरित ऋण की धनराशि		विवरण
		१९६२-६३	१९६३-६४ (३०-११-६३ तक)	
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	
३२	बाराबंकी	७३,०००	६३,०००	
३३	बहराइच	१,२६,०००	७२,५००	
३४	इलाहाबाद	१,९९,४५०	५६,६५०	
३५	फतेहपुर	५०,०००	४,०००	
३६	कानपुर	३,११,३५०	४,३५,७५०	
३७	फर्रुखाबाद	८३,०००	..	
३८	इटावा	७५,०००	..	
३९	झांसी	६४,०००	१६,७५०	
४०	जालौन	७०,०००	१६,३००	
४१	हमीरपुर	५०,०००	४४,०००	
४२	बांदा	५०,०००	६,५००	
४३	वाराणसी	३,४७,०००	१,४८,८००	
४४	मिर्जापुर	९५,०००	४८,०००	
४५	जौनपुर	१,७८,०००	५१,५००	
४६	गाजीपुर	६५,०००	..	
४७	बलिया	६५,०००	३३,५००	
४८	गोरखपुर	२,६०,०००	..	
४९	बस्ती	१,६५,०००	..	
५०	आजमगढ़	१,२०,०००	..	
५१	देवरिया	८०,०००	८७,५००	
		५८,८६,२००	२०,७९,२५०	..

नत्थी 'थ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९२ पर)

विगत दो वर्षों में १९६१-६२, १९६२-६३ वाराणसी में निम्नलिखित नियुक्तियां हुईं ।

पद नाम	संख्या
१—गजटेड—	
इंजीनियर (एस० ई० आई०)	१
टेकनीकल असिस्टेन्ट	१
सुपरिन्टेन्डेन्ट वर्कशाप	१
मैनेजर (टेक०)	१
२—नान गजेटेड—	
टेकनीकल सुपरवाइजर	२
केमिस्ट	३
असिस्टेन्ट फोरमैन	१
फोरमैन	७
चार्जमैन	१
असिस्टेन्ट मैनेजर	३
डिजाइनर	१
सुपरिन्टेन्डेन्ट	७
गुड़ डिमान्सट्रेटर	१
इक्जामिनर	६
टेकनिकल असिस्टेन्ट कम मशीन आपरेटर	२
असिस्टेन्ट डेवलेपमेन्ट आफिसर (ग्रेड १)	३
असिस्टेन्ट डेवेलपमेन्ट आफिसर (ग्रेड २)	१०३
सीनियर इन्सट्रक्टर	१५
असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट (प्रोडक्शन)	५
ट्रेड टेस्टर	१
टेकनिकल असिस्टेन्ट	२
इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव इंस्पेक्टर	२
इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सुपरवाइजर	५
एकाउन्टेन्ट	९
इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर	११
इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर (कोआपरेटिव)	२
सीनियर आडिटर	२
जूनियर आडिटर	४
सुपरवाइजर कम एकाउन्टेन्ट	२
इंस्ट्रक्टर और ब्यूअर	१९
आडिटर कम जूनियर इंस्पेक्टर आफ एकाउन्ट	१
स्टेनो	१
सुपरवाइजर कम एकाउन्टेन्ट	१३
क्राफ्ट्समैन व स्पिनिंग सुपरवाइजर	३

पद नाम	संख्या
क्लर्क व लैब असिस्टेन्ट	३७
स्टोरकीपर व फिनिशिंग मिस्त्री	७
टेकनिकल अटेन्डेन्ट	२
स्पिनिंग सुपरवाइजर	१३
पेन्टर	२
दफ्तरी	२
अपरासी चौकीदार व स्केलमैन	४५
कुल योग ..	३५२

सत्यमेव जयते

नत्थी 'द'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९४ पर)

वर्ष	प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या		प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या	
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
१९६१–६२ ..	२	१२	२	७
१९६२–६३ ..	६	५	६	४
१९६३–६४ ..	६	४	..	..

नत्थी 'ध'

(देखिये पीछे पृष्ठ. ३०२ पर ।)

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ विधेयक

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५३ को संशोधित करने के लिये

विधेयक

अतएव भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५३ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ की धारा २ में संख्या "१९६४" के स्थान पर संख्या "१९६७" रख दी जाय ।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या २, १९६४ का निरसन यू० पी० ऐक्ट संख्या १ १९०४

३—उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो उक्त अध्यादेश उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त तथा पुनरधिनियमित कोई अधिनियमिति हो ।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ द्वारा पुनः अधिनियमित हुआ था, उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५७ और जिसमें राज्य सरकार को (१) फायर ब्रिक्स (ताप प्रतिरोधी ईंटों) से भिन्न ईंटों तथा (२) जलाने की लकड़ी (firewood) के संग्रह, वितरण, उत्पादन, मूल्य आदि पर नियंत्रण आरोपित करने तथा उन्हें प्रचलित करने के अधिकार दिये गये हैं, २५ जनवरी, १९६४ को समाप्त हो जाने वाला था ।

२—राज्य के विकास कार्यक्रमों तथा निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में बढ़ते हुये निर्माण-कार्य के कारण ईंटों की मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । किन्तु इस बढ़ती हुई मांग के साथ-साथ ईंटों का संभरण नहीं हो पा रहा है । मांग और सम्भरण के बीच इस प्रकार के असन्तुलन के कारण जन-समुदाय के हितों में विनियामक उपाय (regulatory measures) आवश्यक हैं।

३—इसी प्रकार ईधन की लकड़ी (firewood) का संरक्षण और समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिये उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक समझा गया है ।

४—चूंकि मूल अधिनियम की अवधि २५ जनवरी, १९६४ को समाप्त हो जाती और राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिये गवर्नर ने उक्त अधिनियम को प्रचलित रखने के लिये उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ प्रख्यापित किया ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन उक्त अध्यादेश विधान मण्डल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रह जायेगा, इसलिये उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पुनः स्थापित किया जाता है ।

जगमोहन सिंह नेगी,
खाद्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) संशोधन विधेयक, १९६४ के संबंध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६४ के अधिनियम बन जाने पर, राज्य की संचित निधि से कोई व्यय नहीं होगा । संशोधन विधेयक में कोई नया व्यय नहीं होगा ।

जगमोहन सिंह नेगी,
खाद्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ की उन धाराओं की प्रतिलिपि जिनका संशोधन उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) संशोधन विधेयक, १९६४ द्वारा प्रस्तावित है

यू० पी० ऐक्ट सं० २२, १९५३ — उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९५३

२—यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया हैं) के उपबन्ध जो इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित हैं, एतद्द्वारा पुनर्विहित (re-enact) किये जाते हैं और वे २५ जनवरी, १९६४ तक प्रचलित रहेंगे और उक्त ऐक्ट (अधिनियम) की समाप्ति पर यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उस समय किसी उत्तर प्रदेश के अधिनियम (U. P. Act) से निरस्त (repeal) किया गया था ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२२७ एल० ए०—१९६४—८६०